खण्ड-303, अंक-6
गुरूवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1895
(5 अप्रैल, 1973 ई0)

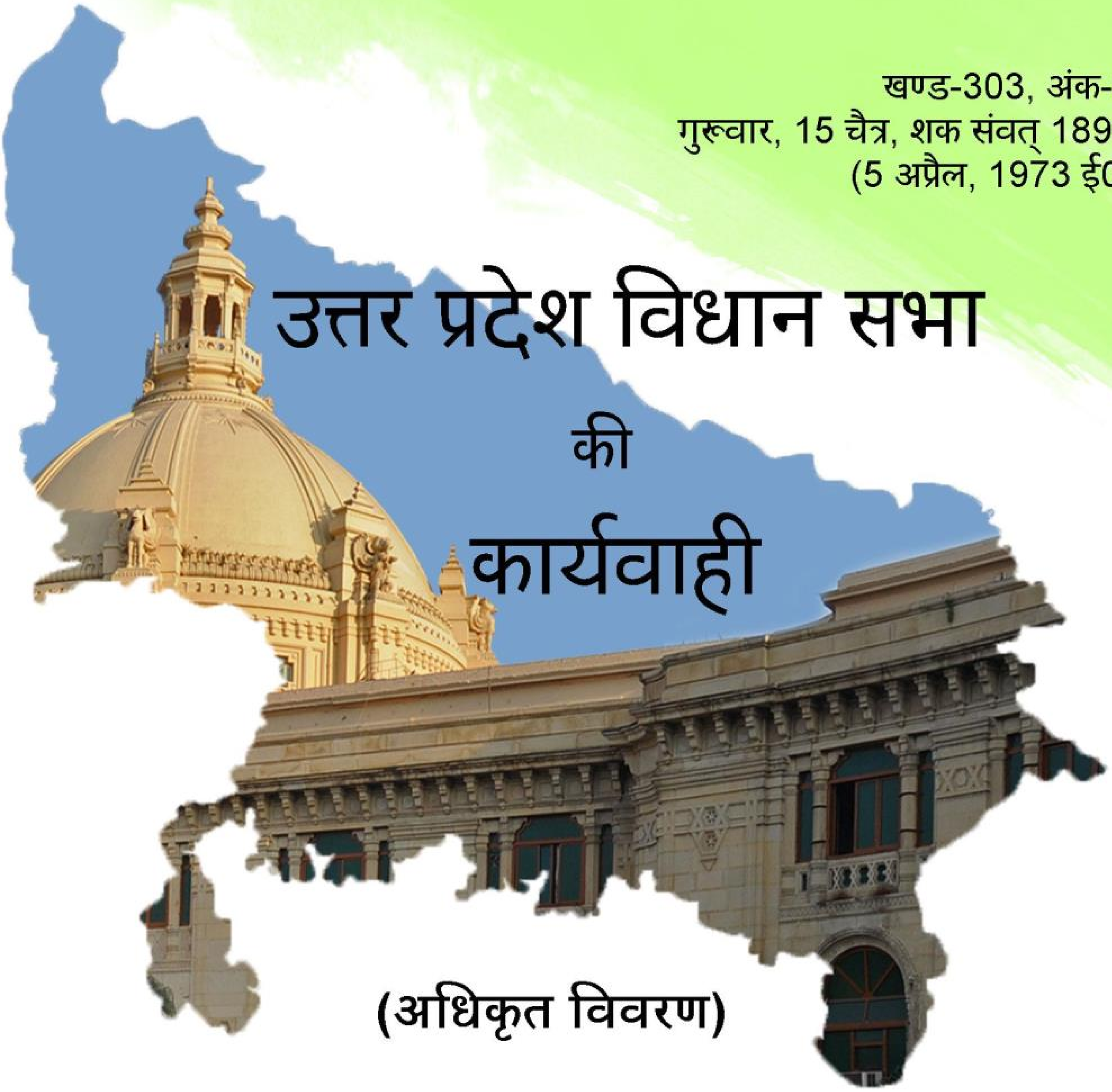

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 5 अप्रैल, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—361

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगनसिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन प्रसाद, रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर,
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
दूबराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर,
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बलवन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसालीदेवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम जियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री

राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़–रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांतिचरण पिड़ारा, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री

सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल बुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:—सामुदायिक विकास मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मन्त्री, श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, 5 अप्रैल, 1973

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

हिण्डालको की ओर से अतिरिक्त बिजली की मांग

**1—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या यह सही है कि शासन ने 22-3-73 को हिण्डालको को 10 मैगावाट अतिरिक्त बिजली देने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो निर्णय करने का आधार क्या है और उसकी शर्तें क्या-क्या हैं ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

जी नहीं।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

हिण्डालको ने कोई मांग की है कि इसके अतिरिक्त बिजली दी जाय और आपने उनकी मांग अस्वीकार कर दी अथवा वायदा कर दिया ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

हिण्डालको बहुत दिन से अपने नये प्लान्ट के लिये बिजली की मांग कर रहा है। कह रखा है कि हमारी जनरेटिंग कास्ट जो है उससे नीचे हम नहीं देंगे और यह भी कहा जब तक नहीं देंगे। 22 तारीख को मीटिंग हुई थी टेक्निकल कमेटी की उसको यह सौंपा गया है लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

क्या माननीय मन्त्री को इस सदन के सदस्यों की इस भावना का पता है कि वे यह चाहते हैं कि हिन्डालको के साथ पहले जो भी समझौता हुआ है उसे खत्म कर दिया जाय और इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री जी हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण --

हिन्डालको के नेशनलाइजेशन का प्रश्न केन्द्र के अधिकार की बात है, प्रदेश के अधिकार की बात नहीं है और माननीय सदस्यों की जो भावना यहां व्यक्त होती है वह शासन के समक्ष हमेशा रहती है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

वित्त मन्त्री ने यह कहा कि हिन्डालको केन्द्र का विषय है तो इस सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री केन्द्रीय सरकार से इस बात की संस्तुति करेंगे कि सदन की भावना यह है कि इसको नेशनलाइज कर लिया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जो सदन की भावनायें हैं वे जरूर अवगत करा दी जायंगी लेकिन निर्णय केन्द्र के हाथ में है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अभी आपने यह कहा कि सारा मामला टेक्निकल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है तो किस संस्तुति के साथ सुपुर्द किया गया है और 30 जून के बाद क्या बिजली देने का वायदा कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष--

अभी 30 जून तो बहुत दूर है।

श्री हिम्मत सिंह--

यह बता दिया जाय कि टेक्निकल कमेटी को किस संस्तुति के साथ मामला सुपुर्द किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

हिन्डालको 10 मेगावाट बिजली मांग रहा है अपने नये प्लान्ट के लिये। उसको हमने मुख्य अभियन्ता, हाइडिल को द दिया है कि वे इसे देख लें लेकिन इसके साथ यह भी निश्चित है कि 30 जून तक बिजली नहीं दी जायगी और यह भी निश्चित है कि जनरेटिंग कास्ट के नीचे नहीं दी जायगी।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि 30 जून के बाद भी सरकार उनको बिजली देने की कृपा नहीं करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या यह सही है सरकार ने 50 मेगावाट बिजली हिन्डालको को देने का फैसला किया है, और अभी तक उसको कार्यान्वित करना स्थगित रखे हुए हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, ऐसी कोई भूल नहीं हुई ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक तरफ तो प्रदेश में बिजली की कमी है और दूसरी तरफ हिन्डालको ने मांग की है बिजली की, क्या एसी स्थिति में यह संभव हो सकता है कि उनको बिजली देने पर विचार किया जाय ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, यह 'हो सकता है' की बात तो माननीय सदस्य ही सोच सकते हैं । लेकिन बिजली संकट के कारण किसी को मांग करने के अधिकार से रोका तो नहीं जा सकता । निर्णय विद्युत परिषद् पर है, ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं लिया गया कि उनको बिजली दी जाय ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो अतिरिक्त 10 मेगावाट बिजली की मांग की है, क्या यह उन्हीं पुरानी शर्तों पर मांगी गयी है या नई दरों पर उनको बिजली देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण ---

उन्होंने 10 मेगावाट कन्सेशनल रेट पर मांगा है । लेकिन विद्युत परिषद् और वर्तमान शासन उन शर्तों पर बिजली देने के लिये तैयार नहीं है ।

बरेली में श्री जगदीश्वर सहाय, के मकान में पुलिस द्वारा लूट मार का आरोप

** 2---श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर), श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी), श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी), श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 22-3-73 को थाना कोतवाली, जिला बरेली के अन्तर्गत सिविल लाइन में श्री जगदीश्वर सहाय के मकान में पुलिस के एक दल ने जाकर लूट मार की तथा औरतों को अपमानित किया जिसकी शिकायत तार द्वारा मुख्य मन्त्री जी से की है ? यदि हां, तो तत्काल जांच करा के उचित दण्ड पुलिस वालों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जगदीश्वर सहाय, नई कोठी, चौकुला, बरेली का दिनांक 21-3-73 का तार प्राप्त हुआ जिसमें उसी दिन उनके मकान में 100 व्यक्तियों सहित एक दरोगा द्वारा डकैती डालने एवं सम्पत्ति लेकर भाग जाने एवं पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में रिपोर्ट न लिखने के आरोप लगाये गये थे । जांच से ज्ञात हुआ कि जिला टेहरी गढ़वाल में तैनात सब-इन्सपेक्टर जो उक्त मकान के मालिक हैं दीवानी न्यायालय से आदेश प्राप्त करे बिना पुलिस की सहायता लिये कुछ व्यक्तियों के साथ उस मकान का कब्जा लेने गये थे । उक्त आरोपों के आशय की लिखित सूचना थाने पर उसी दिन प्राप्त होने पर उक्त सब इन्सपेक्टर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 147/323/380/395 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया गया तथा विवेचना की जा रही है । चूंकि स्थानीय पुलिस का इस मामले में कोई दोष नहीं पाया गया अतः उन्हें दंडित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, यह बात सही है कि थाने की पुलिस का कोई दोष नहीं है लेकिन जो दरोगा हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उनको निलम्बित किया गया है कि नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक आदमी जो कमिश्नर द्वारा नियुक्त हो गया था, उसको लेकर पजेशन लेने गये थे। इस सम्बन्ध में पूरी जांच जब तक न हो जाय, तब तक किसी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां इन लोगों ने लूट पाट की, तो क्या कमिश्नर महोदय ने लूट पाट कराने के लिये भी आदेश दिये थे? अगर नहीं, तो इन सब व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह भी सही है कि उक्त थाने में यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, सब-इंसपेक्टर महोदय ने उस मकान का पजेशन लेने के लिये कोर्ट में दरख्वास्त दी। उस पर कमिश्नर डिप्यूट हुआ कि उनका सामान निकलवाकर पजेशन दिलायें। जैसी कि सूचना मेरे पास उपलब्ध है, जैसे ही कमिश्नर वहां पहुंचा, उन्होंने आपत्ति की। उनके आपत्ति करने पर भी सामान निकलवाना शुरू किया। वहां उन्होंने कोई लूटमार नहीं की। जहां तक रिपोर्ट दर्ज करने का प्रश्न है, जैसे उन्होंने दर्ज करने का प्रयास किया, वह दर्ज हो गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि घटना का क्या समय था और रिपोर्ट दर्ज कराने का क्या समय था?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

21-3-73 को 2-30 की यह घटना है और यह सूचना 7-45 पर दर्ज हुई।

श्री राम बिलास पांडेय—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि 100 व्यक्तियों के साथ न पहुंचकर कुछ थोड़े व्यक्तियों के साथ वह कब्जा लेने गये। इससे मान्यवर, यह भी मतलब निकल सकता है कि 50-60 व्यक्ति हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं यह जानकारी चाहता हूं कि ऐसे थानेदार के विरुद्ध जिसे शान्ति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गयी है, उसने क्यों कानून को अपने हाथ में लिया, और उसके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह कमिश्नर के साथ गया था और कमिश्नर को कोर्ट के आदेश थे कि सामान निकलवा कर उसे पजेशन दे दें। तो सामान निकलवाने की प्रक्रिया हुई है कोई लूटमार की प्रक्रिया नहीं हुई है और इस तरह से कानून का उल्लंघन नहीं होता।

एक सदस्य—

मान्यवर, इधर भी देखें और हमें समय दें।

श्री राम बिलास पांडेय—

जो सब-इन्स्पेक्टर थे जिसे कमिश्नर के साथ जाने के आदेश मिले थे तो क्या वह विभागीय उच्च अधिकारी से जैसे एस० एस० पी० है या जिलाधीश है उनके आदेश को लेकर गये थे या स्वयं गये थे? यदि नहीं लिये थे, तो तत्काल निलम्बित क्यों नहीं किया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस मामले में वह परमीशन लेकर गये थे या नहीं, यह तो दूसरी चीज है। जब इसकी विवेचना होगी तब मालूम होगा और जब तथ्य सामने आयेगा तब चार्ज लगाया जा सकता

है। सवाल यह है कि मकान का मलिक है उसे अपने तथा बच्चों के रहने, पढ़ने की व्यवस्था करनी है, उसका मकान खाली नहीं हो रहा बावजूद इसके कि कोर्ट से इसको आर्डर मिल गया। मकान खाली कराने के लिये कमिश्नर डिप्यूट होता है और इसके लिये वह वहां गया। पजेशन दिलाने के आदेश मैजिस्ट्रेट ने दिये।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इतने गम्भीर आरोप थानेदार के विरुद्ध हैं तो क्या इसकी विवेचना किसी आफिसर के द्वारा करा रहे हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

अभी तो थानाध्यक्ष ही उसकी विवेचना कर रहे हैं और इन सब-इन्स्पेक्टर पर जब आरोप आवेगा तब किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा लेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी ने बताया कि घटना ढाई बजे की है और रिपोर्ट 5 घंटे बाद लिखी गई, जब कि शहर का वाक्या है और शहर में थाना है जो कि 2 फर्लांग पर है, जैसा कि सुरेन्द्र विक्रम जी बता रहे हैं, तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो तार माननीय मुख्य मंत्री जी को मिला है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जब वह थाना पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट विलम्ब से लिखी गई? यदि ऐसा है तो क्यों?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं तार पढ़े देता हूं—"महोदय, आज दिनांक 21-3-73 को करीब ढाई बजे श्री सुरजन सिंह पाल दरोगा मकान खाली कराने के बहाने मेरे घर पर 100 आदमी लेकर डकैती डाली और मेरा 20 हजार रुपये का जेवर, कपड़ा नगदी लेकर भाग गये और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। नहीं मेरी रिपोर्ट ही उस समय लिखी। अतः तुरन्त उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। श्री जगदीश्वर सहाय, नई कोठी चौकुला।" मान्यवर, जैसे ही यह रिपोर्ट लिखाने गये उस समय 7 के करीब बजा था और उसके बाद ही रिपोर्ट लिखी गई है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित—जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इस बात की विवेचना अलग से की जायेगी कि वह किसके हुकुम से वहां गया, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब न्यायालय के द्वारा कमिश्नर नियुक्त होता है और उसे अपने कर्तव्य पालन में पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो नियम क्या है, मैजिस्ट्रेट के आदेश से पुलिस जाती है, या एस० पी० के आदेश से या स्वयं सब-इन्स्पेक्टर अपने विवेक से कमिश्नर के साथ जाने का नियम है? वह बतायें।

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस की सहायता नहीं ली।

श्री मैनेजर सिंह—

मगर यह तो वकालत कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो घटना घटी इसमें कुल कितना समय लगा और क्या इस बीच में थोने से कोई कर्मचारी वहां पर पहुंचा? और अगर नहीं पहुंचा, तो उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे अगर यह सबूत हो जाय कि उनको सूचना मिल गई थी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ढाई बजे से 6 बजे तक यह प्रक्रिया सामान निकलवाने की चलती रही। जब भीड़ होने लगी तो पुलिस वाले वहां पहुंचे, उस समय चूंकि अंधेरा हो रहा था और पजेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी और पजेशन नहीं दिलवा सके थे तो मकान में रहने वाले सज्जन से उन्होंने कहा कि चूंकि मैं पूरा पजेशन नहीं दिलवा सका हूं यदि आप सामान सुरक्षित रखना चाहें तो भीतर रख सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 6 बजे तक यह चलता रहा और इस बीच पुलिस पहुंच गई और कमिश्नर पजेशन नहीं ले पाये, तो यह रिपोर्ट थाने में किसकी तरफ से दर्ज कराई गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह रिपोर्ट श्री जगदीश्वर सहाय पुत्र श्री लक्ष्मी सहाय ने दर्ज कराई है और पुलिस ने अपनी जी0 डी0 में इन्द्राज किया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आप एफ0 आई0 आर0 पढ़ दीजिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

श्रीमान् इंचार्ज कोतवाली बरेली महोदय, सेवा में निवेदन है कि श्री सुरजन पाल सिंह दरोगा उत्तरकाशी लगभग ढाई बजे दिन के 100 (एक सौ) आदमी लेकर मेरे घर पर चढ़ आये जिस समय कि कोई आदमी घर में मौजूद नहीं था केवल औरतें ही घर में थीं उन्होंने हमारा सब सामान घर से बाहर फिकवा दिया औरतों के मना करने पर भी उन्हें ऊपर से जीने में ढकेल दिया जिससे उनके काफी चोटें आई हैं जेवरात व नकदी व सूटकेस व कपड़े अलमारी में से निकाल कर लूट ले गये। बाद को 10 पन्द्रह औरतों को भी मकान के अन्दर घुसा दिया जिन्होंने साड़ियां व जेवरात बक्सों से निकाल कर ताले तोड़कर लेकर भाग गईं। लोगों के पास लाठियां व डंडे मौजूद थे लगभग 20,000 रु0 का सामान लूट ले गये जिसकी सूची सामान मिलाने के बाद प्रेषित की जावेगी। जगदीश्वर सहाय, पुत्र श्री लक्ष्मी सहाय नई कोठी चौपला बरेली 21-3-73 लेख ज्ञानेन्द्र सहाय, पुत्र श्री जगदीश सहाय नई कोठी चौकुला सिविल लाईन, बरेली पुलिस लाइन के बराबर 21-3-73।

लेखक कां0 क्लर्क राममूर्ति 21-3-73।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह बताया जाय कि यह रिपोर्ट किस समय दर्ज हुई और उसके पहले जब पुलिस पहुंच गई थी तो उसने अपने सामने यह लूटपाट की घटना होने दी क्योंकि एफ0 आई0 आर0 में लूटपाट शब्द लिखा है, पुलिस ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? जब वहां पुलिस ढाई और 6 बजे के बीच में मौजूद थी तो पुलिस ने अपनी डायरी में यह सब लिखा क्यों नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य कहते हैं कि लूटपाट हुई और श्री जगदीश्वर सहाय भी कहते हैं कि लूटपाट हुई लेकिन जब सारा सामान सामने पड़ा था और कमिशन अधिकार लेकर गया था तो उसे लूटपाट कैसे कह सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एफ0 आई0 आर0 में दर्ज है कि लूट ले गये 20 हजार का सामान....

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप कोर्ट की तरह जिरह कर रहे हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कमिश्नर साहब ने जो सामान बाहर निकलवाया उसकी सूची उनके पास है और क्या उसे पढ़ कर सुनायगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

कोई सूची नहीं है और न कोई सूची कमीशन ने अपने पास प्राप्त की है।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

यह मामला उस मकान को अदालत के द्वारा खाली कराये जाने का है लेकिन माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि वहां डकैती हुई, ऐसा तार भी आया। प्रश्न यह है कि कमीशन अदालती आदेश कोर्ट का लेकर गया, तो वह कौन अधिकारी थे जो गये और क्या आदेश थे जिनकी बिना पर खाली कराया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

निम्नलिखित आदेश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो वह लेकर गये थे :

"The D. H. is posted in Joshimath. He has come on leave. If Parwana sent through it will delay the matter as the D. H. will have to come again all way from Joshimath. Hence I feel it proper that a Commission be issued.

Order—5 C is allowed. Issue Commission to Sri pratap Singh Patel Advocate who shall deliver possession to the D. H. of the house in suit in the light of 5 C required within 25 days. D. H. shall pay Rs. 35 to the Commissioner besides expenses but Amin fee shall be laxed.

श्री बंशीधर पांडेय—

एक प्रश्न अब यह उठता है कि कोर्ट ने आदेश दिया कि यह जाकर कब्जा ले लें और उसके लिये कमिश्नर नियुक्त कर दिया लेकिन जब वह गया तो उस को यह पावर नहीं है कि खाली कराने में जब रेजिस्टेंस हो तो वह वहां लूटपाट करायें। क्या कमिश्नर को पुलिस का कार्य भी करने का अधिकार था ? अगर रेजिस्टेंस हुई थी तो उन को तो डी0 एम0 या एस0 पी0 के पास सहायता के लिये जाना चाहिये था, लेकिन बावजूद विरोध के उन्होंने सामान निकलवा दिया।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वह आवश्यकता पड़ने पर डी0एम0 और लोकल पुलिस की मदद ले सकते हैं, वैसे कमिश्नर अपने आप सक्षम हैं कि वह कब्जे की प्रक्रिया करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

व्यवस्था का प्रश्न है, कमीशन तो कोई वकील होता है....

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

जिनकी उस आवास से बेदखली की जा रही थी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी, डकैती हुई। यह मुकदमा डकैती का किस दफा में कायम किया गया और उसमें कौन मुलजिम हैं और क्या उसकी कोई तफतीश हो रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उनको तो अधिकार है कि वह एफ0 आई0 आर0 लिखवा सकते हैं। पूरी विवेचना के पहले कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री शफीक अहमद खां—

मुकदमा कायम हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मुकदमें के अन्दर लिखा है कि उनके विरुद्ध 147, 323, 380, 395 के अभियोग दर्ज कराये गये हैं। यह किसके खिलाफ हुये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सब-इन्सपेक्टर मकान पर गया है और उसके साथी गये हैं, उनके खिलाफ यह अभियोग दर्ज कराये गये हैं।

श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि दरोगा जी बावर्दी अपने निजी मकान के सिलसिले में गये थे तो वह क्यों गये, और जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी और उनकी मदद की, तो क्या सरकार किसी दूसरी एजेन्सी से इन्क्वायरी करायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे इसकी जांच करवा ली जावेगी। जिलाधीश से करवा ली जावेगी।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या थानेदार ने जबरदस्ती मकान पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की है ?

श्री अध्यक्ष—

उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

श्री बंशीधर पांडेय—

कमीशन को फोर्स इस्तेमाल करने का क्या अधिकार है ? मैं पूछना चाहता हूं कि किसी मकान के पजेशन दिलाने में कमीशन को फोर्स इस्तेमाल करने का कहां अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कानूनी प्रश्न है, आप राय पूछ रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

कमीशन ने कमीशन का काम नहीं किया है, उसको फोर्स इस्तेमाल करने का राइट नहीं था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, कमीशन जो एप्वाइंट हुआ था उसको पजेशन दिलाने का अधिकार था और उसमें जो आदमी गया उसने इन्क्वायरी की और अपने अधिकार के बाहर नहीं गया है।

(व्यवधान)....

श्री बंशीधर पांडेय—

कमीशन को यह अधिकार नहीं है।

श्री रामबिलास पांडेय—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 2 बजे से 6 बजे तक क्या होता रहा। दरोगा उसके घर पर थे। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी। बहुत बड़ी भीड़ तब इकट्ठी होती है जब लूट होती है और मारपीट होती है। पुलिस रिपोर्ट होने के पहले ही पहुंच गयी। पुलिस के वहां पहुंचने का क्या कारण था?

श्री अध्यक्ष—

यह 395 क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय—

कमिश्नर ने पुलिस फोर्स इस्तेमाल करके डकैती का काम किया।

मान्यवर, मैं इसका नियम 52 के अन्तर्गत नोटिस देता हूं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डलों में विश्वविद्यालय की मांग

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल और कुमायूं मंडल में उत्तराखंड विश्वविद्यालय के प्रश्न को लेकर गत दो वर्ष में व्यापक आन्दोलन चलाया जा रहा है और विद्यार्थियों द्वारा गढ़वाल बन्द और कुमायूं बन्द का आयोजन गत वर्ष से अब तक दो बार हो चुका है तथा राज्य शिक्षा मंत्री द्वारा फरवरी, 1973 में यह घोषणा की गई है कि गढ़वाल मंडल तथा कुमायूं मंडल के लिए दो अलग-अलग विश्वविद्यालय खोले जायेंगे? यदि हां, तो ये विश्वविद्यालय कब और कहां कहां खोले जायेंगे?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तमदास टंडन)—

सरकार गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में चल रहे आन्दोलन से अवगत है। इन दोनों मंडलों में एक-एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यहां के विद्यार्थियों की मांग है कि ये विश्वविद्यालय नैनीताल और श्रीनगर में खोले जायें और उन्हीं पर सरकार विचार कर रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगा या रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाने का विचार है जैसे आगरा यूनिवर्सिटी।

श्री अध्यक्ष—

जैसी आगरा यूनिवर्सिटी है उस तरह की—दोनों?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

जी हां, दोनों।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

अभी माननीय मुख्य मंत्री ने मुरादाबाद में यह घोषणा की थी कि हर डिवीजन में एक एक यूनीवर्सिटी की स्थापना की जायेगी। क्या रुहेलखंड में यूनिवर्सिटी की स्थापना का सवाल तय कर लिया है ? यदि हां, तो वहां कब तक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जायेगी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

हर मामले पर सरकार गौर कर रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि वे विश्वविद्यालय शीघ्र खोलेंगे। क्या इसी सत्र में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत सी बातें करनी होती हैं। मैं स्वयं चेयरमैन यू० जी० सी० से मिलने जा रहा हूं। ओ० एस० डी० एप्वाइन्ट करने की व्यवस्था शीघ्र हो जायेगी। जल्दी से जल्दी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वहां के स्थानीय लोगों की आवासीय विश्वविद्यालय की मांग थी। इस बात को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि श्रीनगर (गढ़वाल) के अन्दर जो यूनिवर्सिटी बनावेंगे वह आवासीय विश्वविद्यालय बनाएंगे ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

इतनी जल्दी आश्वासन देना तो सम्भव नहीं है। हर बात पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

माननीय मंत्री जी दोनों बातें कहते हैं। एक दफा कहते हैं कि एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाएंगे और दूसरी तरफ कहते हैं कि विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

जब उन्होंने प्रोपोजल दिया तो उन्होंने कहा कि विचार कर लेंगे। उसमें परिवर्तन करना होगा तो कर सकते हैं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी इस बात की सफाई करेंगे कि नैनीताल के लिए तो आपने ओ० एस० डी० एप्वाइन्ट कर दिया लेकिन अभी तक श्रीनगर के लिए नहीं किया गया है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ का मामला है। यदि आप श्रीनगर में रेजीडेंशियल कम एफीलिएटिंग यूनीवर्सिटी खोल दें तो इसमें क्या आपत्ति है ? इस पर भी विचार करेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

यह कहना सही नहीं है कि कुमायूं के लिए ओ० एस० डी० एप्वाइन्ट कर दिया है। सही बात यह है कि दोनों जगह ओ० एस० डी० एप्वाइन्ट किये जायेंगे। वैसे जो विचार आप प्रस्तुत करेंगे उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पिछले दिनों कुमायूं डिवीजन के छात्रों का प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय के प्रश्न को लेकर वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री से लखनऊ में मिला था और दोनों मंत्रियों ने छात्रों को आश्वासन दिया था कि कुमायूं में जुलाई या अगस्त से विश्वविद्यालय की स्थापना कर देंगे और वह विश्वविद्यालय आवासीय होगा ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

यह तो मैं नहीं कह सकता कि वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री से कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला। मैं तो यह कह सकता हूं कि मुझ से कोई नहीं मिला। जहां तक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात है, वह जल्दी से जल्दी कर दी जायगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल मंडल छात्र संघर्ष समिति की ओर से सरकार को नित्य प्रति ऐसे तार मिल रहे हैं कि अगर इसी सत्र में विश्वविद्यालय नहीं खुला तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा नहीं शुरू होने देंगे ? यदि सरकार को ऐसे तार मिल रहे हैं, तो वह क्या निर्णय ले रही है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन---

मान्यवर, विचित्र परिस्थिति इस मायने में है। तार का तांता लगा हुआ है लेकिन उन पर किसी के दस्तखत नहीं होते। उन तारों का कितना महत्व है यह मेरे लिए कहना संभव नहीं।

श्री हरी सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---

कुमायूं विश्वविद्यालय की बात लम्बे अर्से से चली आ रही है। एक-एक लाख रुपया बजट में सेंक्शन हुआ है और यू० जी० सी० की भी रिपोर्ट है। सरकार ने भी घोषणा की है कि एक विश्वविद्यालय कुमायूं में और दूसरा गढ़वाल में खोलेंगे। जब बजट में भी रुपया रख दिया तो इन यूनीवर्सिटी को खोलने में क्या दिक्कत है ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन---

पहले पर्वतीय क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय खोलने की योजना थी। लेकिन बाद में यह आवश्यकता महसूस हुई कि दो विश्वविद्यालय खोले जायं तो उसी हिसाब से इन्तजाम किये जा रहा है और शीघ्र ही दोनों विश्वविविद्यालय खुल जायेंगे।

श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह ज्ञात है कि आगरे में जो कन्वोकेशन हुआ था उसमें वित्त मंत्री जी पधारे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि अल्मोड़ा, पिथोरागढ़ और नैनीताल महाविद्यालयों की स्थगित परीक्षाएं कुमायूं का नया विश्वविद्यालय खुलने पर की जायंगी ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

मेरे लिए यह कहना सम्भव नहीं कि वित्त मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया। उनका मेरे पास रिकार्ड नहीं है। जहां तक मेरी नालेज है उन्होंने ऐसा आश्वासन नहीं दिया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

अध्यक्ष महोदय, आप आगे के प्रश्नों को लें। यह तो एक तरह से बहस कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं मांग रहे हैं। अगर यही होता रहा तो आगे के प्रश्न रह जायेंगे।

चीनी मिल मजदूरों की हड़ताल तथा उससे हानि

*2---श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के 82 हजार चीनी मिल मजदूरों ने 8 मार्च, 1973 को अपनी मांगों के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल की? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं एवं हड़ताल से कितने की हानि हुई है ?

श्रम उप मंत्री (श्री सोहन लाल धुसिया)—

केवल तीन मिलों में 1,582 श्रमिकों ने हड़ताल की थी। मांगों की सची सदन के पटल पर रखी है। केवल एक मिल में उत्पादन न होने से 850 क्विन्टल शक्कर उत्पादन की हानि हुई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 721 पर)

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

जो मांगे उन मजदूरों की थीं उनके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री सोहन लाल धसिया—

उनकी मांगों का संबंध केन्द्रीय सरकार से था। उन पर केन्द्रीय सरकार को ही फैसला लेना होगा।

श्री रामगोल संड (जिला इलाहाबाद)—

क्या इस सरकार ने भी उन मांगों के संबंध में अपनी कोई संस्तुति केन्द्रीय सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

इस वक्त मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

जब हड़ताल का नोटिस सरकार को मिला तो क्या सरकार की ओर से उन मजदूरों की यूनियनों के साथ निगोसिएशन्स की कोई प्रक्रिया अपनायी गयी ? हड़ताल रोकने के लिये कोई प्रयास किया गया ? यदि हां, तो वह क्या प्रयास किया गया ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

सरकार की ओर से हर सम्भव प्रयास किया गया और उसी का फल यह था कि केवल 23 में से 3 में ही हड़ताल हो सकी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इन तीन में सफलता क्यों नहीं मिली ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

उनकी मांगे अमान्य थीं, इसलिये सफलता नहीं मिली।

श्री बलबीर सिंह—

चीनी तो केन्द्रीय विषय है, यह ठीक है। मगर इनके श्रम विभाग का भी तो कोई काम है। क्या इनके श्रम विभाग ने कोई सिफारिश केन्द्र से की है कि इनकी यह यह मांग उचित है इसको मान लिया जाय ?

श्री सोहन लाल धुसिया—

जो चीजें इस सरकार के करने की हैं उन पर यह सरकार अवश्य कार्यवाही करती है।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 8 मांगें मुख्यतः उनकी हैं, उनमें से कितनी मांगें राज्य सरकार से संबंधित हैं ? जसे एक मांग यह भी है कि सेवा कर रहे कर्मचारियों के आश्रितों को वहीं सेवा में प्राथमिकता दी जाय ? उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सोहनलाल धुसिया—

यह प्रथा तो बहुत पहले से ही है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके घर वालों को प्राथमिकता दी जाय।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० द्वारा कथित लाठी चार्ज

*3—श्री रामगोपाल संड तथा श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दिनांक 6–3–73 को 11 बजे पुलिस तथा पी० ए० सी० बुलाई गई तथा विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों किसकी आज्ञा से पुलिस ने विश्वविद्यालय में लाठी चार्ज किया तथा कितने विद्यार्थी घायल हुए हैं ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

दिनांक 6 मार्च, 1973 को उप कुलपति के कहने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० गई थी जब विद्यार्थी हिंसात्मक कार्य में व्यस्त थे व उपकुलपति का घेराव किये हुए थे तथा कक्षाएं बन्द करा चुके थे। विद्यार्थियों पर न तो लाठी चार्ज किया गया न कोई विद्यार्थी घायल हुआ।

श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार को पता है कि विद्यार्थियों ने इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया था कि विश्वविद्यालय में एक स्थायी उप कुलपति हो और उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाय ? यदि हां, तो उस विषय में मंत्री जी को क्या कहना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सिर्फ इतना ही नहीं था ये चाहते थे और ज्यादा। इनकी बहुत सी तरह तरह की मांगें थीं। जो गवर्नर साहब 4 तारीख को आने वाले थे, उनको ये काले झण्डे दिखाने वाले थे और जो विद्यार्थी का निष्कासन हुआ था, उसका विरोध किया था और उन्होंने एलेक्शन नहीं होने दिया था, और भी मांगें थीं जैसे बिना हाजिरी का विचार किये हुए लड़कों को इम्तहान में बिठाया जाए। तो इन बातों को देखते हुए और कुछ बातों की रोकथाम के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया था।

श्री रामकिशोर शुक्ल—

राज्यपाल तो 4 तारीख को आये थे और यह घटना तो 6 तारीख की है, फिर यह कहना कि राज्यपाल को काले झंडे दिखाने के कारण यह हुआ यह असत्य है। राज्यपाल के सामने तो कोई उपद्रव नहीं हुआ। उसके बाद उपद्रव हुए, तो वे उपद्रव कहां-कहां हुए, जिसमें पी० ए० सी० बुलाना आवश्यक हो गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

यह प्रक्रिया तो 3 तारीख से ही छात्रों ने शुरू कर दी थी और यह एक प्रि-अरेंज्ड, प्लान्ड लड़कों की तरफ से था।

श्री अध्यक्ष—

4 को राज्यपाल आकर चले गये और 6 तारीख को घटना घटी तो इसे बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

4 को राज्यपाल को जाना था, 3 को ही लड़कों ने यह किया, स्कीम बनाई कि 4 को यह यह उपद्रव करने हैं। जबकि दफा 144 लगाई गई, 3 को भी तो यह गड़बड़ी थी उसी संबंध में ही बाद में यह हुआ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या यह सही है कि छात्रसंघ के पदाधिकारी छोटी छोटी दो मांगों को लेकर राज्यपाल से मिलना चाहते थे, क्योंकि राज्यपाल ने पहले रेडियो पर कहा था कि प्रयाग वश्वविद्यालय को स्थायी उपकुलपति दे दिया जाएगा? और जब वे केवल मिलना ही चाहते थे तो छात्र नेताओं में से दो को क्यों पकड़ लिया गया था? और 4 तारीख को तो राज्यपाल आकर चले गये थे और 6 तारीख को वद्यार्थियों ने शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया तो उन पर बेंत चलाए गए और कई .वद्यार्थी गिरफ्तार किये गये? यदि हां, तो गिरफ्तार छात्रों के नाम क्या हैं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कुल 29 लड़के .गरफ्तार किये गये, उन सबके नाम बताना तो मुश्किल है।

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बात को देखते हुए कि राज्यपाल छात्रों से मिलना चाहते थे और वह बेचारे तो गांव गांव में और हैं दूरस्थ गांव में जनता तक जा रहे हैं, तो इलाहाबाद ऐसे मुख्य नगर में राज्यपाल से विद्यार्थियों को मिलने से क्यों रोका गया? उनके साथ क्यों बल प्रयोग किया गया?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

किसी को चोटें नहीं आईं। कोई उनसे नहीं मिलना चाहता था, वे लोग उन्हें काले झण्डे दिखाना और उपद्रव करना चाहते थे।

श्री रामगोपाल संड—

लाठी चार्ज हुआ, 29 आदमी पकड़े गये, उन्हें चोटें लगीं, बेंत चले और यह कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री बलबीर सिंह—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल जी तो 4 तारीख को वहां पहुंच गये तो यह जो प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, वह किस तारीख का है? यदि 6 तारीख को हुआ, तो मंत्री जी ने जो कहा वह बिलकुल गलत है। मंत्री जी वास्तविक स्थिति बताएं?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, 9 विद्यार्थी गिरफ्तार हुए हैं 107, 117 व 114 जाब्ता फौजदारी में, 20 विद्यार्थी गिरफ्तार हुए हैं, धारा 143, 336, 332 व 341 भारतीय दंड .वधान में एवं एक धारा 7 के अन्तर्गत।

श्री बलबीर सिंह—

मेरा सवाल यह है कि 6 तारीख को काले झंडे दिखाने का सवाल नहीं था तो 6 तारीख को क्यों मारपीट और गिरफ्तारी हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

कुछ 4 तारीख को और कुछ 3 तारीख को गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ गिरफ्तारियां 6 तारीख को भी हुई हैं।

श्री बलबीर सिंह—

मेरा प्रश्न था कि 6 तारीख को क्यों गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जो गड़बड़ी कर रहे थे, आन्दोलन कर रहे थे इसलिए गिरफ्तारियां हुई हैं।

हमीदपुर जिला आजमगढ़ में बलात्कार तथा खेत उजाड़ने की शिकायतें

*4—श्री राम बिलास पांडय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला अन्तर्गत ग्राम हमीदपुर, थाना-घोसी में 6–3–73 को राम वती एक अबोध बालिका के साथ बलात्कार हुआ है औ उससे उत्पन्न भयानक स्थिति को काबू करने हेतु जब पी0 ए0 सी0 पहुंची तो पी0 ए0 सी0 ने अल्पसंख्यकों के पचास। बीघा खेत उजड़ा दिये? यदि हां, तो उस पर तत्काल सरकार ने क्या कार्यव ही की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दिनांक 6–3–73 को ग्राम हमीदपुर, जिला आजमगढ़ के पास रामवती नामक एक बालिका के साथ अल्पसंख्यक संप्रदाय क दो लोगों द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना की सूचना दिनांक 7–3–73 को थाना घोसी पर प्राप्त हुई जिसके आधार पर धारा 376 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ व विवेचना प्रारम्भ की गई।

उक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही 7–3–73 की रात में क्षेत्राधिकारी तथा पी0 ए0 सी0 घटना स्थल पर भेजे गये जो 8–3–73 को वहां पहुंचे। बलात्कार की कथित घटना के संदर्भ में 8–3–73 को कुछ लोग बदला लेने की भावना से जमा हो गए। सूचना पाकर हमीदपुर में उपस्थित क्षेत्राधिकारी ने पी0 ए0 सी0 की मदद से भीड़ का पीछा किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। भीड़ के शेष लोगों ने भागते हुए कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाया और कुछ कटी फसल उठा भी ले गये। इस संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 143/427/379 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया है। पी0 ए0 सी0 ारा खेत उजड़वा दिये जाने की बात सही नहीं है।

श्री राम बिलास पांडेय—

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर बहुत साफ नहीं है। यह नहीं बताया गया कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि डाक्टरी रिपोर्ट क्या है और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या दो बार उसकी डाक्टरी करवायी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये एक अबोध बालिका पर बलात्कार हुआ। इसके लिये अनशन सीधा नहीं है। हुआ या नहीं हुआ वह जानना चाहते हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसमें जैसा कि माननीय सदस्य ने यह पूछा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या है वह रिपोर्ट आप कहें तो पढ़ दूं ।

श्री अध्यक्ष—

हां, पढ़िए ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसमें कनफर्म नहीं है कि यह बलात्कार किया ही गया । दो बार जांच करायी गयी और दोनों बार कनफर्म नहीं हो पाया ।

श्री राम विलास पांडेय—

दूसरी रिपोर्ट क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

आप सुना दीजिये ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

"For vaginal examination-hymen intact, does not bled on touch, not Congested, vaginal Smear taken."

इतना है । बिलकुल क्लियर नहीं है ।

अध्यक्ष—

गुप्तांग के ऊपर कोई इंजरी नहीं मालूम होती है ।

श्री राम विलास पांडेय—

7 तारीख को कांड होता है । उत्तर देते हैं कि 7 को ही पी0 ए0 सी0 आजमगढ़ से हमीदपुर रवाना कर दी गयी और 8 तारीख को पहुंचती है । मैं जानकारी चाहता हूं कि आजमगढ़ से हमीदपुर की दूरी क्या है? जब यह जानते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ है, तो कितनी दूरी है जो पहुंचने में इतनी देर हुई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एग्जैक्ट डिस्टेंस माननीय सदस्य को मुझसे ज्यादा मालूम होगा । वहां की पुलिस होगी, उन्होंने देखा कि माब इकट्ठा हो रहा है, उन्होंने डिमांड की । तब पी0 ए0 सी0 तत्काल भेजी गयी ।

श्री राम विलास पांडेय—

आजमगढ़ से हमीदपुर 25 मील है । खाली सड़क है । 7 को आदेश देते हैं और पी0 ए0 सी0 8 को पहुंचती है । सही बात यह है कि पी0 ए0 सी0 की मौजूदगी में अल्प संख्यकों के 50 बीघे खेत उखाड़े गये और उनके खलिहानों से फसलें उठा ली गयी । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इतिला है कि यह फसल पी0 ए0 सी0 के पहुंचने पर या उसके पहुंचने के बाद फसल उखाड़ी जा रहीं थीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, यह बात तो सत्य से परे है कि पी0 ए0 सी 0 ने फसल उखाड़ी लेकिन वहां जो एक माब इकट्ठा हुआ था उसने फसल को नुकसान पहुंचाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और विवेचना चालू है ।

श्री राम बचन (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात कि है आजमगढ़ जिले में ऐसा ही एक कांड सजनी में हुआ था जिस

अल्प संख्यक लोगों के साथ बलात्कार हुआ था और अब यह हमीरपुर में भी हुआ था। तो क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना है कि आजमगढ़ में एक ऐसा दल सक्रिय है जो हिन्दू मुसलिम दंगें और साम्प्रदायिकता फैलाने में सक्रिय कार्य कर रहा है और क्या मंत्री जी उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस तरह की कोई दरख्वास्त हो इसकी सूचना तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मामले को भ दिखलवा लिया जायगा। अगर माननीय सदस्यों का सहयोग रहे तो शासन और पुलिस ऐसे लोगों से पूरी तरह से निपटने में सक्षम हैं।

बलिया के अधिकारियों की जीप से छात्र की मृत्यु तथा कथित निलम्बन की मांग

*5—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित), श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 8-3-73 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बलिया आगमन के अवसर पर सीमा प्रभारी अधिकारी और परगनाधिकारी बलिया के श्री रमेश चन्द्र दीक्षित की तीव्र गति से जाती हुई जीप से राजकीय इन्टर कालेज के छात्र, श्री अनन्त कुमार को गम्भीर चोटें आईं और इस घायल की मृत्यु राजकीय चिकित्सालय बलिया, में 9-3-73 को हो गई जिससे क्रोधित होकर छात्रों ने एक विराट जुलूस निकालने, और संबंधित अधिकारियों को हटाने, निलंबित करने व दंड देने की मांग की है ? यदि हां, तो संबंधित घटना क्या है और छात्रों के मांग की संबंध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय दिनांक 8-3-73 को बलिया सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पर 12 बजे दिन के पूर्व पधारे थे जबकि प्रश्न में उल्लिखित जीप दुर्घटना उस दिन लगभग साढ़े छः बजे शाम को उस मार्ग पर हुई जिस ओर श्री राज्यपाल के जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था।

थाना कोतवाली, बलिया पर दिनांक 8-3-73 को 7.45 बजे शाम को श्री सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार, सीमा विवाद, बलिया ने लिखित सूचना दी कि उसी दिन जब वह सीमा विवाद के संबंध में उदई क्षपरोस, श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल, नायब तहसीलदार, हलधी के साथ एक सरकारी जीप, जिसको राम सुन्दर ड्राइवर चला रहा था, पर लौट कर तहसील कालोनी होते हुए श्री रमेश चन्द्र दीक्षित, परगनाधिकारी बलिया से सीमा विवाद के संबंध में बातचीत करने जा रहे थे, लगभग 6.30 बजे शाम को जैसे ही जीप सहायक अभियन्ता रेलवे के बंगले के सामने पहुंची, आनन्द कुमार नामक एक लड़का दो बड़ी बसों के बीच से एक एक आनी साइकिल पर आ निकला और ड्राइवर के जीप रोकने के प्रयत्न के बावजूद उस लड़के को चोटें आ गईं तथा वादी ने यह भी सूचित किया था कि उस लड़के को उसी समय सदर अस्पताल में भरती करा दिया गया।

इस सूचना के आधार पर थाने पर धारा 279/337, भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया तथा ड्राइवर और जीप को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। बाद में उस लड़के की मृत्यु दिनांक 9-3-73 को सुबह अस्पताल में हो गई। लड़के की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाने पर दर्ज मुकदमे को 9-3-73 को धारा 279/304-ए, भा० दं० वि० में तरमीम किया गया। मुकदमे की विवेचना हो रही है।

इस घटना के संबंध में कुछ छात्रों ने एक जुलूस अवश्य निकाला था परन्तु उन छात्रों ने जिला मैजिस्ट्रेट, बलिया को न तो कोई मांग-पत्र दिया और न ही मौखिक रूप से कोई मांग की। अतः उस संबंध में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना साढ़े 6 बजे हुई थी और जिस जीप से उसकी मृत्यु हुई थी क्या वही जीप उसको थाने ले गयी थी या जनता लेकर के गयी थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर जो नायब तहसीलदार उस पर बैठे हुये थे वही उसे सदर अस्पताल में भरती कराकर आये ।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो यह बताया कि 6 बजे राज्यपाल का कोई प्रोग्राम वहां नहीं था तो क्या बलिया में 6 बजे उनका प्रोग्राम था या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं यह नहीं कहता कि उनका प्रोग्राम नहीं था लेकिन जहां यह दुर्घटना हुई है वहां कोई प्रोग्राम नहीं था, न उस मार्ग का प्रयोग था ।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिस जीप से यह दुर्घटना हुई उसका ब्रेक 10, 15 दिन पहले से खराब था, ड्राइवर के शिकायत करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया गया था और ब्रेक खराब रहने पर भी अधिकारियों ने उस जीप को इस्तेमाल किया और परिणाम यह हुआ कि ड्राइवर द्वारा जीप रोकने पर भी जीप रुकी नहीं और लड़के को चोट लगी तथा उसकी मृत्यु हो गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जीप और ड्राइवर दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है । लिहाजा माननीय सदस्य के आरोप की जांच भी कर ली जायगी ।

श्री त्रिलोक चन्द—

जीप से दुर्घटना हुई लेकिन लड़के को कोई अधिकारी लेकर नहीं गया जिसके कारण अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, मुर्दाबाद के नारे लगाये गये लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया । इस सब के बावजूद वहां के अधिकारियों ने घटना को दबाने की कोशिश की । क्या सरकार इस सम्बन्ध में सी० आई० डी० की जांच करायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह कहना कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की यह ठीक नहीं है, लेकिन जांच हो रही है और जांच में कोई कमी नहीं रहेगी ।

सी० एल० एम० इन्टर कालेज जानी, मेरठ में अध्यापकों की भूख हड़ताल

*6—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सी० एल० एम० इन्टर कालेज जानी, मेरठ के अध्यापक दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 से अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जी हां। कथित हड़ताल दिनांक दिसम्बर 18, 1972 को समाप्त हो गई। उनकी मांगें निम्नलिखित थीं:—

1—दिसम्बर 1970 से मार्च 1971 तक के अवशेष वेतन का भुगतान करना।

2—वर्ष 1968 से मार्च 71 तक का प्राविधायी धन उनके खातों में जमा करना।

विद्यालय के सभी कर्मचारियों को जनवरी 71 तक का वेतन दे दिया गया है। परन्तु धनाभाव के कारण फरवरी व मार्च 71 का वेतन नहीं वितरित किया जा सका तथा अक्तूबर 68 से मार्च 71 तक का प्राविधायी धन उनके खातों में जमा नहीं किया जा सका। फिर भी उक्त अवधि का मामला अप्रैल 71 अर्थात् वेतन वितरण अधिनियम से पूर्व का है इसलिये उसका उत्तरदायित्व प्रबन्ध समिति पर है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी तथा श्री अनन्तराम जायसवाल—

(माननीय सदस्य की प्रार्थना पर 11 वें बृहस्पतिवार के लिये प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*2—श्री हरिवंश सहाय—

(10 वें बृहस्पतिवार के लिये प्र0 सं0 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

श्याम सुन्दरी बालिका विद्यालय बेल्थरा रोड, बलिया में वित्तीय गड़बड़ी

*3—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री बंशीधर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्याम सुन्दरी बालिका विद्यालय बेल्थरा रोड, बलिया में प्रबन्ध की वित्तीय गड़बड़ी के सिलसिले में कागजात 1968 से अब तक जब्त करके आलमारी में अधिकारियों द्वारा बन्द करके रखा गया है और आज तक जांच नहीं हो पाई है? यदि हां, तो जांच न होने का कारण क्या है और क्या तुरन्त इस विद्यालय की वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कराने की व्यवस्था की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

सील्ड अभिलेखों की जांच न होने का कारण यह रहा कि सहायक लेखाधिकारी ने विभाग को सूचित किया कि इन अभिलेखों के सम्परीक्षण में समय लगेगा और उसे किसी अधिकारी की संरक्षता में खुलना और बन्द होना आवश्यक है।

इन लेखों के विशेष सम्परीक्षण हेतु विभागीय सम्परीक्षकों तथा संबंधित अधिकारी को तदनुसार आदेश दे दिये गये हैं।

(बृहस्पतिवार, 5 अप्रैल, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

जिला सूचना कार्यालयों की पुनःस्थापना

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो जिला सूचना कार्यालय सन् 1968 में बन्द कर दिये गये थे उन्हें सरकार फिर से पुनर्जीवित करके अधिकारियों की विधिवत् नियुक्ति करके ठेके

के आधार पर कार्य कराने जा रही है यदि हां, तो क्यों और कैसे ? तथा सरकार उन कारणों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी जिनके आधार पर ऐसी इकाइयां सन् 1968 में बन्द की गई थीं ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

उत्तराखंड के तीन जिलों में जिला सूचना कार्यालय पहले से स्थापित हैं इनके अतिरिक्त प्रदेश के 16 और जिलों में सूचना कार्यालय पुनः स्थापित किये गये हैं। जिला सूचना अधिकारी के पद पर नियुक्तियां, स्थायी जिला सूचना अधिकारियों में से, जो अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर थे, विधिवत् की गई है। ठेके पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

2—1968 में सूचना इकाइयां बचत के प्रस्तावों के अन्तर्गत बंद की गई थीं।

विश्वविद्यालयों के लिये जुडिशियल कमीशन की नियुक्ति

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1970 में विश्वविद्यालय के मामलों में तहकीकात करने के लिये एक जुडिशियल कमीशन नियुक्त किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमीशन की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह स्पष्ट नहीं है कि किस विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी चाही गयी है। 1970 में दो विश्वविद्यालय—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं लखनऊ विश्वविद्यालय की जांच करने के लिये राज्य सरकार ने आयोग नियुक्त किये थे।

इन आयोगों की रिपोर्टों पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और उस समय तक सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा जब तक कार्यवाही पूरी न हो जाये।

*3—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*4—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सिटी मजिस्ट्रेट श्री कालिन्द्री दयाल श्रीवास्तव, देहरादून के विरुद्ध शिकायत

*5—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट श्रीवास्तव के विरुद्ध पद के दुरुपयोग के गम्भीर आरोप जनता की ओर से पिछले वर्ष 1971 व 1972 में लगते रहे तथा उनके फैसलों को डिस्ट्रिक्ट जज से आम तौर पर रद्द करते हुए पिछले 6 माह में अनेकों टिप्पणियां की हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल वर्ष 1972 में श्री कालिन्द्री दयाल श्रीवास्तव, तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून, के विरुद्ध दो शिकायती पत्र, दिनांक 25 मई, 1972 तथा 2 अगस्त, 1972 प्राप्त हुए थे जिनमें इस अधिकारी द्वारा प्रार्थियों के विरुद्ध चल रहे मामलों में न्यायिक अनियमित कार्यवाही करने की शिकायत की गई थी। इन शिकायती पत्रों पर जांच की गई। चूंकि दोनों मुकदमों में अग्रिम कार्यवाही उच्चतर न्यायालय में विचाराधीन है, अतएव इन पर कोई कार्यवाही सम्भव

नहीं है। जहां तक इस अधिकारी के फैसलों के विरुद्ध अपीलों में सेशन्स अदालत द्वारा टिप्पणियां करने का प्रश्न है, वर्ष 1971 में सुनी गई 33 अपीलों में से किसी में भी सेशन्सअदालत द्वारा टिप्पणी नहीं की गई। वर्ष 1972 में सुनी गई 28 अपीलों में से 5 अपीलों में सेशन्स अदालत ने नीचे की अदालत द्वारा अपनाई गई वैधानिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में टिप्पणियां की थीं। चूंकि इन टिप्पणियों में मजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई अवक्षेप पारित नहीं किया गया था, अतएव उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० सिविल सर्विस के पदों पर नियुक्ति

*6—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी, 1971 में उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के पदों की भर्ती हेतु परीक्षा हुई थी इस परीक्षा में कितने व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस आयोग ने छांटा था? क्या सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर इन व्यक्तियों को नियुक्तियां दे दी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को भी नियुक्ति देने जा रही है जिन्हें आयोग ने असफल घोषित कर दिया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस (जुडीशियल) की परीक्षा 24/25 फरवरी, 1971 को हुई थी। लोक सेवा आयोग ने 46 अभ्यर्थियों को छांटा था इनमें से 44 की नियुक्तियां हो चुकी हैं। शेष 2 की नियुक्ति अभी नहीं हो पाई है क्योंकि उनमें से एक के चरित्र एव पूर्ववृत्त का सत्यापन नहीं हो पाया है और दूसरे के बारे में उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त नहीं हुई है। मुंसिफों की भारी कमी के कारण शासन ने आयोग की सहमति से यह निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत तक अंक प्राप्त हुये हैं और जो लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में पास हों, उनको भी नियुक्त कर लिया जाय। ऐसे 35 अभ्यर्थी मिले और इन सभी की नियुक्तियां हो चुकी हैं।

बुन्देलखण्ड तथा मध्य प्रदेश की विकास योजना

*7—श्री रामगोपाल संड—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखंड तथा मध्यप्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये 10 जुलाई, 1972 को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ कोई योजना बनी है? यदि हां, तो यह योजना क्या है? केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार अलग-अलग उस पर कितना खर्च करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

10 जुलाई, 1972 को नई दिल्ली में सेन्ट्रल जोनल काउंसिल की बैठक हुई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त समन्वय समिति बनाई जाय जिसमें योजना आयोग के भी अधिकारी सम्मिलित हों जो समस्त बन्देलखंड के विकास कार्य का समन्वय करें।

सेन्ट्रल जोनल काउंसिल को इस संस्तुति के आधार पर, योजना आयोग द्वारा गठित संयुक्त समन्वय समिति बुन्देलखड के विकास हेतु विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर रही है। अभी कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

फाइनेन्शियल कार्पोरेशन द्वारा प्रदत्त ऋण

*8—श्री रामगोपाल संड—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने अब तक पर्वतीय क्षेत्र में वहां के किन-किन प्रमख व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिये ऋण दिया? यदि नहीं तो इसका मुख्य कारण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा जिन प्रमुख व्यवसायों के लिये पर्वतीय क्षेत्र में ऋण दिये गये हैं, उनके नाम संलग्न सूची में लिखे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 722 पर)

*9—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[8वें मंगलवार के लिये प्र0 सं0 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हाई स्कूल परीक्षा में आयु सीमा

*10—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या गत वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होने की न्युनतम आयु सीमा जो 14 वर्ष निर्धारित थी उसे अवैध घोषित कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके फलस्वरूप इस न्यूनतम आयु सीमा को घटा कर 13 वर्ष करने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित 14 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा सम्बन्धी विनियम को अवैध घोषित कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होने तक हाई स्कूल परीक्षा में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षित बेकारों को रोजगार दिलाने की योजनायें

*11—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के लिये इस समय कौन-कौन सी योजनायें चालू हैं? क्या ये योजनायें केवल विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों तक ही सीमित हैं अथवा सामान्य तथा सभी प्रकार के शिक्षित बेकारों के लिये हैं? इलाहाबाद जनपद में कौन-सी इस प्रकार की योजनायें चालू की गई हैं और किस माध्यम से?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस समय जो विशेष रोजगार कार्यक्रम प्रदेश में चालू हैं उनमें से कुछ केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्य स्तर पर चलाये गये विशेष रोजगार कार्यक्रम हैं तथा कुछ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी विशेष रोजगार परियोजनायें हैं। केन्द्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राइमरी शिक्षा में प्रसार एवं सुधार, ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, सहकारी उपभोक्ता भंडारों का विस्तार, उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमकर्ताओं को वित्तीय सहायता, ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिए डिजाइन यूनिटों की स्थापना तथा वर्तमान राष्ट्रीय मांगों की कमियों को दूर करने एवं केन्द्रीय क्षेत्र की अन्य सड़क प्रायोजनाओं से सम्बन्धित पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विषय में अग्रिम कार्यवाही की योजना सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं उनसे सम्बन्धित प्रायोजना की प्रतियां सदन में पहले ही वितरित की जा चुकी हैं। राज्य के उक्त कार्यक्रमों के बाद में उद्योग विभाग की लघु तथा मध्यम उद्योगों के द्वारा इंजीनियरों को रोजगार दिलाने, गन्ना विभाग की लिंक रोड निर्माण करने तथा अर्थ एवं संख्या प्रभाग की रोजगारी तथा बेरोजगारी

के सर्वेक्षण करने की परियोजनायें भी सम्मिलित की गयी हैं। उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्वतः रोजगार में लगाने के लिये एक परियोजना भी चलाई है। यह योजना कृषि उद्योग निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। कृषि विभाग की तकनीकी व्यक्तियों को स्वतः रोजगार दिलाने की योजना के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं का उद्देश्य, तकनीकी तथा सामान्य शिक्षा प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों और कुशल एवं अकुशल कार्मिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। ये सभी कार्यक्रम राज्य सरकार के संबंधित विभागों (विद्युत स्वायत्त शासन, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, उद्योग, सामुदायिक विकास, गन्ना विकास, शिक्षा, सहकारिता तथा नियोजन विभाग) के माध्यम से चलाये जा रहे हैं।

2—जहां तक इलाहाबाद जनपद में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रश्न है, इस समय राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा उक्त जनपद में कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों की सूची माननीय सदस्य के सूचनार्थ संलग्न है। वास्तव में विशेष रोजगार कार्यक्रमों का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का है। अतएव इनका लाभ इलाहाबाद जनपद के शिक्षित व्यक्तियों को भी मिलना स्वाभाविक है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 723 पर)

*12-13—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[सदन में चर्चा होने के कारण निरस्त]

गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्सट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ द्वारा निर्मित सूक्ष्म दर्शक यन्त्र

*14—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर), श्री मोहम्मद असरार अहमद तथा श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट प्रिसीजन इन्सट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ द्वारा बनाये गये सूक्ष्मदर्शक यंत्र उद्योग निदेशक भंडार, क्रय विभाग, कानपुर द्वारा वार्षिक दर निर्धारण में लिये जाते हैं और क्या यह सही है कि उनके द्वारा बनाये गये सूक्ष्मदर्शक यंत्रों की कीमत दूसरे प्राइवेट निर्माताओं से करीब-करीब दो-सौ से तीन सौ रुपया तक अधिक है? यदि हां, तो निदेशालय इस बात पर किस कारण जोर देता है कि सर्व प्रथम सूक्ष्मदर्शक यंत्र गवर्नमेंट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, लखनऊ से ही खरीदे जायें जब कि उनकी कीमत दूसरों से काफी अधिक है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस फैक्टरी द्वारा उत्पादित सूक्ष्म दर्शक यंत्र उद्योग निदेशालय के सामग्री क्रय अनुभाग द्वारा वार्षिक दर निर्धारण में लिये जाते हैं। चूंकि सूक्ष्म दर्शक यंत्र की कीमत उनकी श्रेणी (क्वालिटी) पर निर्भर रहती है अतः यह कहना ठीक नहीं है कि राजकीय सूक्ष्म उपयंत्र निर्माण-शाला द्वारा उत्पादित सूक्ष्मदर्शक यंत्रों की कीमत अन्य निर्माताओं से अधिक है।

प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता।

गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डलों में संस्कृत विद्यालय

*15—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल तथा कुमायूं मंडल में अलग-अलग कुल कितने संस्कृत विद्यालय किस-किस स्तर के हैं? क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षक का हेड पौड़ी-गढ़वाल में स्थापित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गढ़वाल मंडल में कुल 32 संस्कृत विद्यालय हैं जिनमें से 10 शास्त्री स्तर के, 4 आचार्य स्तर के तथा 18 मध्यमा स्तर के हैं। कुमायूं मंडल में कुल 11 संस्कृत विद्यालय हैं जो सभी मध्यमा स्तर के हैं।

जी नहीं, क्योंकि वहां से सारे प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों पर नियंत्रण रखने में कठिनाई होगी।

पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग स्थापना

*16—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि गत तीन वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जिले से कुल कितने लोगों या समितियों ने उद्योग चलाने के लिये आवेदन पत्र दिये हैं और अब तक कितने लोगों या समितियों को उद्योग चलाये जाने की स्वीकृति मिली है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उद्योग चलाने के लिये स्वीकृति केवल बृहत उद्योगों के लिये आवश्यक होती है। अतः गत तीन वर्षों में बृहत् उद्योग के चलाने के लिये प्रदेश के पर्वतीय जिलों से 9 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिन्हें भारत सरकार को आवश्यक स्वीकृति हेतु भेज दिया गया था। उनमें से 2 को अनुज्ञा-पत्र व एक को आशय पत्र स्वीकृत किया जा चुका है। एक प्रार्थी ने अपना आवेदन-पत्र वापस ले लिया व दो आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष तीन आवेदन-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन हैं। भारत सरकार आवेदन-पत्रों की स्वीकृति गुणावगुण के आधार पर करती है।

प्राप्त आवेदन-पत्रों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की सं०	कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई	अस्वीकृत प्रार्थनापत्रों की संख्या	विवरण
1	2	3	4	5	6
1—	देहरादून ..	5	2	1	2 प्रार्थना-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन हैं
2—	गढ़वाल ..	3	1	1	1 प्रार्थना-पत्र पार्टी ने वापस ले लिया है
3—	नैनीताल ..	1	—	—	1 प्रार्थना-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है
	योग ..	9	3	2	4

जिला बांदा में अवैध शस्त्रों की बरामदगी

*17—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सत्य है कि जिला बांदा में बांदा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो ग्रामों से माह जुलाई, 1972 के प्रथम सप्ताह में अवैध शस्त्रों के विशाल भंडार पुलिस ने बरामद किये हैं ? यदि हां, तो इन शस्त्रों में क्या-क्या हथियार कितनी-कितनी मात्रा में किसके यहां से बरामद हुए और पुलिस ने दिनांक 20-11-72 तक इस संबंध में क्या उचित कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 29/30-6-72 को ग्राम गुरेह, थाना कोतवाली, जिला बांदा तथा ग्राम देवरिया, थाना कोतवाली, जिला बांदा के चार व्यक्तियों तथा सर्वश्री (1) राम सिंह पुत्र श्री शिव बालक सिंह, (2) राम बहादुर पुत्र श्री अन्नू चमार, (3) सजीवन पुत्र श्री राम नाथ चमार (सभी निवासी ग्राम गुरेह) तथा (4) शिव दर्शन पुत्र श्री बदलुआ (निवासी गांव देदरिया) के कब्जे से बरामद शस्त्रास्त्रों के विवरण तथा प्रत्येक मामले में पुलिस द्वारा दिनांक 20-11-72 तक कृत कार्यवाही के संबंध में सूचना निम्नवत् है:—

(1) श्री राम सिंह पुत्र श्री शिव बालक सिंह निवासी गुरेह ग्राम:—

स्टेनगन एक 48 कारतूसों सहित।

पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0 215, धारा 25, आर्म्स ऐक्ट दर्ज किया गया और दिनांक 29-7-72 को मुकदमें में चार्ज शीट लगाई गई। दिनांक 14-11-72 को जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई। दिनांक 15-11-72 को चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई।

(2) श्री राम बहादुर पुत्र श्री अन्नू चमार, निवासी गुरेह ग्राम।

एक राइफल .303 बोर, 462 भरे तथा 8 खाली कारतूस।

पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध सं0 216 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट दर्ज किया गया। दिनांक 29-7-72 को चार्ज शीट लगाई गई। दिनांक 14-11-72 को जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई। दिनांक 15-11-72 को चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित की गई।

(3) श्री सजीवन पुत्र श्री राम नाथ चमार, निवासी गुरेह ग्राम।

एक राइफल व 986 कारतूस।

पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध सं0 217 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट दर्ज किया गया। दिनांक 29-7-72 को चार्ज शीट लगाई गई। दिनांक 14-11-72 को जिलाधिकारी द्वारा मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 15-11-72 को चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित की गयी।

4—श्री शिव दर्शन पुत्र श्री बदलुआ निवासी देदरिया ग्राम:—

1—एक स्टील के बक्से में 788 जिन्दा तथा 8 खाली कारतूस स्टेनगन के।

2—.38 बोर के 6 कारतूस।

3—चार्जर क्लिप—6

4—मैगजीन प्लेट—3

5—एक अदद हैन्ड ग्रिनेड नं0 एच0 सी0-36 मार्क

6—एक हैन्ड ग्रिनेड का फ्यूज

7—एक स्टील के दूसरे डिब्बे में 98 कारतूस आटोमेटिक राइफिल एम0 एम0 762 के

8—50 कारतूस भरे हुए

9—मेंगजीन 303 की एक ।

पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0 218 धारा, 25 आर्म्स ऐक्ट दिनांक 30, जून 1972 को दर्ज किया गया और आवश्यक तफतीस के बाद उसके विरुद्ध चार्ज शीट दिनांक 29-7-72 को मुकदमें में लगाई गई और दिनांक 8-1-73 को न्यायालय में भेजी गई ।

*18—श्री कल्याण सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

डी० सी० ओ० पड़रौना, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*19—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के एक विधायक द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1973 को इस आशय का एक शिकायती-पत्र गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश एवं शासन को दिया गया है कि डी0 सी0 ओ0, पड़रौना, जिला देवरिया ने घूस एवं सिफारिश पर माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 1972 में गन्ना ग्राम सेवकों की नियुक्तियां अवैधानिक ढंग पर किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? क्या उक्त शिकायती-पत्र को सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां,

इस संबंध में गन्ना आयुक्त ने जिला गन्ना अधिकारी, पड़रौना व देवरिया को इस आशय का आदेश दे दिया है कि इस प्रकार की अगर कोई नियुक्तियां अवधानिक ढंग से की गई हैं तो उन्हें वे तुरन्त समाप्त कर दें । इस प्रकार गन्ना ग्राम सेवकों की जो रिक्तियां होंगी तथा इनके अलावा भी जो रिक्तियां हों उनके चयन के लिये तीन सदस्यों की एक समिति बना दी गई हैं । इस संबंध में उप-गन्ना आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), गोरखपुर द्वारा आवश्यक जांच भी की जा रही है ।

शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखियें नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 724 पर)

फर्टिलाइजर फैक्ट्री गोरखपुर में श्री रमाकान्त पांडेय पर चाकू से हमला

*20—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोरखपुर, थाना चिलुवाताल के अन्तर्गत फर्टिलाइजर फैक्टरी में दिनांक 26-12-72 को श्री रमाकांत पांडेय, मंत्री फर्टीलाइजर कारखाना मजदूर यूनियन को दिन दहाड़े चाकू मारा गया ? यदि हां, तो मुलजिमानों के खिलाफ अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित घटना के संबंध में श्री रमाकांत पांडेय, मंत्री मजदूर संघर्ष समिति फर्टिलाइजर कारखाना, गोरखपुर ने श्री टी0 एन0 आर0 एस0 कौशिक, फर्टिलाइजर कर्मचारी व उनके चार अन्य साथियों के विरुद्ध दिनांक 26-12-72 को थाना चिलुवाताल, जिला

गोरखपुर पर एक लिखित रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर उसी दिन थाने पर धारा 147/149/324/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना की गई। उक्त मुकदमें में विवेचना के पश्चात् नामांकित अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट लगा दी गई।

*21—श्री शिवराज सिंह—

(11वें बृहस्पतिवार में ता0 प्र0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के कार्यालय अधीक्षक की सेवा समाप्ति

*22—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़), श्री कृष्ण कांत अवस्थी (जिला सीतापुर), श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़), श्री दर्लासिंगार यादव (जिला आजमगढ़), श्री महराम सिंह, (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के उच्च अधिकारियों ने कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार नियुक्त करने के लिये वर्तमान अधीक्षक की सेवायें बिना किसी कारण के 18-1-73 से समाप्त कर दिया हैं ? सेवा मुक्त किये गये कर्मचारी तथा नये नियुक्त किये गये कर्मचारियों की क्या-क्या योग्यतायें हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भूतपूर्व अधीक्षक की नियुक्ति तदर्थ एवं अस्थायी थी। प्रशासनिक आधार पर एकेडमी के हित में एक महीने का वेतन देकर उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं।

भूतपूर्व अधीक्षक की शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट थी। वर्तमान अधीक्षक की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है, परन्तु इनको राज्य सरकार के सहायता एवं पुर्नवास विभाग में 17 वर्ष कार्य करने का अनुभव है।

भुलभलिया (गोण्डा) में श्री श्यामलाल के घर डकैती

*23—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्याम लाल, पुत्र विदेशी, ग्राम भुलभलिया, थाना कोतवाली, गोंडा के घर दिनांक 9 अप्रल, 1972 की रात को कोई डकैती पड़ी ? यदि हां, तो डकती में कितने डाकुओं को गांव वालों ने घटनास्थल पर पकड़ लिया था और कितने डकैतों को गांव वालों ने पहचाना तथा कितने डाकुओं का पुलिस ने चालान कर दिया और कितने लोगों को चालान नहीं किया ? जिन डकैतों का चालान नहीं किया गया वे कौन हैं और चालान न करने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित मामले की सूचना गोंडा कोतवाली में दिनांक 9-4-72 को सुबह प्राप्त हुयी थी। उक्त सूचना के आधार पर धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना की गई जिसके फलस्वरूप 11 अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेजी गई।

तैयबपुर एटा के लीलाधर द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायत

*24—श्री बंशीधर (जिला रामपुर) तथा श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या मुख्य मंत्री को दिनांक 22-12-72 का कोई प्रार्थना-पत्र श्री लीलाधर, पुत्र चुन्नी लाल, निवासी ग्राम तैयबपुर, कमालपुर, थाना कासगंज, जिला एटा का ग्राम प्रधान के विद्धरु ग्राम प्रधान द्वारा सड़क व खड़िंजा उखड़वाने और हरिजनों को सवर्ण लोगों द्वारा सार्वजनिक

कुएं से पानी न भरन देने जिसकी रिपोर्ट दिनांक 17-9-72 थाना कासगंज, जिला एटा में की गई, प्राप्त हुआ ? यदि हां तो सरकार तथा स्थानीय पुलिस, कासगंज जिला एटा में की गई, प्राप्त हुआ ? तदि हां तो सरकार तथा स्थीनीय पुलिस कासगंज जिला एटा ने अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लीलाधर पुत्र चुन्नीलाल, निवासी ग्राम तैयबपुर, कमालपुर थाना कासगंज का प्रश्न में उल्लखित आशय का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । पत्र में अंकित शिकायतों की जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा गांव में जाकर की गयी तथा जांच से आरोप असत्य पाये गये । दिनांक 17-9-72 को श्री लीलाधर द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट पर स्पृश्यता निवारण अधिनियम की धारा 4/7/10 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत करने विवेचना की गयी तथा अभियोग असत्य पाये जाने के कारण अभियोग में अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अभियोग में दिनांक 29-12-72 को अंतिम रिपोट प्रेषित की गई ।

महाजन इन्टर कालेज चौरी-चौरा, गोरखपुर के कार्यवाहक प्रधानाचार्य

*25—श्री फिरंगीप्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

विधान सभा के प्रश्न संख्या 1, नत्थी (ग), दिनांक 11 जनवरी, 1973 के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालयों की सूची में अंकित महाजन इंटर कालेज, चौरी-चौरा, गोरखपुर, कार्यवाहक प्रधानाचार्य विद्यालय की प्रबन्ध समिति के दो सदस्यों के रिश्तेदार हैं ? यदि हां, तो इनकी किस आधार पर नियुक्ति की गई ? क्या इसकी जांच सी० आई० डी० से करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विभागीय जांच के उपरान्त यह विदित हुआ कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य, प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के रिश्तेदार नहीं हैं । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

खुनियांव, बस्ती में प्राइमरी पाठशालाओं का निर्माण

*26—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र खुनियांव में किन-किन ग्राम सभाओं को वर्ष 1968 से वर्ष 1972 के अन्त तक प्राइमरी पाठशाला के निर्माण हेतु कितना-कितना धन किन-किन तारीखों में दिया गया और उनमें से किन-किन ग्राम सभाओं में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण हो चुका तथा किन-किन ग्राम सभाओं में पाठशाला का निर्माण शेष है । उसका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*27—श्री मोहनलाल कपूर—

[6वें मंगलवार में ता० प्र० सं० 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*28—श्री मोहन लाल कपूर—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

परिगणित तथा जन-जाति के अभ्यार्थियों के लिये पदों का आरक्षण

*29—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन दिनांक 6-7-72 व 26-7-72 के स्वतंत्र भारत के अनुसार 140 स्थान सुरक्षित वास्ते परिगणित जति व जनजाति उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस सब इंसपेक्टर के लिये प्रार्थना-पत्र मैदानी क्षेत्रों के लिये 20 जुलाई, 1972 व पहाड़ी क्षेत्रों के लिये 27 जुलाई, 1972 व बदली हुई तिथि (26-7-72) के अनुसार मदानी क्षेत्रों के लिये 10 अगस्त, 1972 व पर्वतीय क्षेत्रों के लिये 17 अगस्त, 1972 तिथि के अनुसार अंतिम रूप से आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां तो विज्ञापन के अनुसार प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस सब इंसपेक्टर पद के लिये कितने प्रार्थनापत्र परिगणित जाति व जनजाति के जिलावार प्राप्त हुए और कितने उम्मीदवार जिलावार परीक्षा में प्रवेश हुए तथा कितने उम्मीदारों ने जिलेवार सब-इंसपेक्टर पद के लिये क्वालीफाई किया, ? क्या विज्ञापन के अनुसार 140 स्थानों की पूर्ति परगणित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस सब-इंसपेक्टर की कर ली गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नगत विज्ञापनों के द्वारा उस समय सब-इन्सपेक्टरों के रिक्त पदों (140) में से केवल 2 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित किये जाने एवं इसी वर्ग के ही प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जाने की सूचना दी गई थी । अब रिक्त पदों की संख्या बढ़ाकर 177 कर दी गई है जिसमें से 2 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रहेंगे । अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है:—

		प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की संख्या	लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या	साक्षात्कार के लिये क्वाइलीफाई करने वालों की संख्या
अनुसूचित जाति	..	431	401	81
अनुसूचित जनजाति	..	20	13	4

जिलावार विवरण नत्थी में दिया हुआ है।

अभ्यर्थियों का साक्षात्कार चल रहा है अतः प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 725 पर)

*30—श्री हरीसिंह विष्ट—

[6वें मंगलवार में ता0 प्र0 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*31—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[6वें मंगलवार में ता0 प्र032 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

लखनऊ पुलिस कर्मचारियों को पुरस्कार में विलम्ब

*32—श्री राम करन सिंह तथा श्री मुंशीलाल चमार—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना अमीनाबाद, लखनऊ में एफ0 आई0 आर0 नम्बर 50, दिनांक 24 अक्टूबर, 1966 द्वारा 82,000 रुपया की लागत की चोरी की रपट

लिखाई थी जिसकी बरामदगी के लिये श्री गोपाल जी गुप्त ने माल बरामद करने वाले पुलिस कर्मचारियों को इनाम देने के लिये 2,000 रु0 का एक चेक दिया था ? यदि हां, तो किस-किस पुलिस कर्मचारी को कितना-कितना इनाम दिया गया और कब ? यदि नहीं दिया गया, तो अब तक संबंधित कर्मचारियों को इनाम न देने का क्या कारण है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी---

यह सत्य है कि श्री गोपाल जी गुप्त ने लखनऊ जिले के थाना अमीनाबाद में मूल कीमत 21,000रु0 तथा तत्कालीन 55,000 रुपये के मूल्य को तीन अंगूठियों की चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी । चोरी हुए माल के बरामद हो जाने पर श्री गुप्त ने 2,000 रुपये का चेक पुलिस कर्मचारियों को इनाम दिये जाने के लिये दिया था । अधीनस्त कर्मचारियों द्वारा माल की बरामदगी के संबंध में कार्य को दृष्टिगत करते हुए एक निर्णय लिया गया कि श्री गुप्त द्वारा प्रेषित 2,000 रुपये की धनराशि में से केवल 1,000 रुपये की धनराशि को संबंधित पुलिस कर्मचारियों में वितरित किया जाय तथा शेष 1,000 रुपये को श्री गुप्त को लौटा दिया जाय । तद्नुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके सम्मुख दर्शाई गई धनराशि पुरस्कार के रूप में स्वीकृत किये जाने के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं:---

		रुपये
1---सब इन्सपेक्टर श्री बी0एन0 मिश्रा, थानाध्यक्ष, अमीनाबाद	..	400
2---सब-इन्सपेक्टर, श्री निवास सिंह, थाना-अमीनाबाद	..	400
3---हेड कान्सटेबुल, 148 ना0पु0 हबीब अहमद खां	..	200
योग	..	1,000

संबंधित पुलिस कर्मचारियों को । उक्त पुरस्कार विलम्ब से वितरित किये जाने के संबंध में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

*33---श्री लालसा---

[न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सहायक सुपरवाइजर, विद्युत्, बलिया के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायत

*34---श्री दुर्जन (जिला बांदा)---

क्या यह सच है कि श्री हरी प्रसाद कुरील, सहायक सुपरवाइजर, विद्युत् रसड़ा जिला बलिया (उत्तर प्रदेश) को वहां के चार लाइन इन्सपेक्टर विद्युत् ने बुरी तरह मारा-पीटा तथा दुर्व्यवहार किया जिसकी रिपोर्ट हरि प्रसाद कुरील ने 9-10-72 को पुलिस स्टेशन रसड़ा,बलिया में की ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरि प्रसाद कुरील, सहायक सुपरवाइजर, विद्युत् रसड़ा, बलिया ने अपने मारे-पीटे जाने तथा अपने साथ दुर्व्यवहार किये जाने की कोई रिपोर्ट थाना रसड़ा पर दिनांक 9-10-72 को नहीं दी । प्रश्न का अंतिम भाग नहीं उठता ।

झांसी जिले के प्राथमिक विद्यालयों तथा जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद

*35---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों में लगभग दो वर्षों से सैकड़ों अध्यापकों के स्थान रिक्त पड़े हैं जिसके

कारण हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई की हानि हो रही है ? यदि हां तो अब तक अध्यापकों की नियुक्ति न होने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, कुछ पद रिक्त पड़े हैं परन्तु इन स्थानों के भरने के लिये किये गये चयन को न्यायालय मुंसिफी में चुनौती दे दी गयी है। न्यायालय के फैसले तक अग्रिम कार्यवाही स्थगित है।

*36--श्री चन्दमोहन सिंह नेगी--

[9वें शुक्रवर के लिये स्थगित]

*37--श्री राजित राम पांडेय तथा श्री राज बहादुर चन्द--

[निरस्त]

*38--श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह--

[निरस्त]

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को आवास हेतु भूमि की मांग

*39--श्री हरीसिंह बिष्ट--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वतंत्रता की प्रथम रजत जयंती के अवसर पर शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय सुविधा हेतु निः शुल्क भूमि देने की कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या तथा कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

स्वतंत्रता की प्रथम रजत जयन्ती के अवसर पर शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय सुविधा हेतु निःशुल्क भूमि देने की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

*40--श्री बंशीधर पांडेय--

[न्यायिक कार्य से संबंधित निरस्त ।]

*41--श्रीमती राजेंद्र किशोरी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

राजकीय विद्यालयों तथा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*42--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय विद्यालयों में कितने ऐसे अध्यापक तथा अध्यापिकायें हैं जिनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई है और उनको कार्य करते हुए 5 वर्ष से अधिक हो गये हैं परन्तु उनको अभी तक स्थायी नहीं किया है । इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*43--श्री जगदीश गांधी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कितने ऐसे लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनको कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक हो गये हैं किन्तु उनको स्थायी नहीं किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मगलपुरा, मुरादाबाद में श्रीमती कृष्णा देवी तथा रोहताश कुमार की गिरफ्तारी

*44--श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि इलजाम नं0 93 सन् 70 ई0 हस्ब दफा 302 ताजिरात हिन्द थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद में काफी छान-बीन के बाद सन् 1971 ई0 में फाइनल रिपोर्ट लग गई थी इसके बावजूद इस इलजाम में श्रीमती कृष्णादेवी और श्री रोहताश कुमार को 21 नवम्बर सन् 1972 को गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो यह गिरफ्तारी किस अधिकारी ने और किस आदेश पर की और सरकार इस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाई कर रही है ? क्या इस गिरफ्तारी के बाद इस मुकदमें की अब तक चार्जशीट लगा दी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध सं093 सन् 1970 धारा 302 भा0दं0वि0 थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद में साक्ष्य के अभाव में सन् 1971 में अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई थी । परन्तु उक्त अभियोग की विवेचना ए0डी0एम0(जे0) मुरादाबाद की स्वीकृति प्राप्त करके पुनः आरम्भ की गई तथा आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध होने पर दिनांक 21-11-72 को श्रीमती कृष्णा देवी व श्री रोहताश कुमार को काननी अधिकार से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। अब इस मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

*45--श्री देवराम--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर के कर्मचारियों की मांग

*46--श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर में स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री एवं कालेज के प्रधानाचार्य को नवम्बर 1972 से 31 जनवरी, 1973 के बीच अपनी मांगों के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार एवं अधिकारियों ने अब तक कौन सी कार्यवाही की है?

प्राविधिक शिक्षा एवं लघु उद्योग मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)--

कालेज के तथाकथित कर्मचारी संघ ने इस अवधि में एक पैम्फलेट परिचालित की है जिसकी प्रति शासन व कालेज के प्रधानाचार्य को भी प्राप्त हुई है ।

उक्त पैम्फलेट की प्रतिलिपि' जिसमें 41 विभिन्न समस्याओं का उल्लेख है, संलग्न है । कालेज की प्र कीय परिषद द्वारा अपनी दिनांक 8 मार्च, 1973 को हुई बैठक में कालेज तथा उसके कर्म ारियों की समस्याओं पर विचार हेतु एक उप-समिति का गठन कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 728 पर)

श्री राम दुलारे निवासी बटौला, प्रतापगढ़ की हत्या

*47—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलावेंगे कि क्या यह सही है कि श्रीराम दुलारे, निवासी ग्राम बटौला, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ की हत्या 8 जनवरी, 1973 को कर दी गई थी यदि हां, तो उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राम दुलारे निवासी ग्राम बटोली, थाना लालगंज, जिला प्रतापगढ़ की दिनांक 8-1-73 की सुबह हत्या कर दिये जाने की सूचना थाना लालगंज पर उसी दिन सुबह प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना के आधार पर धारा 302 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना जारी है। अभी तक साक्ष्य उपलब्ध न हो पाने के कारण कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

आजमगढ़ में पावर लूम तथा हैंडलूम उद्योग

*48—श्री रामबिलास पांडेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले महीने के सूत के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से आजमगढ़ के पावर लूम तथा हैन्ड लूम बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो इस लघु उद्योग को चलाने हेतु तत्काल सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बेरीनाग-बाड़ेछीना, पिठौरागढ़ मोटर मार्ग

*49—श्री हीरासिंह बोरा—

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में बेरीनाग बाड़ेछीना मोटर मार्ग स्थान सेराघाट तक बन कर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो इस मार्ग को यातायात के लिये क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। यह मार्ग 22 किलोमीटर (गनाई ग्राम) तक यातायात के लिये खुला है। उक्त ग्राम में एक मकान सड़क के बीचों-बीच पड़ गया है, जिसके कारण यातायात 22 किलोमीटर से आगे बन्द है। मकान की अध्याप्ति के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

धर्मपुर (देवरिया) में रग्घू की हत्या

*50—श्री मोतीलाल देहलवी (जिला देवरिया) तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मौजा धर्मपुर थाना पटहेरवा, जिला में देवरिया में 10 जनवरी, 1973 से 20 जनवरी, 73 के बीच एक व्यक्ति की हत्या कुछ लोगों ने साइकिल की चोरी लगा कर, कर दिया और तथा कथित हत्यारे खुद लाश को लेकर थाने पर गये किन्तु पुलिस ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि इस मामले में क्या हो रहा है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 15-1-73 को श्री सत्य नारायण सिंह, निवासी ग्राम धर्मपुर थाना पटहेरवा देवरिया ने थाना पटहेरवा पर इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि 14/15-1-73 की रात में

गांव के रग्घू पुत्र काशी कोरी को वादी की नई साइकिल चोरी करके ले जाते समय गवाहों की मदद से मार पीट कर पकड़ लिया गया और सुबह थाने लाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई ।

इस रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा 380/411/324 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ व उसी दिन विवेचना प्रारम्भ की गई ।

उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के आधार पर थाने की पुलिस ने वादी व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी एक मुकदमा धारा 304 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की जो जारी है ।

शुगर फैक्टरी खजड्डा जिला देवरिया द्वारा क्रय की गयी सामग्री

*51—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश चीनी निगम द्वारा चलाई जाने वाली शुगर फैक्टरी खड्डा, जिला देवरिया में जुलाई, 1972 से जनवरी, 1973 तक कितने का स्टीम पाइप, एगझास्ट पाइप, बतालो, साकिट, फिलंच आदि सामान खरीदे गये और क्या यह सही है कि ये जितने पाइप आदि खरीदे गये वे पहले की अपेक्षा रद्दी किस्म के हैं और फैक्टरी में काम आने लायक नहीं हैं । यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की खड्डा शुगर फैक्टरी में जुलाई, 1972 से जनवरी, 1973 तक रु020,157/00 का, स्टीम पाइप, बटाली, साकेट तथा फ्लैन्ज खरीदा गया । कोई एगजास्ट पाइप नहीं खरीदा गया । यह सही नहीं है कि उक्त सामान रद्दी किस्म का था या फैक्टरी में काम में आने लायक नहीं था ।

प्राइमरी पाठशाला गांव सभा धनेपुर अकबरपुर के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा दरखवस्त

*52—श्री जयराम वर्मा—

द्वितीय सत्र 1972 के 4थे गुरुवार के प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच 20-4-72 और 24-10-72 के बीच किन निश्चित तारीखों में की गई और क्या शिकायत कर्ताओं को जांच के पूर्व सूचना दी गई और कुल हस्ताक्षरी कितने थे उनमें किन-किन लोगों का बयान लिया गया और प्रधान गांव सभा श्री राम केवल पांडेय का बयान भी हुआ या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों और प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने उक्त अवधि में किन-किन तारीखों में संबंधित विद्यालय का निरीक्षण अंकित किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जांच दिनांक 17-6-72 को की गयी । शिकायत कर्ताओं को जांच के पूर्व सूचना नहीं दी गई । शिकायत पत्र में कुल 41 हस्ताक्षरी थे । उन में से एक व्यक्ति श्री राम आसरे वर्मा का बयान लिया गया । प्रधान गांव सभा श्री राम केवल पांडेय ने बयान देने से इनकार कर दिया ।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 6 सितम्बर, 1972 को सम्बंधित विद्यालय का निरीक्षण अंकित किया ।

सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां

*53—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 1969 के अन्तर्गत कुल कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और उनमें से कुल कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो गई हैं और कुल कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होना शेष हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षा 1969 की परीक्षा के आधार पर विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिये कुल 128 अभ्यर्थियों का चयन किया गया जिनमें से अभी तक 120 अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाओं में नियुक्त किया जा चुका है और शेष 8 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है।

गोरखपुर के राजकीय आदर्श विद्यालयों में अध्यापकों की पदोन्नति

*54—श्री फिरंगी प्रसाद बिशारद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया चांज कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कौन-कौन राजकीय आदर्श विद्यालय चल रहे हैं क्या ऐसे विद्यालय दीक्षा विद्यालयों से सम्बन्धित हैं ? यदि हां तो क्या ऐसे आदर्श विद्यालयों के जे0 टी0 सी0 या सी0टी0 अध्यापकों की पदोन्नति क्रमशः सी0टी0 या एल0 टी0 में 5 वर्ष शिक्षण आधार पर हुआ है ? यदि हां, तो कितने लोगों की पदोन्नति हुई ? यदि हां, तो इसका सारा विवरण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बी०टी०सी० प्रशिक्षण से मुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र

*55—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन बेसिक अध्यापकों ने शासन से विशेष परिस्थितियों में बी0टी0 सी0 प्रशिक्षण से मुक्ति के प्रार्थनापत्र सन् 1968 से अब तक भेजे हैं और कितनों को मुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी आयु एवं पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष परिस्थितियों में बी0टी0सी0 में प्रशिक्षित होने से छूट देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

किन किन बेसिक अध्यापकों ने बी0टी0 सी0 प्रशिक्षण से मुक्ति हेतु शासन से प्रार्थना की है इतनी विस्तृत सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं है।

वर्तमान प्राविधान के अन्तर्गत 31 मई, 1960 को निर्धारित शैक्षिक योग्यता वाले जिन अध्यापकों। अध्यापिकाओं की आयु क्रमशः पैंतीस वर्ष और तीस वर्ष की थी और जिनका शैक्षिक अनुभव क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष का था, उन्हें प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने के आदेश हैं।

राजाज्ञा दिनांक 27 मार्च, 1968 द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण योग्यता से छूट दिये जाने की प्रथा जनहित में समाप्त कर दी गई है।

थाना हुसैनगंज लखनऊ के विरुद्ध शिकायतें

*56—श्री शिवराज सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हुसैनगंज थाने के अन्तर्गत अक्टूबर से दिसम्बर, 1972 तक कितने राज्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और क्या उनको गिरफ्तार करने से पूर्व या बाद में संबंधित विभागाध्यक्षों की अनुमति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार अक्टूबर से दिसम्बर, 1972 के बीच केवल एक राज्य कर्मचारी की गिरफ्तारी थाना हुसेनगंज, लखनऊ की पुलिस द्वारा की गई थी । चूंकि जिस समय गिरफ्तारी की गई उस समय तुरन्त शांति भंग की सम्भावना थी अतः पूर्व अनुमति नहीं ली जा सकी । गिरफ्तारी के बाद सम्बन्धित विभाग को सूचना दे दी गई थी ।

*57—श्री शिवराज सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को अक्टूबर से दिसम्बर, सन् 1972 में कुछ राज्य कर्मचारियों की ओर से उक्त थाने के सम्बन्ध में यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसके कर्मचारियों द्वारा जनता को आतंकित किया जा रहा है और इस हेतु उन पर झूठे मुकदमें चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है और उस पर क्या कायवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माह अक्टूबर से दिसम्बर, 72 की अवधि में थाना हुसेनगंज की पुलिस के विरुद्ध केवल उक्त राज्य कर्मचारी के शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे । इन शिकायती प्रार्थना पत्रों में प्रार्थी को परेशान करने, धमकी देने आदि की शिकायतें की गई थीं । शिकायतों की जांच एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा की गई । जांच से शिकायतें सही नहीं पाई गई ।

मसौली बाराबंकी में ताजियादारी के सम्बन्ध में हिन्दू मुस्लिम में समझौता

*58—श्री शेष नारायण शुक्ल (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कस्बा मसौली में वर्ष 1973 में ताजियादारी के सम्बन्ध में हिन्दुओं और मुसलमाने में कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो वह किन-किन अधिकारियों के समक्ष हुआ था तथा उसका पालन हुआ या नहीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-2-73 को पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी एवं ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट के समक्ष थाने पर दोनों वर्गों के लोगों ने जाकर मौखिक रूप से चाचर फाग का जलूस एवं ताजिया निकालने के सम्बन्ध में समझौता की सूचना दी । समझौते के अनुसार हिन्दुओं ने पूर्व नियतसमय के भीतर चाचर निकाला परन्तु मसलमानों ने ताजिया नहीं निकाला ।

जिला गोंडा में थानाध्यक्षों का कथित प्रत्यावर्तन

*59—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के वर्तमान एस0पी0 ने दिसम्बर 1972 से फरवरी, 1972 के मध्य कितने थानाध्यक्षों के विभिन्न आरोपों में थानाध्यक्ष पद से प्रत्यावर्तन (रिवर्ट) किया है तथा उन पर आरोप क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोंडा जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह ने अपने पद का कार्यभार अपने पूर्वाधिकारी श्री रघुबीर प्रसाद पैनोली से दिनांक 10 जनवरी, 1973 को ग्रहण किया।

दिसम्बर 1972 से फरवरी, 1973 के मध्य इन दोनों अधिकारियों द्वारा कोई भी थानाध्यक्ष प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) नहीं किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में आरोपों का विवरण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

म्युनिसिपल स्कूलों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

*60—श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि राज्य सरकार ने उर्दू के विकास के लिये म्युनिसिपल और नगर महापालिकाओं के अन्तर्गत स्कूलों में उर्दू शिक्षा देने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। नगरपालिका नगर महापालिकाओं के ऐसे सभी प्राइमरी स्कूलों में जहां उर्दू पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है वहां एक उर्दू अध्यापक की नियुक्ति कर ली जाय।

*61—श्री हरिनाथ तिवारी तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[11 वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित।]

*62-63—श्री बसंत लाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सालपुर, सुल्तानपुर के चौकीदार के विरुद्ध रिश्वत आदि की शिकायत

*64—श्री उमा नाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 22-2-73 के पत्र के साथ ग्राम सालपुर, थाना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के निवासियों तथा स्थानीय विधायक व ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर से युक्त कोई शिकायती पत्र माह फरवरी, 1973 में शासन को प्राप्त हुआ जिसमें जगदीशपुर थाने के ग्राम सालपुर के चौकीदार के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इत्यादि के गम्भीर आरोप थे ? यदि हां, तो शासन ने उस प्रार्थना-पत्र के आधार पर संबंधित चौकीदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। शिकायती-पत्र में उल्लिखित आरोपों पर पुलिस उप अधीक्षक श्री राम नरायण सिंह द्वारा जांच की गई। जांच के परिणामस्वरूप आरोप प्रमाणित नहीं हुए और निराधार पाये गये। अतः संबंधित गांव चौकीदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

थाना हसनगंज, उन्नाव के विरुद्ध शिकायत

*65—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया यह बताने का कष्ट करेगी कि उन्नाव जिले के अन्तर्गत पुलिस थाना हसनगंज के खिलाफ कोई प्रार्थना-पत्र ग्राम प्रधान मोहान ने सन् 1973 जनवरी में गृह मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को इस आशय का दिया था कि उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है ? यदि हां, तो उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई तथा क्या शिकायतें थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनवरी, 1973 में ग्राम प्रधान मोहान का शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने थाना हसनगंज जिला उन्नाव की पुलिस के विरुद्ध अपने तथा मोहान के कुछ अन्य व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार करने तथा भ्रष्टाचार आदि की शिकायतें की थीं। इन शिकायतों की जांच एक राजपत्रित अधिकारी ने की। जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

*66—श्री माता प्रसाद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

चेयरमैन स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० कानपुर के द्वारा कच्चे माल के कथित परमिट्स

*67—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् 1972 और जनवरी व फरवरी, 1973 में लोहे और दूसरे कच्चे माल मसलन तांबा व जस्ता वगैरह के परमिट्स यू०पी० स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि० कानपुर के चेयरमैन ने खुद ही किन-किन लोगों या कम्पनियों को किस-किस वजन के और कितनी-कितनी कीमत के और किस-किस आधार पर जारी किये?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

यू०पी० स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, कानपुर के चेयरमैन ने स्वयं कोई परमिट जारी नहीं किया।

ड्राइवर एवम् क्लीनर यूनियन टनकपुर का कथित पंजीकरण आवेदन-पत्र

*68—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवर एवं क्लीनर यूनियन टनकपुर, जिला नैनीताल का पंजीकरण करने का आवेदन-पत्र रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के कार्यालय में कब प्राप्त हुआ था और अब तक उपरोक्त यूनियन को क्यों नहीं पंजीकृत किया गया है?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

ड्राइवर एवं क्लीनर यूनियन टनकपुर, जिला नैनीताल का पंजीकरण संबंधी आवेदन पत्र रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के कार्यालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा में उप विद्यालय निरीक्षकों की प्रोन्नतियां

*69—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1973 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन-क्रम) में उप विद्यालय निरीक्षकों में से जो प्रोन्नतियां दी गई हैं उनमें प्रधानाध्यापकीय संवर्ग से प्रति उप विद्यालय निरीक्षक से उप विद्यालय निरीक्षक में प्रोन्नति लोगों को नहीं रखा गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, क्योंकि ज्येष्ठता क्रम के अनुसार वह प्रोन्नति के लिये अर्ह नहीं थे।

*70—श्री शेर सिंह दानू—

[11वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित]

*71—श्री इम्तियाज हुसैन—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

*72—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*73—श्री मदन मोहन मिश्र—

[11 वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित।]

*74—श्री श्री राम कुंवर सिंह—

[11वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित।]

*75—श्री राम कुंवर सिंह—

[11वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित]

सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

*76—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य तथा श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर अक्टूबर, 1972 में सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों के सामान्य स्थानान्तरण में शासन ने जो नीति अपनाई थी उसके अन्तर्गत अनुभाग अधिकारियों के कितने और स्थानान्तरण किये जाने हैं, वह स्थानान्तरण कब तक किये जायेंगे और उन्हें अभी तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सितम्बर/अक्टूबर, 1972 में अनुभाग अधिकारियों के सामान्य स्थानान्तरण के विषय में शासन ने जो नीति अपनाई थी उसके अन्तर्गत ऐसे सभी अनुभाग अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जायेंगे, जिनको एक ही अनुभाग/शाखा में कार्य करते हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है । यह स्थानान्तरण शनैः शनैः किये जायेंगे क्योंकि एक साथ भारी संख्या में स्थानान्तरण करने से कार्य सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है ।

सचिवालय में सहायकों के स्थानान्तरण पर विचार

*77—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस प्रकार स्वच्छ प्रशासन के हित में पिछले वर्ष स्वायत्त शासन सचिव की शाखा से पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत सहायकों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? तो क्या उसी प्रकार अन्य शाखाओं में भी विशेषकर अधिष्ठान और अनुदान संबंधी अनुभागों से सहायकों के स्थानान्तरण करने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सचिवालय की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत सहायकों के किसी निश्चित अवधि के पश्चात् सामान्य रूप से स्थानान्तरण करने की नीति शासन की अब तक नहीं रही है क्योंकि यह समझा जाता रहा है कि यह कार्य-हित में नहीं है । पर इधर शासन इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है कि क्या उक्त नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित है ।

प्रसार अध्यापकों को सामान्य संवर्गों में विलीन करने की प्रार्थना

*78--श्री राम किशोर शुक्ल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971 में शिक्षा निदेशक ने प्रसार अध्यापकों की सेवा दशा तथा पदोन्नति सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करने हेतु शासन द्वारा अनुमोदित शिक्षा पुनर्व्यवस्था समिति की नियुक्ति की थी और क्या समिति ने सिफारिश की कि प्रसार योजना के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों को अलग संवर्ग समाप्त कर उन्हें शिक्षा के सामान्य संवर्गों में विलीन कर दिया जाय जिससे प्रसार अध्यापकों के वेतन-क्रम की असमानता तथा पदोन्नति संबंधी असुविधायें समाप्त हो जायें ? यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति की संस्तुति को अब तक लागू न किये जाने का क्या कारण है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इमलिया (एटा) में चन्द्रपाल का कत्ल

*79--श्री गंगा सिंह यादव (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिपाहीराम, गांव इमलिया का नगला, थाना मारहरा, जिला एटा के पुत्र का कत्ल दिनांक 2-1-73 को 6 व्यक्तियों द्वारा किये जाने पर एफ0आई0 आर0 दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री कमलापति तिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सिपाहीराम के चचेरे भाई दुर्गासिंह ने थाना मारहरा जिला एटा में दिनांक 2-1-73 को 8-15 बजे सायं लिखित सूचना दी जिसके अनुसार उस के भतीजे चन्द्रपाल पुत्र सिपाहीराम का कत्ल होना और उसकी लाश का नगला-गदुआ के पास एक कुएँ से बरामद होना बताया गया। इस सूचना पर थाना मारहरा में एक मुकदमा धारा 302/201 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। इस रिपोर्ट में किसी व्यक्ति को नामांकित नहीं किया गया था। दिनांक 10-1-73 को सिपाहीराम ने विवेचनाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2-1-73 की प्रतिलिपि स्वयं दी जिसमें 6 व्यक्तियों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया था। विवेचना से एक अभियुक्त बहादुर के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका निरन्तर प्रयास करने पर भी अभियुक्त बहादुर गिरफ्तार नहीं किया जा सका, किन्तु साक्ष्य उपलब्ध हो जाने पर उसका चालान मफरूरी में भा0द0 वि0 की धारा 302/201 के अन्तर्गत करने के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

बाराबंकी सतरिख सड़क पर थानाध्यक्ष के पुत्र द्वारा ठेका

*80--श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि वर्तमान इंचार्ज थाना कोतवाली बाराबंकी ने वर्ष 1972-73 में बाराबंकी-सतरिख सड़क पर अपने लड़के विनय कुमार सिंह के नाम मिट्टी सप्लाई व मिट्टी पटाई का ठेका लिया और जिसकी जानकारी आई0जी0 पुलिस को जनवरी, 1973 में कराई गई ? यदि हां, तो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल की अवहेलना करके ऐसा काम करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना कोतवाली बाराबंकी के थानाध्यक्ष ने अपने लड़के के नाम मिट्टी सप्लाई व मिट्टी पटाई का कोई काम 1972-73 में नहीं लिया परन्तु उक्त थानाध्यक्ष के बालिग पुत्र श्री विनय कुमार राय ने, जो अपना अलग व्यवसाय करते हैं, दिसम्बर 1972 में बाराबंकी-सतरिख सड़क पर ठेका लिया था। थानाध्यक्ष ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 को अपने क्षेत्र में पुत्र द्वारा व्यवसाय करने की सूचना नियमानुसार पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को दी। फलस्वरूप पुलिस रेगुलेशन के प्राविधान के अनुसार उनके स्थानान्तरण किये जाने के लिये पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक कार्यवाही कर दी है।

अतारांकित प्रश्न

आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जौनपुर के प्रबन्धक द्वारा धन का दुरुपयोग

1—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा) तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जौनपुर के विद्यार्थियों के शुल्क की आय शत-प्रति शत बैंक खाते में जमा होती थी और उक्त विद्यालय के प्रत्येक प्रबन्धक ने कुछ मास पूर्व जाली व फर्जी वाउचर बना कर बीस प्रतिशत में से तेइस सौ रुपया बैंक खाते से निकालकर उसका अपने निजी कार्य में दुरुपयोग किया और एक भी पैसा विद्यालय के काम में नहीं लगा? यदि हां तो क्या सरकार इस मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्यवाई करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय विकास निगम की स्थापना

2—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास निगम की कब तथा कितनी पूंजी लगाकर स्थापना की गई? 1 जनवरी, 1973 तक कितनी पुंजी सर्वसाधारण से शेयर के रूप में प्राप्त की निगम के संचालक मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्य कौन हैं निगम का प्रधान कार्यालय कहां है, निगम की 1 जनवरी, 1973 तक कितनी बैठकें हुई हैं, निगम के प्रबन्ध संचालक सहित कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी किन-किन वेतन मानों पर नियुक्त हुए हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड का गठन एक संयुक्त खाता कम्पनी के रूप में मार्च, 1971 में किया गया। निगम की अधिकृत पूंजी दो करोड़ रुपये है तथा प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये हैं जो कि पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ही विनियोजित की गई है। अभी तक कोई पूंजी सर्वसाधारण से शेयर के रूप में प्राप्त नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष सहित, निदेशक मण्डल की सूची संलग्न है।

निगम का रजिस्टर्ड कार्यालय, नैनीताल (सचिवालय भवन) पी० डब्लू० डी० विंग में है।

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 1-1-1973 तक 12 बैठकें हुईं। इसके अतिरिक्त दिनांक 29 दिसम्बर, 1972 को निगम की एक सामान्य बैठक भी हुई।

विभाग में प्रबन्ध निदेशक सहित जो वर्तमान अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त हैं उनकी भी सूची संलग्न है। इनके वेतनमान सूची में दिखला दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 731 पर)

3—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

[विस्तृत होने के कारण निरस्त।]

किच्छा–नैनीताल मार्ग पर ट्रक टैक्सी दुर्घटना

4—श्री हरी सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 5 फरवरी, 1973 के दिन किच्छा–नैनीताल मार्ग में किच्छा गोकुल नगर के बीच टैक्सी तथा ट्रक का कोई एक्सीडेंट हुआ है? यदि हां, तो टैक्सी में कितने और कौन-कौन मुसाफिर थे तथा कितने और किस-किस की मृत्यु हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5–2–73 को किच्छा से हल्द्वानी जाती हुई एक टैक्सी तथा हल्द्वानी से आते हुए एक ट्रक में टक्कर होने के कारण एक्सीडेंट हुआ। टैक्सी में (1) श्री ज्ञानचन्द पुत्र शंकर दास, (2) श्री सलामत राय पुत्र शेर चन्द, (3) श्री चन्दन सिंह, सब-इन्सपेक्टर, थाना किच्छा, (4) ड्राइवर महेश उर्फ बलबीर गुप्ता पुत्र जयदयाल, (5) श्री अब्दुल रऊफ पुत्र हाजी अब्दुल रज्जाक तथा (6) श्री गोपीचन्द पुत्र रामजीलाल थे जिनमें से प्रथम 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[5वें सोमवार में ता० प्र० 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

6—डाक्टर भगवत दयाल सिलोबइया—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

7—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

पैलानी ((बांदा) में कत्ल, डकैती आदि की घटनायें

8—श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना पैलानी, जिला बांदा में 1 जून 1972 से 15 फरवरी 1972 तक कतल, डकैती, राहजनी, मारपीट की कुल कितनी अलग-अलग घटनायें घटीं उनमें कितनी थाने पर अंकित की गई और कितनी नहीं कितनी ऐसी घटनायें हैं जिन्हें थाने पर नहीं अंकित किया गया परन्तु बाद में उच्चाधिकारियों द्वारा मौके की जांच करने पर सही पाया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थाना पैलानी जिला बांदा के अन्तर्गत घटित कत्ल की 5 डकैती की 4, राहजनी की 4 और मारपीट की 31 रिपोर्टें थाने पर अंकित की गईं। इनमें से ऐसी केवल एक घटना थी जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट पहले थाने पर अंकित नहीं की गई थी परन्तु बाद में उच्चाधिकारिर्योंयों द्वारा जांच के बाद दर्ज कराई गई।

9—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

कनकपुर (वाराणसी) में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव

10—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले पिण्डरा ब्लाक के कनकपर ग्राम में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के प्रस्ताव पर जिला परिषद् परामर्श-दात्री समिति ने सन् 1971 में ही अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है? फिर भी अभी तक कन्या जूनियर हाई स्कूल नहीं खोला जा सका? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और क्या अगले सत्र से उक्त स्थान पर विद्यालय खोल दिया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बी०एन० बी० इन्टर कालेज, मड़ियाहूं (जौनपुर) की प्रबन्ध समिति

11—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि 31 जनवरी 1973 का कोई शिकायती पत्र संख्या 177 विधायक श्री राम निहोर राय का इस आशय का प्राप्त हुआ कि जौनपुर जनपद में बी० एन० बी० इन्टर कालेज, मड़ियाहूं की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल जून, 1972 को समाप्त हो गया और इस समय कोई वैधानिक समिति नहीं है तथा प्रबन्धक महोदय ने विद्यालय की भूमि बेच ली है? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजकीय हस्तकला कर्मचारियों की नियुक्ति

12—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय हस्तकला को किस तिथि से निर्यात निगम में मिला दिया गया है? क्या राजकीय हस्त कला के सभी कर्मचारी निर्यात निगम में नियुक्त किये गये हैं? 3 वर्ष से 15 वर्ष तक कार्यरत अस्थायी कितने कर्मचारी राजकीय हस्तकला में थे उनमें कितने हरिजन व पिछड़े वर्ग के थे? क्या उक्त 3 वर्ष से 15 वर्ष के सभी अस्थायी कर्मचारियों को निर्यात निगम में स्थायी नियुक्त किया गया है?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सचिवालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विशेष वेतन

13—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में जिन सरकारी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्पेशल पे देती है वह धनराशि कितनी है और उसके बन्द करने पर सरकार कोई विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सचिवालय में जिन अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष वेतन दिया जाता है उसकी धनराशि का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। इनके बन्द करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस की गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 733 पर)

पिथौरागढ़ के राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

14—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिथौरागढ़ के कितने राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को कब से वेतन नहीं दिया जा रहा है और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पिथौरागढ़ जिले के समस्त राजकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों का वेतन माह फरवरी, 1973 तक आहरित किया जा चुका है। माह मार्च का वेतन माह अप्रैल, 1973 में आहरित किया जायेगा।

डिप्टी डाइरेक्टर (शिक्षा), पिथौरागढ़ को ज्ञापन

15—श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि फरवरी, 1973 में डिप्टी डाइरेक्टर (शिक्षा), पिथौरागढ़ आये थे उनको तथा जिला अधिकारियों को पिथौरागढ़ के विद्यालयों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन स्थानीय विधायक द्वारा दिया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय विधायक द्वारा जिला मैजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ को, तथा शिक्षा उप निदेशक, पर्वतीय मण्डल को फरवरी, 73 में तो कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने जिला मैजिस्ट्रेट को दो ज्ञापन 29 जनवरी, 1973 को दिये थे।

प्रथम ज्ञापन राजकीय इन्टर कालेज, कनालीछीना के लिये स्वीकृत स्थायी भवनों का शीघ्र निर्माण कराने तथा कालिज के लिये छात्रावास तथा क्रीड़ा-स्थल की व्यवस्था कराने के बारे में है।

स्थायी भवन के लिये शासन द्वारा 10,72,000 रुपये वर्ष 1971–72 में स्वीकृत किया गया था। अभी तक 6 कमरों की छत पड़ गई है तथा 5 कमरों में फर्श व प्लास्टर भी हो चुका है। इन कमरों में दरवाजे तथा खिड़कियां बननी अभी शेष हैं। इस भवन को यथा सम्भव शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रावास तथा क्रीड़ास्थल के निर्माणार्थ जिला मजिस्ट्रेट तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग से आख्या मांगी गई है।

दूसरा ज्ञापन पिथौरागढ़, जिले के मदकोट, नाचनी, थल, देवलथल व पांगू स्थानों में स्थित राजकीय हाई स्कूलों में स्थानाभाव को दूर करने के लिये दो-दो अस्थायी कमरों की व्यवस्था जुलाई, 1973 के पूर्व कराने से सम्बन्धित है। देवलथल को छोड़कर शेष स्कूलों के लिये अस्थायी शेड बनाने का प्रस्ताव जिला मैजिस्ट्रेट से प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रस्ताव के साथ भवनों के अगणन प्राप्त नहीं हुये हैं, अतः जिला मजिस्ट्रेट से कहा जा रहा है कि वे उक्त पांचों स्कूलों के लिये दो-दो अस्थायी कमरों के निर्माणार्थ नियमानुसार आगणन बनवाकर शासन के विचारार्थ भिजवा दें।

प्रयाग में फर्जी कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही तथा कागजात

16—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार को माह फरवरी, 1973 में प्रयाग में नौकरी के बहाने रुपया ऐंठने वाली किसी फर्जी कम्पनी का पता चला है ? यदि हां, तो क्या मुख्यमंत्री बतलायेंगे कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति कहां-कहां के किस-किस जुर्म में अब तक गिरफ्तार किये गये और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जनवरी, 1973 में इलाहाबाद के थाना दारागंज के अन्तर्गत एक ऐसी कम्पनी का पता चला। इस सम्बन्ध में अब तक निम्न अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं :—

1—सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, गनियालपुर, थाना अहरौला, जिला आजमगढ़।

2—मिठाई लाल, ग्राम रसूलपुर जोसू, थाना थवई, जिला आजमगढ़।

3—अमरबहादुर सिंह, ग्राम थुलरई, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली।

4—अमरनाथ सिंह, ग्राम मुंगवार, थाना जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर।

5—धर्मदास विमल, ग्राम तुलापुर, थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर।

उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 420/406/120बी भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर विवेचना की जा रही है।

*17—श्री पारसनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त फर्जी कम्पनी से सम्बन्धित लोगों के पास से कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं ? यदि हां, तो वे कागजात क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उपरोक्त फर्जी कम्पनी में छापा मारने पर लगभग 1,000 फार्म, जो अभ्यर्थियों द्वारा भरे हुए थे उनके फोटो सहित, लगभग 1,000 से अधिक मनीआर्डर कूपन तथा कुछ भरे हुए व कुछ रिक्त रजिस्टर बरामद हुए।

जिला जौनपुर के ग्रामों में डकैती तथा कार्यवाही

18—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं, नेवढ़िया व जफराबाद थाने में सन् 1972 में किन-किन ग्रामों में डकैतियां हुई कितनी डकैतियों में डाकू पकड़े गये और अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1972 में जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं थाना के अन्तर्गत किसी गांव में डकैती की घटना नहीं हुई। वर्ष 1972 में थाना नेवढ़िया के अन्तर्गत ग्राम चढई टेकहा, ग्राम गुतवन, ग्राम गोला तथा बुद्धिपुर और थाना जफराबाद के अन्तर्गत ग्राम कोतवालपुर, ग्राम वघन्वरा, ग्राम सरसोडा, ग्राम रत्तीपुर तथा ग्राम कचगांव में कुल 9 डकैतियां, प्रत्येक गांव में एक एक पड़ी। इन डकैतियों में से आठ डकैतियों के सम्बन्ध में कुल 70 अभियुक्त गिरफ्तार हुये हैं। डकैती के 9 मामलों में से 5 मामलों में चालान हो चुका है तथा शेष 4 मामलों में विवेचना हो रही है।

अंसदरा (लखनऊ) में प्राप्त विदेशी हथियार

19—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ जनपद के गोसाईगंज थाने के अन्तर्गत स्थित अंसदरा ग्राम में फरवरी, सन् 1973 में बहुत अधिक संख्या में विदेशी हथियार प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने किस देश के निर्मित और कैसे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-2-1973 को लखनऊ जनपद के गोसाईगंज थाना के अन्तर्गत ग्राम सलेमपुर के हद में लोनी नदी के पुल के किनारे सड़क के उत्तर में फार्म श्री उदयवीर सिंह के उत्तर तरफ से एक गड्ढे में 37 हथियार पाये गये जिनमें 28 एकनाली कारतूसी तथा 9 दुनाली कारतूसी बैरल सभी 12 बोर की हैं। उक्त 28 एकनाली बैरल में से 13 पाकिस्तान निर्मित हैं और 15 के ऊपर निर्माता का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। 9 दुनाली कारतूसी बैरल में से एक इटली की, दो बेलजियम की तथा दो इंगलैण्ड की निर्मित हैं और 4 के ऊपर निर्माता का उल्लेख स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा 36 बन्दूक के कुन्दे (बट) तथा 35 चाप भी गड्ढे से बरामद हुये। सभी में जंग लगे हैं और वर्तमान स्थिति में प्रयोग करने योग्य नहीं हैं। अभी तक की जांच से यह पता नहीं चल सका है कि उक्त हथियार कहां से किसके द्वारा किस उद्देश्य से गड्ढे में दबाये गये थे। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। उक्त तिथि को कुछ चरवाहे जानवरों को चराने उधर से ले जा रहे थे। एक जानवर का पैर उक्त गड्ढे में पड़ने से बट का एक भाग भूमि के ऊपर उठ गया और वह दिखाई पड़ने लगा। गांव के चौकीदार को ज्ञात होने पर उसने थाना गोसाईगंज की पुलिस को सूचित किया और उक्त बरामदगी अमल में आई।

गजाधरपुर (बहराइच) में राजकीय लघु माध्यमिक विद्यालय की मांग

20—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बहराइच जिला में गजाधरपुर में राजकीय लघु माध्यमिक विद्यालय खोलने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं।

21—श्री रामनगीना मिश्र—

[10वें बृहस्पतिवार के लिये ता० प्र० स० 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

22—श्री उमाशंकर शुक्ल—

[10वें बृहस्पतिवार के लिये अता० प्र० स० 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कौशलादेवी विद्या मन्दिर गर्ल्स हायर सेकेंड्री स्कूल, कानपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत

23—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री को कौशलादेवी विद्या मन्दिर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, कानपुर, की अध्यापिकाओं, छात्राओं, कर्मचारियों आदि द्वारा अपने भूतपूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध अध्यापिकाओं एवं छात्राओं के शीलभंग किये जाने, भ्रष्टाचार किये जाने तथा अनेकों अन्य अनियमितताओं

की शिकायत दिसम्बर, 1972 या जनवरी, 1973 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी नहीं। अतः उन पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के पी०एम०एस० तथा मेडिकल कालेज के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के संबंध में अग्रेतर चर्चा

श्री अध्यक्ष---

एजेंडे पर आइटम 5 जो डाक्टरों से सम्बन्धित है इस पर आज अग्रेतर चर्चा होनी है। वक्तव्य के भीतर यह चर्चा नहीं हो सकती। मैं यह समझा था कि प्रश्न पूछना जारी रहेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आपने यह कहा था कि इस समय चर्चा उस समय शुरू की जाय जब मुख्य मंत्री रहें और तब स्पष्ट निर्णय लिये जायं। यह कह कर आज की तारीख निश्चित की गयी लेकिन आज भी मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष---

मैं शाम को रखना उचित समझता हूं और उस समय स्पष्टीकरण दे दिया जायगा। शाम को मुख्य मंत्री भी हाजिर रहेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यद्यपि स्वास्थ्य मंत्री जी की मुझ से भेंट हो चुकी है और कुछ उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिये हैं लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण वे अभी नहीं कर पाये। उनको बहुत सी जानकारियां प्राप्त करनी हैं। कल वैसे मैं रहूंगा नहीं। आज सायंकाल आप रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस समय प्रश्न पूछ लिये जायं और जानकारी प्राप्त कर ली जाय।

श्री अध्यक्ष---

तो मैं शाम का समय रख देता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)---

उस दिन जो वक्तव्य हुआ था उसमें तमाम चीजों का उल्लेख कर दिया गया था। यदि माननीय सदस्यों को किसी विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो मैं उसके लिये तैयार हूं। शाम को चर्चा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष---

शाम के लिये मैं रखता हूं। आज तीन चार वक्तव्य हैं। दो दो प्रश्नों की मैं इजाजत दूंगा, ज्यादा प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मुख्य मंत्री जी भी उस समय रहें यह बात न भुला दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जी होंगे उस समय में इसे रखा जायगा और तभी उस पर चर्चा होनी चाहिये। अकेले प्रश्न नहीं होंगे, चर्चा भी होगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, चर्चा अवश्य होनी चाहिए। यह बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आज सबेरे इसे पढ़ा। वास्तव में चर्चा जो है वह शाम को ही हुआ करती है। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ कर किसी वक्त शाम को इसे रख लूंगा।

विविध विषय

श्री राम किशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है प्रश्नों के सम्बन्ध में। मेरे प्रश्न संख्या 78 के संबंध में जो उत्तर दिया गया है उसमें लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मान्यवर, इसे एक महीना हो गया है...

श्री अध्यक्ष—

मैं अपने दफ्तर में इसे देख कर बता सकूंगा।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

श्रीमन्, उर्दू जबान के सिलसिले में आज कई रोज से विधान सभा के सामने हड़ताल चल रही है लेकिन गवर्नमेंट की ओर इस तरफ कोई तवज्जह नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में आप मुझे लिखकर दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, आपने अभी अपना निर्णय दिया कि इस मसले को शाम को पांच बजे लिया जाय। हमारे एस0 एस0 पी0 के नेता, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा गुप्ता जी यह जानना चाहते हैं कि आज 5 बजे आप इस विषय को लें जब मुख्य मंत्री जी भी सदन में रहें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसके बारे में आपको बाद में सूचना दे दूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ लूंगा कि वे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसके अनुसार ही मैं आपको बता दूंगा कि किस वक्त इस विषय को हम ले रहे हैं।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब दे देते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मंत्री जी टालू मिक्चर वाला जवाब दे देते हैं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि भविष्य में ऐसे जवाब मंत्री लोग न दिया करें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, फसल से सम्बन्धित वक्तव्य की प्रति अभी हमें नहीं मिली है। यह कार्यसूची के 8वें नम्बर पर है। इसे हमें दिलाने की व्यवस्था करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो मैं कार्यसूची का नम्बर 6 ले रहा हूं। लेकिन आप को उस वक्तव्य की प्रति मिल जायेगी। वह दे दी जाय।

बहराइच कलेक्ट्रेट में आग लगने के कारण राजस्व, फौजदारी तथा खजाने के अभिलेख जलने के संबंध में वक्तव्य

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह बहुत बड़ा वक्तव्य है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ? अगर आप कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो प्रश्न कर लें ।

[राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

अग्निकांड का विवरण—

बहराइच कलेक्ट्रेट का कार्यालय दो भवनों में है । अंग्रेजी कार्यालय कपूर्थला भवन में है जो पुरानी कलेक्टरी जहां आग लगी उससे अलग कुछ दूर पर है । पुरानी कलेक्टरी की इमारत में न्यायालय, कोषागार तथा राजस्व और न्यायिक संग्रहालय आदि स्थित हैं । इसी इमारत के एक भाग में जिस ओर संग्रहालय और कोषागार स्थित हैं आग लगने की घटना हुई । लगभग 9 बजे संग्रहालय से धुवां निकलते देखा गया और तुरन्त स्थानीय अधिकारियों को सूचना दी गई । कलेक्टर उस समय शीतकालीन दौरे पर थे परन्तु अन्य अधिकारी सूचना पाकर घटना स्थल पहुंच गये और आग बुझाने की कार्यवाही चालू कर दी । इन अधिकारियों में पुलिस अधीक्षक भी थे जिन्होंने तुरन्त फैजाबाद और लखनऊ से सम्पर्क स्थापित करके फायर फाइटिंग यूनिट भेजने के लिये निवेदन किया । पुलिस होमगार्ड तथा नागरिकों द्वारा पानी और रेत फेंक कर आग बुझाने का प्रयत्न किया गया । पानी के टैंक की भी व्यवस्था की गई परन्तु आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उस पर इन प्रयत्नों से काबू न पाया जा सका । इसलिये कोषागार और न्यायालयों के अभिलेख और अन्य सामान को पुलिस, होमगार्ड तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा निकाला गया और सुरक्षित स्थान को ले जाया गया । कोषागार के सिंगिल लाक और डबल लाक में रखे स्टाम्प और अन्य सामान ट्रेजरी आफिसर की उपस्थिति में पुलिस तथा कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया और उसकी सुरक्षा के लिये समुचित पुलिस की व्यवस्था कर दी गई । आग इमारत के और हिस्सों में न जा सके इसलिये दरवाजे, खिड़की और अन्य लकड़ी का सामान बराबर के कमरे से हटा दिया गया और जलने वाले हिस्से की छत से मिली हुई छत को तोड़कर उसे अलग कर दिया गया । लखनऊ से फायर फाइटिंग यूनिट लगभग 12 बजकर 40 मिनट पर पहुंची और उसके कुछ देर बाद ही फजाबाद की यूनिट आ गई । इनकी मदद से आग बुझाने का कार्य पूरा किया गया ।

कलेक्टर जो दौरे पर थे और पड़ताल करके जरवल रोड से लौट रहे थे उन्हें सूचना लगभग 12 बजे जरवल रोड के रेलवे क्रासिंग पर मिली । वे वहां से घटनास्थल को रवाना हुये और लगभग डेढ़ बजे वहां पहुंचे । फायर ब्रिगेड उस समय तक आ चुके थे और वे तथा सभी लोग आग पर काबू पाने में लगे हुये थे और कुछ समय बाद उस पर काबू पा लिया ।

भवन की सुरक्षा

भवन के बीचोबीच सिंगिल लाक तथा डबललाक स्थित हैं जहां रात दिन सशस्त्र संतरी पहरा देता है । इसके अतिरिक्त सायंकाल से सुबह तक एक सशस्त्र सन्तरी भवन के पीछे उत्तर की ओर पूर्व एवं पश्चिम के दोनों कोनों तक गश्त लगाता है । इसके २० गज की दूरी पर ट्रेजरी गार्ड रूम है जहां दिन में खाली हाथ तथा रात में सशस्त्र सन्तरी पहरा देता है ।

[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के अनुसार कोषागार में नियुक्त गार्ड ने कलेक्ट्रेट में धुआं सवा नौ बजे देखा। उनकी रिपोर्ट के अनुसार श्री शिवकमार त्रिपाठी, एकाउन्टेन्ट, जिला परिषद् ने सर्वप्रथम कोतवाली, पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी के (नियोजन) को सूचना दी। उस समय तैनात सन्तरी ने स्वयं किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार सहायक गार्ड कमांडर लैंस कान्स्टेबिल सूरजदीन ने ९-१५ पर शोर गुल से जानकारी होने पर पुलिस लाइन में सूचना दी और उसके बारे में वहां ९-३० बजे प्रातः रिपोर्ट लिखी गई तथा उनके द्वारा भा० दं० वि० की धारा 436 के अन्तर्गत् मुकदमा कायम करके तफसीश की जा रही है। आग के कारणों एवं उससे हानि की जांच हेतु जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी बहराईच को ९-३-७३ को ही आदेश दे दिये थे

आग के लगने की सम्भावना—

कलेक्ट्रेट में आग लगने की संभावना के विषय में तीन कारण हो सकते हैं ो बिज ी के शार्ट सर्किट किसी कर्मचारी की असावधानी या किसी के द्वारा आग लगाया जाना है। मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के अनुसार बिजली की शार्ट सर्किट से आग लगने की सम्भावना नहीं है। संग्रहालयों में वायरिंग कन्ड्यूट पाइयों के अन्दर है। अधिशासी अभियन्ता जल विद्युत विभाग ने भी शार्ट सर्किल से आग लगने की संभावना से इनकार किया है। अतएव दो ही विकल्प रह जाते हैं कि या तो आग असावधानी से लगी या जानबूझकर लगाई गई। सी० आई० ी० पुलिस की जांच में इसके साफ हो जाने की आशा है।

घटना से हानि—

कलेक्ट्रेट भवन का लगभग आधा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तीन कमरों की छतें शहतीरों के जल कर गिरने से पूर्ण तया गिर गई हैं। अन्य कमरों की छतें तथा दीवालें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। भवन की क्षति का अनुमान अधिशासी अभियन्ता ने लगभग डेढ़ लाख रुपये आंका है। किन्तु इससे अधिक अभिलेखों की हानि हुई। राजस्व संग्रहालय का लगभग समस्त, न्यायिक संग्रहालय का ८० प्रतिशत तथा कोषागार का भी अंशतः अभिलेख नष्ट हो गया। कोषागार के डबल लाक था ंिंगिल लाक की सामग्री को घटना के दिन रात्रि में ही पुनः डबल लाक में सुरक्षित पहुंचा दिया गया था और दो डिप्टी कलेक्टरों को इनका सत्यापन करके कोषाधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये थे कि समस्त वस्तुयें पूरी संख्या में वापस पहुंच गई हैं और ोई वस्तु गायब नहीं है। प्राप्त सूचना के अनुसार कोई वस्तु गायब नहीं है।

की गई व्यवस्था—

(1) भवन के क्षतिग्रस्त भाग के चारों ओर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सकें।

(2) शेष अभिलेखों की सुरक्षा तथा उन्हें पुनर्व्यवस्थित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों को आदेश दे दिये गये हैं।

(3) ग्राम स्तर के अभिलेखों में गड़बड़ी रोकने हेतु तहसील संग्रहालयों को फिलहाल सील करा दिया गया है और लेखपालों के पास उपलब्ध चालू बन्दोबस्त की जिन्हें तहसील में जमा कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(4) जिन कमरों में खिड़की, दरवाजे तथा अन्य लकड़ी का सामान उखाड़ लिया गया था उनकी पुन. मरम्मत कराई जा रही है।

इस घटना की सूचना जिलाधिकारी ने शासन और परिषद् को रेडियोग्राम और टेलीफोन द्वारा दिनांक 9-3-73 तथा 10-3-73 को दे दी थी उसी समय टेलीफोन पर उनसे जले हुये अभिलेखों की पूरी सूची तैयार कराने के आदेश दे दिये गये थे और परिषद से किसी उच्च अधिकारी द्वारा तत्काल जाकर रिकार्ड्स की हालत दिखाने हेतु आदेश दे दिये गये हैं।

इस दुर्घटना की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने के लिये शासन के गृह विभाग से 15 मार्च, 1973 को आदेश दे दिये गये तथा एक जांच अधिकारी ने स्थल निरीक्षण कर लिया है एवं कुछ लोगों के बयानात भी ले लिये हैं।]

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अंग्रेजी कार्यालय का क्या अर्थ है, इसे माननीय मंत्री जी समझा दें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

यह पहले का नाम चला आता है और उसे अंग्रेजी कार्यालय कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष—

सम्भव हो तो नाम बदल दीजियेगा।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में माल अभिलेख जलाने की यह तीसरी घटना है और जिसमें कुछ बड़े लोगों के द्वारा करोड़ों रुपये की सरकारी वन सम्पत्ति हजम करने, बहराइच जनपद के खजाने में सम्भावित गबन की चल रही जांच को असफल बनाने तथा माल अभिलेख को पूर्णतः समाप्त करके नक्सलपंथियों तथा कुछ बड़े किसानों द्वारा गरीबों की भूमि हड़प लेने के प्रयास को आधार बना कर जांच सी० बी० आई० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

साथ ही क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के बार एसोसिएशन, नागरिक परिषद् तथा जनपद के नागरिकों का सर्वसम्मति द्वारा पारित प्रस्ताव तथा अधिकांश विधायकों व संसद सदस्यों द्वारा लिखित रूप से यह मांग की गयी है कि उक्त अग्निकांड की जांच केवल सी० बी० आई० द्वारा करायी जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा किये जाने का आदेश दिया जा चुका है। यह वक्तव्य में लिखा हुआ है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जैसा कि अभी माननीय सदस्य बहराइच ने कहा, यह बड़ा गम्भीर मसला है कि सारा अभिलेख जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है जला दिया गया। उसका कारण यह है कि जंगल की जमीन के हजारों रेकार्ड मौजूद थे। उसको जलाने के पीछे यही अभिप्राय था कि जो पुराने जमींदार हैं वे दूसरों के नाम पट्टे कर दें और लाखों रुपये उनसे ले लें। साथ ही करोड़ों रुपये के जो पेड़ हैं उनको कटवाने का अधिकार मिल जाय। दुख है कि कांग्रेस पार्टी के, शासक दल के प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी उसमें शामिल हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि तीन घटनायें हुईं और पुलिस चौकी से एक फर्लांग की दूरी पर स्थित एक वकील का पूरा परिवार नष्ट कर दिया गया। उनके परिवार के लोग चिल्लाते रहे और पुलिस वहां नहीं पहुंची। उसकी जांच सी० आई० डी० को दी गई थी लेकिन उसकी रिपोर्ट अब तक नहीं पहुंची। वहां के असिस्टेंट सर्जन मार डाले गये, लेकिन उनकी रिपोर्ट भी सी०आई० डी० से नहीं मिली। लोकल पुलिस और सी० आई० डी० में एक दूसरे के साथ सामंजस्य कोई नहीं है। तो क्या आप इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा न करा कर किसी ऐसी संस्था से करायेंगे जिससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

सी0 आई0 डी0 और लोकल पुलिस का कोई असर न रहे ? ऐसे मामलों में सी0 आई0 डी0 और लोकल पुलिस को हमेशा असफलता ही मिली है, मैंने अभी मिसाले भी दीं इसलिये इस मामले की गम्भीरता को देखते हुये क्या राजस्व मंत्री जी जनहित में सी0 बी0 आई0 की जांच व्यवस्था करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सी0 बी0 आई0 की जांच का कोई औचित्य नहीं है लेकिन अगर वह सी0 आई0 डी0 की जांच को पसन्द नहीं करते तो हम विजिलेंस से करा लेंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि सी0 बी0 आई0 की जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप इससे सेटिसफाइड हैं तो करा लेंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अगर सही आदमी सामने नहीं आते तो सरकार की सारी सम्पत्ति हज्म हो जायगी। इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आग बहराइच कलेक्ट्रेट के मुहाफिजखाने माल में लगी है उसमें कितने पुराने रिकार्ड जले हैं, किस प्रकार के जले हैं और कोई बचे भी हैं या नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कितने पुराने रिकार्ड इस आग से जले हैं इसकी पूरी तफसील इस समय हम नहीं दे सकते, यदि आप सूचना देंगे और चाहेंगे तो मंगवाकर दे दी जायगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह बहुत जरूरी है, सैकड़ों साल का कितना पुराना रिकार्ड था माल का और जितने पेपर्स थे सब खजाने के जल गये हैं, जब उनके पास अभी तक सूचना ही नहीं है तो उसकी गम्भीरता क्या मंत्री जी समझेंगे और क्या वह जांच का आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह सी0 बी0 आई0 से जांच करायेंगे कि कौन कौन सा रिकार्ड जल गया है। आपका विश्वास सी0 आई0 डी0 पर नहीं है।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मेरे कानों में जो शब्द इस विषय में पड़े हैं उनसे मैंने यह समझा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी विजिलेंस से जांच कराने के लिये राजी हो गये हैं लेकिन वह शायद भूल गये कि विजिलेंस तो केवल करप्शन की ही इन्क्वायरी करता है, क्राइम्स की नहीं। अगर मेरे दोस्तों को तसल्ली नहीं है तो हमारे जो डी0 आई0 जी0, सी0 आई0 डी0 हैं जो बड़े रेस्पेक्टेड, योग्य, इम्पार्शियल व्यक्ति हैं उनसे इन्क्वायरी करा ली जाय।

श्री उदित नारायण शर्मा—

ठीक है, डी0 आई0 जी0, सी0 आई0 डी0 से करा लेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पूरा रिकार्ड कितना जला है, किस प्रकार का पुराना रिकार्ड वह था यह सब सूचना वह आज नहीं तो कल दे दें।

श्री अध्यक्ष—

सूची उस की बनवाने को कहे देते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

जो जमीन एक लाख एकड़ है उसको लेने के लिये किया गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अदालत में रिकार्ड्स का एक गोशवारा होता है उसके अनुसार तमाम रिकार्ड की रिपोर्ट मिल जायगी कि क्या जला और क्या बचा। वह मंगा लें।

श्री अध्यक्ष—

वह क्या आपके पास मौजूद है? नहीं है तो क्या कल तक मंगवा लेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कल तो नहीं, 17 को जब बैठेंगे तब तक मंगा लेंगे।

क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के निर्वाचनों के संबंध में वक्तव्य

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटाने की) नियमावली, 1962 के नियम 4 के उप-नियम (4) व (5) निम्नवत् है:—

4—(4) निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों का संपादन तथा कर्तव्यों का पालन निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश के सामान्य अधीक्षक, निदेश तथा नियंत्रण के अधीन करेंगे।

4—(5) उप नियम (4) के अधीन शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय) विशिष्टतः, नियम 29 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, किसी भी समय निर्वाचन फल की घोषणा में परिष्कार अथवा निर्वाचन की संपूर्ण कार्यवाहियों को अथवा उनके किसी भाग को, जैसा भी आवश्यक हो, रद्द कर सकता है, यदि अभिलेख में निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गई कोई स्पष्ट त्रुटि हो। जहां कि अनुसूची 2 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने के कारण गणना में कोई त्रुटि हो, और ऐसी त्रुटि से निर्वाचन फल के दूषित होने की संभावना हो तो निदेशक, निर्वाचन अधिकारी को निदेश दे सकता है कि वह निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना देकर, पुनः मतगणना करे और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचनफल को परिष्कृत करें। मुहरबन्द पैकेट जिनमें मत-पत्र हों निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और सदस्यों के, जो निर्दिष्ट स्थान, दिनांक तथा समय पर उपस्थित हों, समक्ष खोले जायेंगे।

निर्वाचन निदेशक इस नियम के अधीन स्वतः अथवा अन्यथा कार्यवाही कर सकेगा, और ऐसा कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसके लिए किसी व्यक्ति को कारण बताने हेतु अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

उक्त नियम में दी हुई शक्ति का प्रयोग निदेशक द्वारा किया जाता है व उसके प्रयोग में शासन द्वारा हस्तक्षेप संभव नहीं है। यह शक्ति विधिक (statutory) प्रकार की है, व विधिक प्राधिकारी (statutory authority) को अपने स्वतंत्र Discretion

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

से कार्य करना आवश्यक होता है। अतएव इस संबंध में सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। फिर भी माननीय सदस्यों के सन्तोष के लिए संबंधित तथ्य आगे दिये जाते हैं।

शासन द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1973 के असाधारण गजट में विज्ञापित अधिसूचना के द्वारा प्रदेश को 875 क्षेत्र समितियों के लिए एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप-प्रमुख के निर्वाचन हेतु तिथियां निश्चित हो गई थीं जिसमें मतदान का दिनांक 2 मार्च, 1973 था। मतदान के तुरन्त पश्चात सम्बद्ध निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतगणना करके परिणाम घोषित कर दिया गया था।

प्रमुखों के निर्वाचन के घोषणाफल दिनांक 14 मार्च, 1973 तथा ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उप प्रमुखों के निर्वाचन के घोषणाफलों को दिनांक 15 मार्च, 1973 के असाधारण गजट में विज्ञापित किया गया।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 14 मार्च, 1973 तक 17 अभ्यर्थनाएं (विवरण संलग्नक 'क') प्राप्त हुईं। उक्त अभ्यर्थनाओं के संबंध में जिला अधिकारियों से आख्या एवं संबंधित अभिलेख मंगवाए गए।

जिले से प्राप्त निर्वाचन सम्बन्धी अभिलेखों को देखने के पश्चात् 8 मामलों (संलग्नक 'क' के क्रम संख्या 1 से 8 तक) में स्पष्ट त्रुटि न पाए जाने के कारण उन मामलों में निर्वाचन निदेशक ने हस्तक्षेप आवश्यकीय नहीं समझा और उनके घोषणाओं को दिनांक 24 मार्च, 1973 के असाधारण गजट में विज्ञापित कर दिया गया। क्षेत्र समिति टाण्डा के प्रमुख एवं ज्येष्ठ उप-प्रमुख के निर्वाचन में गोपनीयता भंग होने के कारण मतदान प्रक्रिया को रद्द करके पुनः मतदान के आदेश दिए गए। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण उक्त आदेशों का कार्यान्वियन स्थगित है। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण निर्वाचन निदेशक ने किन्हीं अन्य आदेशों की आवश्यकता नहीं समझी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार निदेशक का आदेश इस समय निष्प्रभावी है, अतएव निदेशक इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकते थे कि शपथ दिलाई जाय अथवा नहीं।

क्षेत्र समिति लहरपुर, मिश्रिख, मण्डावरा, परसपुर, बेलसर, पयागपुर तथा खुर्जा के प्रमुखों के निर्वाचन में गणना अभिलेख देखने से यह स्पष्ट आभास हुआ कि गणना प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रही। अतः इन त्रुटियों के निवारण एवं सही निर्वाचन फल अवधारण करने के उद्देश्य से निर्वाचन निदेशक ने उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बद्ध निर्वाचन अधिकारियों को पुनः मतगणना तथा यदि आवश्यक हो तो घोषणाफल में परिष्कार हेतु आदेश दिये हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि पुनः मतगणना के लिए एक दिनांक, स्थान तथा समय निर्धारित करके समस्त निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को नोटिस दे दी जाय तथा जो निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार एवं सदस्य नियत दिनांक तथा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित हों उनके समक्ष मतपत्रों के मुहरबन्द लिफाफों को खोलें एवं मतगणना के पश्चात् उन्हें पुनः मुहरबन्द कर दें तथा जो उम्मीदवार चाहें उन्हें भी मतपत्रों के मुहरबन्द लिफाफों पर अपने हस्ताक्षर करने की अनुमति दे दें। केवल उपरोक्त उल्लिखित 3 क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के निर्वाचन में पुनः मतगणना एवं सही निर्वाचनफल अवधारण करने तक तथा क्षेत्र समिति मुस्यारी के प्रमुख के निर्वाचन में सूचित अनियमितता पर अन्तिम विचार करने तक प्रमुखों द्वारा शपथ ग्रहण रोकने के आदेश रेडियोग्राम द्वारा निर्वाचन निदेशक द्वारा दिये गये थे। इनमें से दो तथा लहरपुर तथा मिश्रिख क्षेत्र समितियों में पुनः मतगणना 2 अप्रैल, 1973 को हो गई तथा पूर्व में की गई घोषणा में परिष्कार आवश्यक नहीं पाया गया। इन दोनों क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के घोषणा फल भी 3 अप्रैल, 1973 के असाधारण गजट में विज्ञापित कर दिये गये हैं।

क्षेत्र समितियों के प्रमुखों एवं उप-प्रमुखों के निर्वाचन में मतदान निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली" (System of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होता है। इस कारण अभिलेखों से गणना प्रक्रिया की त्रुटि स्पष्ट हो जाती है।

चूंकि क्षेत्र समितियों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप-प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप-प्रमुखों के निर्वाचन पार्टी के आधार पर नहीं होते हैं अतः यह कहना कि कौन प्रमुख या उप-प्रमुख किस पार्टी से सम्बद्ध है, संभव नहीं है। इतना कहना असंगत नहीं होगा कि लगभग 2,600 चुनाव फलों में से केवल 18 में निदेशक के आदेश हुए।

(संलग्नक 'क')

क्रम-संख्या	जिले का नाम	क्षेत्र समिति का नाम	निर्वाचित प्रमुख का नाम	अभ्यर्थी का नाम	निदेशक के आदेश का संक्षिप्त विवरण
1	अलीगढ़ ..	इगलास	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री निरंजन सिंह	घोषणा फल सही पाया गया
2	सीतापुर ..	मछरेहटा	श्री पुतान सिंह	श्री अमर सिंह	,,
3	सीतापुर ..	रामपुर मथुरा	श्री श्याम लाल	श्री बाबूराम अवस्थी	,,
4	रायबरेली..	बछरावां	श्री रामेश्वर सरन सिंह	श्री रज्जन लाल	,,
5	रायबरेली ..	हरचन्दपुर	श्री हरिपाल	श्री लल्लन प्रसाद अवस्थी	,,
6	मिर्जापुर ..	नरायनपुर	श्री हरिवंश सिंह	श्री रमाशंकर सिंह	,,
7	लखनऊ ..	मोहनलालगंज	श्री प्रताप बहादुर	श्री चन्द्रभाल	,,
8	हमीरपुर ..	मौदहा	श्री द्वारिका प्रसाद	श्री महादेव सिंह	,,
9	फैजाबाद ..	टांडा	श्री ठाकुर प्रसाद सिंह	श्री राम अभिलाख	पुनः मतदान आवश्यक
10	सीतापुर ..	लहरपुर	श्री विशम्भर नाथ	श्री शिव कुमार	पुनः मतगणना आवश्यक
11	सीतापुर ..	मिश्रिख	श्री सोहन त्रिवेदी	श्री संग्राम सिंह	,,
12	झांसी ..	मंडावरा	श्री महेन्द्र सिंह	श्री बालाप्रसाद चतुर्वेदी	,,
13	गोंडा ..	परसपुर	श्री देवीदत्त सिंह	श्री भिखारी	,,
14	गोंडा ..	वेलसर	श्री विद्यापाल सिंह	श्री तालुकदार सिंह	,,
15	बहराइच ..	पयागपुर	श्री राम शेषर	श्री हरिनरायन सिंह	,,
16	बुलन्दशहर..	खुर्जा	श्री बहोरी सिंह	श्री देवी सिंह	,,
17	पिथौरागढ़	मुंस्यारी	श्री गोविन्द सिंह पंक्ति	श्री लाल सिंह	विचाराधीन
18	फैजाबाद ..	टांडा	श्री जिया लाल (ज्येष्ठ उप-प्रमुख)	स्वतः (सहायक निर्वाचन अधिकारी के रिपोर्ट पर)	पुनः मतदान

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न करें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि 14 मार्च के पहले उनको कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, एक बात, और दूसरी बात यह कि 14 मार्च के बाद व 21 मार्च के बाद क्या उनको प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

घोषणा पत्र के पश्चात् जिनको शिकायत रही, उन्होंने आकर यहां अपने प्रार्थना-पत्र दिये हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह बहुत आवश्यक है। इसका जवाब दें कि 14 तारीख के पहले कुल कितने प्रार्थना-पत्र मिले और 14 से 21 मार्च के बीच में कितने प्रार्थना-पत्र मिले ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

निश्चित तिथि बताना तो सम्भव नहीं है। इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, मुझे स्पष्ट करने का मौका दें । इस काम के पीछे इस सरकार की घोर चालबाजी आपके सामने रखना चाहता हूं । दो सरकारी गजट हैं । एक 17 फरवरी का है । इसके नियम 4(4) में यह प्राविधान था कि उप नियम(4) के अधीन शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय), विशेषतः निर्वाचन फल की घोषणा में परिष्कार अथवा किसी निर्वाचन को रद्द कर सकता है यदि अभिलेख में निर्वाचन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गयी कोई स्पष्ट त्रुटि हो । 21 मार्च को एक नियमावली और प्रकाशित की गयी और उसमें यह अमेंडमेंट कर दिया गया कि पब्लीकेशन के पूर्व यानी चुनाव फल घोषित हो जाने के बाद और पब्लीकेशन के पूर्व । पहले यह था कि कोई एप्लीकेशन देगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भेजेगा और रिपोर्ट आ जायगी । उसके बाद इन्होंने यह बढ़ाया है कि नियम 29 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व किसी भी समय निर्वाचन फल की घोषणा में परिष्कार अथवा निर्वाचन की संपूर्ण कार्यवाहियों को अथवा उनके किसी भाग को जैसा भी आवश्यक हो, रद्द कर सकता है। नियमावली के नियम 29 में यह है कि जैसे ही परिणाम फल घोषित होंगे एज सून एज, यथा सम्भव उसका पब्लिकेशन किया जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि दो तारीख के ब्लाक के चुनाव हुए और आपने कह दिया कि 15 तारीख को पब्लिकेशन कर दिया । उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस आयीं थीं और उन्हें रोक लिया गया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह चर्चा कर रहे हैं या यह सवाल है ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह बहुत आवश्यक है । मैं कहना चाहता हूं कि 14 तारीख के पहले केवल 17 अभ्यर्थी नहीं थे बल्कि बहुत से थे । हुआ यह कि अगर जनसंघ का उम्मीदवार हार गया तो उसके प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं हुआ । विद्यापाल सिंह जनसंघ का उम्मीदवार जीतकर आ गया । उन्हें इस बात का नोटिस दिया गया कि शपथ ग्रहण के लिये 4 तारीख को आयें । लेकिन यहां से आदेश जाता है कि उनको शपथ लेने से रोक दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें एलेक्शन पेटीशन है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इलेक्शन पेटीशन हो सकती है या नहीं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

हो सकती है लेकिन उसमें कौन जाय । इसी तरह से हमारे पावती जी हैं । मैं नारायण दत्त तिवारी जी पर सीधा चार्ज करता हूं कि उन्होंने डायरेक्टर को फोन किया कि उनको शपथ लेने से रोक दिया जाय । इस प्रकार का दुरुपयोग शासन ने किया है। यह जनतंत्र की हत्या है । अगर इसी तरह से करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में क्या कर सकेंगे ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जहां तक चुनाव का संबंध है उससे सरकार का कोई संबंध नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह सब सरकार ने किया है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं यह कह रहा था कि सरकार को निदेशक निर्वाचन के कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है । वे स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव कराते हैं । जहां तक माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जनसंघ के मेम्बरों के साथ या किसी और पार्टी के मेम्बरों के साथ भेदभाव किया गया उसका स्पष्टीकरण तो मैंने दे ही दिया है । ये जो चुनाव कराये गये हैं वे किसी पार्टी या दलबन्दी के आधार पर नहीं कराये गये हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सैकड़ों नमूने मौजूद हैं, मैं तो अच्छा समझता था मंत्री जी को ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आप यह कह रहे हैं कि अपने दल के लोगों को करने के लिये कुछ गड़बड़ी कर ली है । मैं यह कहता हूं कि चुनाव फल की घोषणा के तुरन्त बाद जिन लोगों ने शिकायत की निर्वाचन निदेशक ने वहां के जिलाधीशों से रिकार्ड तलब किये और जिनको देखा कि चुनाव ठीक हुआ है उनकी घोषणा करके आदेश कर दिये । आप देखें कि एक से आठ तक ऐसे क्षेत्र प्रमुख हैं जिनके मामले में यह पाया गया कि कोई गड़बड़ी नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

वह तो हम सब लोगों ने पढ़ लिया है । हम तो आपके ऊपर चार्ज कर रहे हैं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात पूरी कह दूं ।

*श्री अध्यक्ष—

आप उन्हें न रोकें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

फैजाबाद जिले में टांडा विकास खंड में मत पत्र पर मतदाता का नाम लिख दिया गया था। इस कारण गोपनीयता भंग हो गयी। जब यह मालूम हुआ तो पुनः मतदान के लिये आदेश दे दिये गये। जो जीते हुए प्रमुख अपने को मानते हैं उन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। बताया यह जाता है कि वह प्रमुख जो जीता है वह कांग्रेस का आदमी है किन्तु यहां से ये आदेश गये कि नहीं यह चुनाव अवैधानिक है। हाई कोर्ट ने रोक दिया है इसलिये आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है जब तक कि हाई कोर्ट का निर्णय न हो जाए।

*श्री बंशीधर पांडेय—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् ऐक्ट की धाराओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत के अन्तर्गत पूरे क्षेत्रों में लोक सभा, विधान सभा और नीचे गांव सभा तक जो निर्वाचन होते हैं उनके फलों की घोषणा नियत अधिकारी द्वारा होती है, रिवीजन करने का अधिकार किसी को नहीं है। सिर्फ इलेक्शन पिटीशन होती है। क्षेत्र समिति व जिला परिषद् ऐक्ट को एमेंड करते-करते इन्होंने मेस बना दिया है।

मैं आपसे कहता हूं कि क्या आपने जो अपने डायरेक्टर, इलेक्शन्स को आदेश दिये हैं वह दोहरी प्रणाली नहीं हो गई। आपके ऐक्ट में लिखा है कि प्रमुख का चुनाव होगा, उप प्रमुख का चुनाव होगा, कनिष्ट उप प्रमुख का चुनाव होगा और उसके बाद कोई शिकायत है तो वह न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन्स जज की कोर्ट में जायेगा। गांव पंचायत की अपील एस0डी0एम0 के यहां होगी और उसके बाद हाई कोर्ट में जाती है। विधान सभा और पार्लियामेंट के बारे में अपील हाई कोर्ट में जाती है। इसमें रिवीजनिंग पावर नहीं है। तो इस बात को देखते हुये आपका यह ऐक्ट मालाफाइड है। आपकी यह प्रणाली दोहरी है और इसको आपने प्रमुख का नाम रखकर किया है। मैं कहता हूं कि इसमें दुर्नीति रही है।

रायबरेली जिले में प्राइमा-फेसी केस नहीं बनता है। 6 वोट इनके उम्मेदवार को मिले हैं और 56 हमारे उम्मेदवार को मिले हैं। उस जिले में सबसे ज्यादा वोट हमारे उम्मेदवार को मिले हैं। फिर भी उसको रोक रक्खा है। मैं और राजेन्द्र प्रताप सिंह जी मंत्री जी से मिले तो आपने बार बार कहा कि हम उसका ट्रांसफर कर देंगे लेकिन बी0डी0ओ0 का ट्रांसफर आजतक नहीं हुआ है। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर शासन का चीफ सेक्रेट्री मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करे तो कौन बड़ा है और उस हालत में चीफ सेक्रेटरी को जाना चाहिये या नहीं। मुख्य मंत्री रिप्रजेन्ट्स द विल आफ द पीपुल ऐंड द विल आफ द हाउस। मान्यवर, ढाई वर्ष से बी0डी0ओ0 ने प्रमुख को हरवाने के लिये लाखों रुपया खर्च किया है लेकिन फिर भी उसको बदला नहीं गया है। आपके जो नियम बनाये गये हैं बिलकुल अनोखे हैं। आप इनको स्क्राप करके क्षेत्र समिति और जिला परिषद् के पहले वाले नियम रखिये।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जिन नियमों के तहत निदेशक को अधिकार दिया गया था उनको मैंने पहले ही पढ़ दिया था। भविष्य में क्या होगा यह अलग बात है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन नियमों को निरस्त कर दिया जाय तो वह आगे चलकर देखा जावेगा। जो नियम बनाये गये हैं उन नियमों की सूचना माननीय सदस्यों को पहले से थी और उनको यह भी अधिकार था कि यदि यह नियम उनको ठीक नहीं लगते थे तो उस पर वह आपत्ति कर सकते थे। उस समय इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

नये नियम 14 मार्च के गजट में प्रकाशित हुये हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सदन की मेज पर जो यह क्षेत्र समिति के प्रमुख की निर्वाचन नियमावली, 1962 जिसको इन्होंने संशोधित किया है, यह संशोधन इस सदन के पटल पर रक्खे गये हैं, नहीं रखे गये हैं । आजतक 21 मार्च की नियमावली और 1' फरवरी को संशोधन यह इस सदन की मेज पर रक्खे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

आप सुन लीजिये, तब व्यवस्था होगी । व्यवस्था यह देनी है कि 29 जनवरी, 1973 को असाधारण गजट में पूरे प्रदेश की 875 क्षेत्र समितियों के चुनाव की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई । उसके बाद जो नियम 17 फरवरी, 1973 को बदला गया और जिसके आधार पर चुनाव हुआ । उसको फिर से दोबारा 21 मार्च, जबकि 2 मार्च का चुनाव संपन्न हो चुका था, 14 मार्च का गजट प्रकाशित हो चुका था, उसके बाद 21 मार्च को अगर कोई इस संबंध में पूर्वगामी अधिकार प्राप्त कोई आदेश या नियमावली बनायी जाय जो अभी तक आपके सदन की मेज पर नहीं रखी गयी, क्या आप मंत्री जी को आदेश देंगे कि माननीय सदस्यों के उसमें संशोधन नहीं गये, फिर आप इस तरह का उत्तर देने के लिये असाऊ करेंगे जबकि यह सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी ?

श्री अध्यक्ष--

उनका उत्तर तो सुन लेना चाहिये हमको ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उनका उत्तर सुनने के बाद ही मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया । उन्होंने यह कहा कि माननीय सदस्यों को इस नियमावली में संशोधन देने की पूरी छूट थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप पूछ रहे हैं कि यह नियमावली सदन की मेज पर रखी गयी या नहीं रखी गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जब सदन अपने सत्र में होता है तो नियमावली 1 महीने तक सदन की मेज पर रहती है । बगैर रखे हुए कैसे स्वीकार होती ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

आपकी मेज पर ही रखी गयी है या नहीं रखी गयी है? इन्होंने फिर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है ।

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि रखी गयी है, जांच करनी होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

किस तारीख को रखी, इसकी जांच करवायें ।

श्री अध्यक्ष--

28 मार्च की कार्य-सूची में जो 7 नम्बर पर है उसमें दिया हुआ है--"सामुदायिक विकास मंत्री, पंचायती राज (अनुभाग-2) की अधिनियम संख्या 101-बी/33-215-72, दिनांक

[श्री अध्यक्ष]

11 जनवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर" रखा गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जिस दिन उन्होंने पहले वाली को एग्जिक्यूट कर दिया, फिर यह रखी सामने । इसको अमल में लाने के बाद रखा । (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह किस तारीख की है ?

श्री अध्यक्ष---

28 मार्च को यह रखी गयी । 11 जनवरी की है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

एक बात मैं पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

बाद में पूछियेगा । आप बैठें ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं नहीं बैठूंगा, बेईमानी नहीं चलने दूंगा (व्यवधान) यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह बाद में 28 को रखी है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय गुप्ता जी, आप कृपा करके इन्हें रोकिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

ऐसी बेईमानी को सामने रखने से गुप्ता जी नहीं रोक सकते ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मान्यवर, चुनाव 2 मार्च को हो गया, बाद में नियमावली रख कर उसको रीट्रास्पेक्टिव इफैक्ट कैसे दिया जा सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह रखी ही नहीं गयी है....

श्री अध्यक्ष---

नं0 7, 11 जनवरी की है, नं0 8, 16 फरवरी की है और नं0 9, 17 फरवरी की है। यह तीनों सामुदायिक विकास मंत्री ने रखी हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, 21 मार्च की कहां गयी ? वह क्षेत्र समिति तथा ब्लाक प्रमुखों से संबंधित हरगिज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

मुझे यह भी शक है कि यह कौन-सी है । यह देखना पड़ेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

ठीक है श्रीमन्, इसलिये अब मैं मंत्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस दे रहा हूं । आप इसका नोटिस लीजिये और. . .

श्री अध्यक्ष---

आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना को आपने डिक्टेशन कैसे समझ लिया । मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं । यह उन्होंने गलत बयानी की ।

श्री अध्यक्ष---

फैक्ट के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप इसे विशेषाधिकार की अवहेलना मानिये, उनको यहां कटघरे में खड़ा कीजिये, यह सदन उनको सजा करेगा ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

मैं श्रीमन्, टांडा वाले प्रश्न के संबंध में कहना चाहता था. . . .

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

मैं खड़ा था आपने मुझे समय नहीं दिया. . . .

श्री अध्यक्ष---

पहले उन्हें सुन लीजिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

श्रीमन्, टांडा के व्यक्ति मेरे पास हारे हुए आये । वे कांग्रेस के हैं यह सही है । उन्होंने जो बात मुझे बतायी, मैं उसके संबंध में एक प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था, उसमें केवल यह बताया गया था कि जो मत-पत्र थे उनकी पीठ पर, सब पर मतदाताओं के नाम लिख दिये गये थे । तो मैं उसके संबंध में प्रतिवेदन उसकी तरफ से बना कर दिया था । मैंने कहा था यह कैसे संभव है, यह कैसे और किसने किया है ? मैंने उसमें कहा था कि माननीय निर्वाचन निदेशक उसे फिर से देखें । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने बिना उसको देखे कैसे पहले ही इसके सब आदेश दे दिये और उस पर कोई विचार नहीं किया । मैं अपने बंशीधर पांडेय जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि--- (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)---

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य मंत्री जी को सफाई दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

यह सफाई का प्रश्न नहीं है ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उसकी पिटीशन तैयार की तो फीस उसकी कितनी ली ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं, मैंने पिटीशन दायर नहीं किया, इसलिये फीस का प्रश्न नहीं। (व्यवधान) मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें निर्वाचन निदेशक को जो अधिकार दिये गये हैं संरक्षण, अनुरक्षण और नियंत्रण के, उन्हें जो अधिकार दिये गये हैं सुप्रिन्टेंडेंस, कंट्रोल और सुपरविजन के इन तीन शब्दों का इसमें जिक्र किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी कल्पनाथ जी ने जो सवाल उठाया, उस पर आपको भी सुबह हो गया कि जो नियम यहां टेबुल पर रखे गये हैं या नहीं, वे अभी विधिवत् नियम बन पाये हैं या नहीं। यह आपने तय कर लिया और यह कहा कि आप उनकी जांच करेंगे, किन्तु अब यहां यह सिद्ध किया जा रहा है कि वह नियम बन गये हैं और उन्हीं के अन्तर्गत यह सवाल कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

तो यह सुप्रिन्टेंडेन्टस कंट्रोल और सुपरविजन इन तीन शब्दों का पिपुल्स आफ रिप्रजेंटेशन एक्ट में समावेश किया गया है और यह भी हमारे जान में है कि जब चुनाव होता है तो उनकी मतगणना पुनः हो जाती है। तो यह जो टांडा वाला कांड है, उसमें भी सुपरविजन, सुप्रिन्टिंडेंस और कंट्रोल की परिभाषा में यह कैसे आता है ? और आता है या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

अगर उसके क्षेत्र के अन्दर यह टांडा वाला केस न आता तो निदेशक उस पर विचार करके निर्णय नहीं दे सकते थे। उन्होंने इसके ही अन्तर्गत यह निर्णय किया है।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

मेरा यह कहना है कि निदेशक को आना ही नहीं चाहिये इसमें।

*श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, मेरा प्रार्थना पत्र यह टांडा वाला सवाल किया गया है। मैंने तो कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं और यहां पर माननीय सदस्य सफाई देने लगे। मन्त्री जी ने खुद स्वीकार किया है, जो ठाकुर प्रसाद जी ने किया, उनका निर्वाचन निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया और यह आदेश दिया कि वह फिर से होगा और इसके लिये तारीख भी फिर से लगा दी गई। निर्वाचन निदेशक के इस आदेश के विरुद्ध वह ठाकुर प्रसाद सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले गये और हाईकोर्ट से यह प्रार्थना की कि निर्वाचन निदेशक के आदेशों का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया जाय और इस बीच में यह निर्देश दिया जाए कि पुराने ब्लाक प्रमुख काम न करने पावें। बल्कि वह जिनका एलेक्शन खत्म कर दिया गया है उन्हीं को काम करने का मौका हो। उनकी यह दरख्वास्त थी। इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने केवल निर्वाचन निदेशक के आदेश का आपरेशन रोका था। इसके मानी यह थे कि दूसरा आपरेशन नहीं रोका। लेकिन जिसका एलेक्शन कैंसिल हो गया उसको कैसे ओथ करवा दी गयी। मैंने निर्वाचन निदेशक से और माननीय मन्त्री जी से यह बात कही। निर्वाचन निदेशक ने कहा कि मैं इस मामले में कानूनी राय नहीं दे सकता। माननीय मन्त्री ने कहा कि निर्वाचन निदेशक कहते हैं कि मैं कानूनी राय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं दे सकता। मैं जानना चाहता हूं कि फिर एल० आर० की ड्यूटीज नहीं है, अगर एल० आर० कानूनी मसले पर राय नहीं देगा तो क्या बी० डी० ओ० हाई कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन करेगा ? उसने ओथ करवा दिया।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जब उच्च न्यायालय ने निर्वाचन निदेशक के आदेश को रोक दिया तो फिर उसका आदेश निर्वाचन निदेशक के यहां से जारी नहीं हुआ। अगर किसी ने ओथ लिया है तो अपनी जिम्मेदारी पर ली होगी।

(शोर)

श्री जयराम वर्मा--

ठाकुर प्रसाद सिंह ने हाईकोर्ट में प्रार्थना की, क्या यह सही है कि आपरेशन के सस्पेंशन की प्रार्थना की थी, नम्बर 1। नम्बर 2, यह प्रार्थना की थी कि इस बीच में पुराने ब्लाक प्रमुख को काम करने से रोका जाय और उन्हीं को काम करने दिया जाय। लेकिन हाई कोर्ट ने केवल निर्वाचन निदेशक के आदेश का आपरेशन सस्पेंड किया। दूसरी बात उनकी नहीं मानी। तो उनके दिमाग में बात साफ थी, हाईकोर्ट के दिमाग में बातसाफ थी कि केवल आपरेशन रोका जा रहा है यानी निर्वाचन रोका जा रहा है, तब भी वहां शपथ नहीं रोकी गयी और शपथ होने दी गयी।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

निर्वाचन निदेशक के यहां से कोई आदेश..... (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय--

उन्होंने कहा कि शपथ की जिम्मेदारी नहीं लिया। उनको बुलाया या अपने आप वैसे शपथ ले ली? शपथ की तो तिथि निर्धारित होती है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं जांच करूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

इस पर नियम 103 में ढाई घंटे की चर्चा के लिये दिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इतनी घोर बेईमानी। सरकार दिनदहाड़े प्रजातंत्र का गला घोंटे। इससे असंतोष प्रकट करने के लिये हम पांच मिनट के लिये वाक आउट करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष--

(श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होने पर) आपके नेता माननीय गुप्ता जी बैठे हुए हैं। मैं इसके ऊपर जांच करूंगा।

श्री रामलाल राही--

एक प्रश्न .....

श्री अध्यक्ष--

अब कोई प्रश्न नहीं होगा ।

श्री रामलाल राही--

अध्यक्ष जी आपने हमें मौका नहीं दिया । आप सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

वह मामला खत्म नहीं हुआ । उसके ऊपर जांच हो कर फिर आयेगी । मैंने गुप्ता जी के लिये रोका था । माननीय मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं ।

श्री रामलाल राही--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न.....

हमारे यहां सीतापुर जिले में लहरपुर और मिश्रिख में दोबारा गणना हो गयी, नोटिफिकेशन 3 तारीख को हो गया है । माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा, वहां ओथ के लिये रोक दिया गया था, पुनः ओथ के लिये तारीख लगा दी गयी है या नहीं लगायी गयी है, अगर लगायी गयी है तो किस तारीख को ओथ करायी जा रही है ?

*श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)--

क्या हल्ला करने से ही सुनेंगे ? मैं निवेदन कर रहा हूं । सीतापुर के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ने जो बयान दिया था मेरे क्षेत्र मिश्रिख के बारे में आपने कहा था, मैंने उसके सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मान्यवर, मैं बहुत शांति के साथ निवेदन कर रहा हूं लेकिन मालूम होता है कि आप केवल हल्ला से मानते हैं, जैसा अभी रामलाल राही जी ने हल्ला मचाया आपने इजाजत दे दी । चाहें तो सुन लीजिये । माननीय मन्त्री जी से मैं जानना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र मिश्रिख में अभी गणना करायी गयी है 2 अप्रैल को फिर से और एक गणना 2 मार्च को हुई थी । जो गणना 2 मार्च को हुई थी उसमें इसमें बड़ा फर्क है । 2 मार्च वाली मतगणना में दो-दो वोट हर के बढ़े थे । इससे मान्यवर, इतना तो सिद्ध होता ही है कि वह गणना बिल्कुल गलत थी । श्रीमन्, आप तो सर्वाधिक सुरक्षित और सर्वशक्ति सम्पन्न हैं तो आप कृपया मन्त्री जी को यह बताने के लिये बाध्य करें कि जब दो-दो वोट सबके बढ़े थे तो पहले वाले मतगणना को गलत मानते हुए क्या फिर से वहां चुनाव करायेंगे ?

श्री रामलाल राही--

लहरपुर और मिश्रिख के बारे में माननीय सदस्य की बात ठीक नहीं है, श्रीमन्, वहां कोई फर्क वोटों में नहीं था ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मतगणना जो लहरपुर और मिश्रिख में कराई गयी उन दोनों में कोई गलती नहीं पायी गयी और उन्हें पूर्णरूप से मतगणना के अनुसार परिणाम उनका घोषित कर दिया गया ।

श्री अवधेश कुमार--

मैं श्रीमन् इन्हें इस पर चुनौती देता हूं । इन्होंने गलत इत्तिला दी है । 2 मार्च को और 2 अप्रैल को जो मतगणना हुई थी उनकी मतगणना के परिणाम ये सुना दें ।

श्री अध्यक्ष--

इसकी आवश्यकता नहीं है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अवधेश कुमार---

ये लोग श्रीमन्, इतनी गलत सूचना देते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप खुद जरा इनसे 2 मार्च और 2 अप्रैल के मतों की जानकारी कर लें। क्या आप ऐसे गलत बयान देने वालों को अपना मन्त्री बनायेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, इसीलिये मैं कहता हूं कि माननीय कल्पनाथसिंह जी ने जो नियम 103 के अधीन आपको सूचना दी है उसके अन्तर्गत आप ढाई घंटे का विवाद इस पर करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

वह मैं बाद को देख लूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय---

उस वक्त यह सारी बातें आ सकती हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप उसको लिखकर भेज दीजिये। अब गुप्ता जी आ गये हैं....

श्री बलवीर सिंह---

मैं श्रीमन्, एक मिनट में यह कहना चाहता हूं कि जब इस पर आगे चर्चा हो तो मन्त्री जी कृपया उस बात पर जानकारी कर लें। मेरठ और मुजफ्फरनगर में जो 24 मार्च को चुनाव हुए थे....

श्री अध्यक्ष---

उसको आप मेरे कमरे में सब भेज दीजिये। मैं उनके पास भेज दूंगा, वह पता लगा लेंगे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मैं गोंडा जिले के परसपुर ब्लाक के लिये कहता हूं कि एलेक्शन पेटीशन दायर हुआ और जजों ने स्टे कर दिया लेकिन यहां से एक आर्डर ईशू कर दिया। एलेक्शन पेटीशन के आदेश के बारे में कोई दूसरे आदेश हो नहीं सकते और नियम अधिनियम को ओवरराइट नहीं कर सकता है और नियम 29 के अधीन वह अल्ट्रावायरस हो जायगा। ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूं कि जिला जज ने जब रोक दिया तब सरकार ने कैसे आर्डर करवा दिये?

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)---

अध्यक्ष जी मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं, मुझे सिर्फ एक मिनट का मौका दे दीजिये, सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप इस समय बैठिये, लिखकर मेरे कमरे में भेज दीजिये, मैं वह सब मन्त्री जी के पास भेज दूंगा। अब गुप्ता जी आ गये हैं और मुख्य मन्त्री जी भी हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिये।

राज्य के पी०एम० एस० तथा मेडिकल कालेज के डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने के संबंध में अग्रेतर चर्चा (क्रमागत)

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

अध्यक्ष महोदय, जिस दिन स्वास्थ्य मन्त्री जी ने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के विषय में एक वक्तव्य दिया था उस दिन मैंने निवेदन किया था कि स्वास्थ्य मन्त्री जी से जो प्रश्न पूछे जायं

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

वे मुख्यमन्त्री जी की उपस्थिति में पूछे जायं। आज जब उन प्रश्नों को पूछने का अवसर आया है तो इस बीच में एक घटना यह हो गयी है कि सरकार ने कुछ निर्णय लेकर उनकी घोषणा भी कर दी। वे निर्णय डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस से सम्बन्ध रखते थे। ठीक तो यह होता कि उनकी घोषणा इससदन में होती और जो पुराना वक्तव्य दिया गया था उस वक्तव्य में जो त्रुटियां थीं उनकी सफाई हो जाती। खैर वक्तव्य दे दिया गया है और सरकार ने डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस के विषय में किसी जी० ओ० द्वारा कुछ निर्णय ले लिये हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका समावेश, डाक्टरों के संगठनों तथा उनके प्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य मन्त्री तथा मुख्य मन्त्री के बीच जो बात चीत हुई थी उसके आधार पर उस जी० ओ० में नहीं हुआ है।

यों तो डाक्टरों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि वे अपने घर पर भी मरीज को देख सकते हैं और मरीज के घर पर जा कर भी उसका इलाज कर सकते हैं और देखने के लिये जा भी सकते हैं किन्तु सरकार ने इसके लिये जो शर्तें लगाई हैं उनके अनुसार ही वे ऐसा कर सकतेहैं परन्तु जो बातें डाक्टरों ने स्वास्थ्य मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री के समक्ष रखी थीं और जो बातें उन्होंने अपने आवेदन पत्र के द्वारा प्रस्तुत की थीं क्या सरकार ने उन बातों पर पूरे तौर से विचार करने के उपरान्त निर्णय ले लिया है और यदि नहीं, तो क्या इस बात की संभावना है कि आगे आने वाले दिनों में वे उनपर निर्णय लेंगे जिससे कि जो असंतोष डाक्टरों के मध्य, प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर व्याप्त है वह असंतोष उनका दूर हो सके ?

स्वास्थ्य मंत्री (धर्मदत्त वैद्य)---

अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिया गया है वह कोई ऐसा नहीं है जिसे शासन ने बिना सोच विचार करके लिया हो। इस सम्बन्ध में पिछले कई वर्षों से निरन्तर इस हाउस में चर्चा होती रही है और प्रान्त की सरकारों ने अनेक अवसरों पर कई कमेटियों का भी गठन किया है। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1943 में भारत सरकार ने श्री भोर की अध्यक्षता में एक समिति बनायी थी जिसने कि सन् 1946 में अपनी संस्तुतियां दी कि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां के डाक्टरों के एशोसियेशन थे, जो समय-समय पर मुझसे और माननीय मन्त्री जी से मिले थे उनके साथ बैठकर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया गया। उसके बाद ही यह निर्णय लिया गया है। ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई है जिसके बारे में उनके हित में कोई विचार न किया गया हो, जो सुविधायें उनको दी जा सकती थी वे उनको प्रदान न करदी गई हों और जिससे कि उनको और रोगियों को कोई कठिनाई महसूस न हो। अगर कोई अन्य प्रश्न हो तो उसका उत्तर दिया जा सकता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मान्यवर, जहां तक मैंने उन आवेदनों को पढ़ा है उसमें तो बहुत-सी ऐसी और भी बातें थी जिनके लिये कि डाक्टरों ने मुख्य मन्त्री जी और स्वास्थ्य मन्त्रीजी से निन्वेदन किया था। केवल उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस की ही बात नहीं थी, तनख्वाहों के विषय की बात भी थी। स्वतः मैंने भी, जब जब मुझे मौका मिला और जब मैं इस सदन में बोला तो यहां पर भी मैंने सरकार के समक्ष सदन के द्वारा अपने विचार प्रकट किये। मेडिकल कालेजेज में डाक्टरों को जो तनख्वाहें मिल रही हैं वे तनख्वाहें अन्य स्थानों पर उनकी ही योग्यता वाले डाक्टरों को दी जाने वाली तनख्वाहों के बराबर नहीं है। आपने उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने का निर्णय लिया है, मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो कि प्राइवट प्रैक्टिस रखने के समर्थन हैं, लेकिन तनख्वाहें का विषय भी एक ऐसा विषय है जिसमें कि हमारे प्रदेश के बाहर जो कालेजेज हैं, दिल्ली में हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ संतुलिन रखा जाना चाहिये और इस तरह से प्रदेश के डाक्टरों के असंतोष को मिटाया जा सकता है, चाहे वह प्रोफेसर्स की तनख्वाह का विषय हो, चाहे वह इन्टर्नीज की तनख्वाह का विषय हो अथवा हाउस सर्जन या हाउस फिजिशियन की तनख्वाह का विषय हो। इसी कारण मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मन्त्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी

से कि यह उनके वेतनों के अनुसार निर्णय नहीं हुआ है। अतः क्या इस पर वे पुनः सहानुभूति पूर्वक विचार करके कोई निर्णय लेंगे जिससे कि उभड़ते हुए असन्तोष को रोका जा सके ?

*मुख्यमन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं गुप्ता जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाया। इसकी यहां पर सफाई हो जायगी। बाहर जो आदेश, आक्रोश और असंतोष फैला हुआ है वह भी समाप्त हो जायगा यह अवसर उन्होंने प्रदान किया। यह बात सही है कि इंडियन मेडिकल एसोसियेशन वाले कई बार मुझसे मिले। मेडिकल कालेज के टीचर्स, प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स भी मिले तथा प्रादेशिक मेडिकल सर्विस के लोग जो हैं, उनका एसोसियेशन भी मुझसे मिला। उनकी छोटी मोटी कान्फरेन्स भी मने यही तिलक हाल में की और उनसे बराबर बात करता रहता हूं। साधारणतः प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करने के पक्ष में कुछ बड़ों को छोड़कर प्रायः सभी डाक्टरों की राय है कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वेतन सम्बन्धी मांग उनकी रही है। जैसा माननीय गुप्ता जी ने कहा उसमें काफी चीजें थीं—वेतन सम्बन्धी, एलाउन्स सम्बन्धी, अस्पतालों को समन्वित करने सम्बन्धी तथा अस्पतालों के फुल्ली इक्विप्ड होने सम्बन्धी बातें थी। भीड़ और बढ़ जायेगी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दें।

आज वहां पर जितने लोग जाते हैं उनके लिये ही स्थान नहीं है इसलिये प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने से पहले आप स्टाफ बढ़ावें, स्थान बढ़ावें, बेड्स बढ़ावें, जिले-जिले में अस्पतालों को फुली एक्वीप्ड करें। मैंने बार-बार उनसे पूछा कि इसका उपाय भी कोई बतला दें तो उन्होंने कहा कि जो लोग आज प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो प्राइवेट प्रैक्टिस करने दें और आगे के लिये जो रिक्रूटमेन्ट करें उनके लिये प्रतिबन्ध लगा दें। इस पर मैंने उनसे कहा कि रिक्रूटमेंन्ट का फार्म जब भरते हैं तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते या जब सरकार चाहेगी तो बन्द कर देगी। उन्होंने कहा कि आज जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वे दो चार साल में रिटायर हो जायेंगे, उनको तो करने दीजिये, बाकी के लिये आगे के लिये प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करावें। कुछ ने यह राय दी। कुछ ने अपने घर पर रोगी देखने की बात कही। वेतन सम्बन्धी बात तो थी ही।

वेतन के सम्बन्ध में उन्होंने खुद कहा था कि पहले वेतन कमीशन की रिपोर्ट आ जाय तो हम उसे देख लें। पे कमीशन की रिपोर्ट आगयी है। पे कमीशन ने स्वयं रिकमेंड किया है जिसको माननीय सदस्यों ने देखा भी होगा कि मेडिकल कालेज के जो डाक्टर्स हैं उनको मान प्रैक्टिसिंग एलाउंस 50 प्रतिशत वेतन का दिया जाय और प्रादेशिक सर्विस के डाक्टरों को उनके वेतन का 33 प्रतिशत एलाउंस दिया जाय। इनकी मांग यह है कि 50 प्रतिशत दोनों का कर दिया जाय। बराबर, चाहे वे प्रादेशिक सर्विस में हो चाहे मेडिकल कालेज के टीचर्स, या प्रिंसिपल हों, सब को वेतन का 50 प्रतिशत एलाउंस दिया जाय। यह मामला हमारे विचाराधीन है। पे कमीशन की रिपोर्ट को हमने इन टोटो मंजूर कर लिया है। उस पर हमारी सरकार विचार कर रही है। कई जगह एनोमाली पैदा हो गयी है, जैसे टीचर्स का मामला है डाक्टरों और इंजीनियर्स का मामला है और श्रीमन्, आपके सेक्रेटरिएट का भी एक मामला है, कहीं न कहीं, किसी न किसी ग्रेड में कुछ न कुछ एनोमाली पैदा हो गयी है। उनको दूर करने के लिये शीघ्र ही एक अलग से कमेटी बना देंगे तो उन एनोमालीज को दूर कर सकेगी। सदन के सामने हमने घोषणा कर दी है कि पे कमीशन की सारी रिपोर्ट को सिवा उनके जो कहीं-कहीं असंगतियां उसमें हो गयी है, बकिया पूरी की पूरी रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को हमने मंजूर कर लिया है और उसी हिसाब से हमने जी० ओ० भी निकाल दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

स्वयं मैं गुप्ता जी की इस बात से सहमत हूं कि वेतन देने का जहां तक मामला है दूसरे स्थानों पर वह ज्यादा है। जैसे लखनऊ के0 जी0 मेडिकल कालेज के जो इंटरनेज हैं उनको जो वेतन स्टाइपेन्ड के रूप में मिलता है उनसे ज्यादा सरकारी मेडिकल कालेज के इंटरजीन को पे है। यहां कुछ सुविधायें हैं, होस्टल वगैरह की लेकिन फिर भी उनकी तनख्वाह में भेद है। तो नान प्रेक्टिसिंग एलाउंस के साथ-साथ यह प्रश्न भी हमारे विचार से बाहर नही है। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं और इस पर शीघ्र ही फैसला लेंगे। तत्काल इसलिये जी0 ओ0 निकालने की आवश्यकता पड़ी कि जो छोटी-मोटी बातें हैं जैसे बहुत बड़ी मांग यह है कि घर पर रोगी आवे तो उनको देखना चाहिये।

अब यह सोचने की बात है कि डाक्टर के लिये तो हमने रोक दिया है कि वे प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं कर सकते लेकिन क्या किसी रोगी को डाक्टर के घर पर पहुंचने से रोक सकते ह? अगर कोई रोगी किसी डाक्टर के घर पर पहुंच जांय और डाक्टर उससे कहदें कि चूंकि हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है इसलिये घर पर नही देख सकते चाहे तुम्हारा प्राण ही क्यों न निकल जाय तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित बात होगी। मैं तो बड़ा ही कृतज्ञ हूंगा माननीय गुप्ता जी का और माननीय सदस्यों व विरोधी दल का यदि वे सुझाव दें कि किन-किन चीजों में सुधार किया जाय जिससे वह व्यावहारिक और उनका असंतोष भी दूर हो जाय।

माननीय गुप्ता जी को तो बहुत अनुभव है, उनके जमाने में भी कई बार यह सवाल आया है, मैं जब कबिनेट में था उस समय भी यह सवाल आता रहा है निर्णय भी किये गये कि यह मुनासिब है लेकिन फिर भी बहुत सी कठिनाइयों को देखते हुए रोका जाता रहा। अब चूंकि डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रभाव पड़ा है और थोड़ी तकलीफ जो उनको हुई है तो यह अस्वाभाविक नहीं है। फिर भी एक उचित प्रकार से और एक उचित दृष्टि से इसमें और जो सुधार की आवश्यकता माननीय सदस्यों की समझ में आये और उसके अनुसार सुझाव दिये जायं, माननीय गुप्ता जी भी और दूसरे सदस्य दे दें, सरकार ने जी0 ओ0 निकालकर कोई अन्तिम फैसला नहीं किया है, उसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो आवश्यकता पड़ने पर किया जायगा ताकि बाहर डाक्टरों में कुछ असंतोष हो तो उसे दूर कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

अब चर्चा की जरूरत नहीं है, आप सुझाव दे दें। गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं वह कहें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सुझाव तो दिये ही जायेंगे लेकिन मैंने जो सदन में असोसियेशन की चर्चा की, उसमें पी0 एम0 एस0 असोसियेशन, मेडिकल कालेज का असोसियेशन और प्रदेश में डेनटिस्ट्स का भी कोई असोसियशन है, वह सर्विस अभी प्रदेश में नई ही चालू हुई है, इन असोसियेशन्स की भी कुछ मांगें आई हैं, उनमें जो उचित हों उन पर भी स्वास्थ्य मंत्री और माननीय मुख्य मन्त्री जी सहानुभूति पूर्वक विचार करें जहां तक सुझाव देने का विषय है मुझ से तो समय समय पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मिलते रहे हैं और जो मेरा अनुभव है उसकी बुनियाद पर मैं निवेदन उनसे करता ही रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में वह स्थिति नहीं आने देना चाहिये जिससे हर क्षेत्र में स्ट्राइक हो हर जगह पर सारे प्रदेशमें एक स्ट्राइक की हवा फैल गई है। यह हवा चाहे यह सरकार हो या अन्य कोई सरकार हो अगर फैलती रहेगी तो सरकार शासन का चलना बहुत मुश्किल हो जायगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय गुप्ता जी नें इन्टरनीज के विषय में कहा। मुझसे वह मिले थे, हाउस सर्जन्स वगैरा जो हैं, सभी अस्पतालों में वह अच्छे वेल क्वालिफाइड लड़के हैं और उन्होंने मुझ से भी

और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से भी अपनी बातें बतायी थीं और वह हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मिले थ मैंने भीउनकी मांगों को देखा और मुझे भी उनकी मांगों में औचित्य दिखाई दिया, मैं ने उन्हें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही इस संबंध में फैसला किया जायगा। यद्यपि उनका ख्याल था कि वह लोग पे कमीशन के परव्यू में नहीं रहे लेकिन मने उन्हें बताया कि कमीशन को आप का केस भी दिया गया था और आपके विषय में कमीशन की सिफारिश भी हुई है। उनकी मांगें बहुत कुछ जायज है और हम शीघ्र ही कोई फैसला लेंगे ताकि उनको सन्तोष हो।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब चर्चा और न करें, सुझाव आप दे दें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल एक बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रेक्टिस डाक्टरों की बन्द करने के विषय में बड़ा मेजर फसला लिया जिससे सारे डाक्टर्स प्रभावित हुए हैं और जो रूख डाक्टरों ने दिखाया है, वह असन्तुष्ट भले ही रह हों उन्होंने कोई ऐसा पग नहीं उठाया है जिससे रोगियों या जनता को तकलीफ हो इसलिये भी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। माननीय गुप्ता जी ने भी कहा कि मरीजों के बारे में इस तरह की कोई भयानक स्थिति नहीं आने दी गई है माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम ने पे कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और उसमें जो अनामलीज रह गई हैं उनको देखेंगे।

उन्होंने एक किताब निकाली है "प्रशासन और जनता से अपील" 2–4 बातें जो व्यक्त की गयी हैं जैसे वेतन-क्रम सम्बन्धी, यानी टाइम बाउंड स्केल सलेक्शन ग्रेड, अवकाश आदि जो उन्हें नहीं मिलता है तो मेरी प्रार्थना है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी बजाय इसके कि किसी से सुझाव मांगें, हमारे माननीय गुप्ता जी और अन्य किसी व्यक्ति को जिसे आप उचित समझें बुला लें और डाक्टर्स के प्रतिनिधियों को बुला कर बैठ कर बात करें। हमने कुछ प्वाइंट्स कहे पर या तो माननीय मुख्य मंत्री की समझ में नहीं आये और या हम उन्हें समझा नहीं पाये..

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें और फिर आपस में चर्चा कर लें, उसमें डाक्टरों के प्रतिनिधि भी रहें ताकि फिर उन्हें कहने का मौका न मिले कि हमारी बात नहीं सुनी गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी को पता है कि डाक्टरों ने उनको यह लिख कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जायेंगी तब तक वे पे कमीशन का बायकाट करेंगे ? अगर ऐसी बात है तो सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या आप पी० एम० एस० एसोसियेशन ने जो औपचारिक ढंग से मांग की है, उनको समय दे रहे हैं, या नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

पे क्लीनिक बिल्कुल एच्छिक है। जो डाक्टर काम करना चाहें, करें और जो न करना चाहें न करें, जहां तक मिलने की बात है, उनको समय दिया हुआ है, वे जब चाहें मिल सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एच्छिक तो है । उसमें भी मेडिकल कालेज के जो डाक्टर हैं, उनकी नोन प्रेक्टिसिंग एलाउंस 25 प्रतिशत मिलेगा और उनमें से जो पे क्लिनिक में काम नहीं करेंगे उनको 25 प्रतिशत और मिलेगा । इस प्रकार से 50 प्रतिशत है लेकिन जो जिला अस्पताल या सरकारी अस्पताल में हैं, उन्हें नोन प्रेक्टिसिंग एलाउंस 25 प्रतिशत, जो मेडिकल कालेज में डाक्टरों को भी देय है, मिलेगा है लेकिन उनके लिये पे क्लिनिक में काम न करने के लिये केवल 8 प्रतिशत है यानी कुल 33 प्रतिशत है तो उनका यह कहना है कि जब तक दोनों को समान एलौन्स नहीं मिलेगा तब तक वे पे क्लीनिकों में हिस्सा नहीं लेंगे, सीधे-सीधे है, एच्छिक क्या होता है । तो आपने इसके लिये क्या किया है ?

(इस समय 1 बज कर 35 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसी मांग तो आज अखबार में देखी थी । अखबार में तो उन्होंने यह भी मांग की है कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाय अगले साल के लिये और अभी इसे लागू ही न किया जाय । लेकिन अगर उनकी कोई ऐसी मांग होगी तो जरूर विचार करेंगे और आशा है डाक्टरों को कोई मौका न देंगे कि उन्हें हड़ताल करना पड़े क्योंकि जब हम उनकी न्यायोचित मांगों पर विचार करने जा रहे हैं तो फिर बार-बार हड़ताल और बायकाट का उन्हें कोई कदम नहीं उठाना चाहिये । उनके मामले पर संतोषजनक ढंग से विचार होगा ।

विविध विषय (क्रमागत)

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, मैंने एक सूचना दी थी । विधान परिषद् के अन्दर माननीय शिक्षा मन्त्री जी के वक्तव्य के लिये कल की तारीख निश्चित हुई है । यह अध्यापक मारा गया है, कम से कम इसको वक्तव्य के लिये तो स्वीकार कर लें । इससे श्रीमन्, 70 हजार अध्यापकों में बड़ा असन्तोष है । मान्यवर, 35 हजार अध्यापकों में बड़ा असंतोष है । सरकार ने उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की । लिखित सूचना दी गयी थी । उनकी जान का खतरा है । चार तारीख को एक विद्यार्थी ने बन्दूक से एक अध्यापक को गोली मार दी । मान्यवर, वक्तव्य के लिये उसको दे दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । एक मन्त्री ने भाषण प्रारम्भ होने के पहले मैंने कल कुछ रोष में कहा था । उसमें कुछ भ्रम हो गया । मने कहा था कि आज जैसी स्थिति है, कि क्रय- केन्द्रों पर गेहूं नहीं आ रहा है, उसका कारण है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है । तो इंटरिम पीरियड के लिय कम से कम 84 रु0 गेहूं का मूल्य रख दें और एक एक्सपर्ट कमेटी बैठा दी जाय । मैं जानता हूं कि गेहूं की कीमत 100 रु0 से कम नहीं होगी । तब तक के लिये उनको परमिट की व्यवस्था कर दी जावे और वे अपने स्तेमाल की चीजें, जैसे लोहा, कपड़ा और सीमन्ट आदि, वे ले सकें । जब एक्सपर्ट कमटी की रिपोर्ट आ जाय, तो जो मूल्य फिक्स हो, वह उनको मिले ।

श्री राम गोपाल सण्ड—

अध्यापकों की समस्या के बारे में वक्तव्य दिला दें, मान्यवर । निरीक्षक लोग बहुत निराश हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह नहीं होगा । ढाई बजे वोट का है । फिर वन अनुदान रखा जायगा ।

कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष––कार्य-स्थगन की कोई सूचना स्वीकृत नहीं हुई है ।

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 16––खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन तथा अनुदान संख्या 52––राज्य व्यापार की योजनायें––(क्रमागत)

***श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)––**

मान्यवर, आजादी के बाद, आज हमारी क्या स्थिति हो गयी है । हम आज दुनिया में नकलचियों के नेता हो गये हैं । बजाय इसके कि हम तटस्थ देशों को संगठित करके, उसमें अगुवाई करें, हम आज विदेशियों की नकल करने लगे हैं । हमारी नीति आज भीख मांगने की हो गयी है । नतीजा इसका क्या हुआ ? नजीजा यह हुआ कि 3 अरब रुपये का अन्न विदेशों से मंगाया गया है । यहां मैं यह निवेदन कर दूं कि हमारी जो 16 करोड़ बंजर-पती जमीन पड़ी है, उस पर 2 अरब रुपय खर्च करके हम हल चला सकते थे और हर खेत को पानी दिया जा सकता था और उससे 10 लाख टन उत्पादन हो सकता था और आपको भीख मांगना न पड़ता । लेकिन 3 अरब का विदेशों से अन्न मंगाया और सरकार ऋणी बनती जा रही है । 47 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आज प्रत्येक भारतीय 125 रु0 का ऋणी है और आप समाजबाद लाने की बात कहते हैं मान्यवर, जब आबादी बढ़ेगी, तो जरूरी है कि आप उत्पादन को बढ़ायें, लेकिन आप उत्पादन बढ़ाने में सक्षम नहीं रहे, अपने साधनों का इस्तेमाल नहीं किया । नतीजा यह हुआ कि महंगाई बढ़ती गयी । इस महंगाई की जननी खुद कांग्रेस है । आचार्य जी मुझे माफ करेंगें । इंदिरा गांधी का नाम लिया गया, इसलिये दिल्ली की सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है । कहा गया कि जब मुद्रा-प्रसार होगा, तो महंगाई आयेगी ।

अगस्त, 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ कर जा रहे थे तो उस समय मुद्रा साढ़े 12 अरब थी और अगस्त, 1972 में 46 अरब । अब आप राष्ट्रीय उत्पादन और मुद्रा प्रसार में भारी विषमता देखें । जो पिछले तीन साल के आंकड़े हैं उनके आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि 1968–69 में देश का राष्ट्रीय उत्पादन 2.4 प्रतिशत हुआ, जब कि मुद्रा प्रसार 8% 1969–70 में 5.3 प्रतिशत राष्ट्रीय उत्पादन और मुद्रा प्रसार 10 प्रतिशत और 1970–71 में राष्ट्रीय उत्पादन 4.7 प्रतिशत तथा मुद्रा प्रसार 11.7 प्रतिशत । यही कारण है महंगाई का । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कहा कि घाटे का बजट न बनाया जाये, किन्तु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने घाटे का बजट बनाना आरम्भ कर दिया । पहली योजना में यह घाटे का बजट बना था 420 करोड़ का, और चतुर्थ योजना में 4566 करोड़ का । उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष कर के बारे में कहना चाहता हूं । पूंजीपति सरकार अमेरिका ने भी अप्रत्यक्ष कर कम लगाया है । यह अप्रत्यक्ष कर का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है, प्रत्यक्ष कर का भार धनी-मानी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष––

अपने भाषण को आप व्यापक न बनायें । खाद्य तथा रसद पर आयें ।

---

†4 अप्रैल, 1973 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं उसी पर आ रहा है। मान्यवर, जब तक दिल्ली की सरकार घाटे का बजट बनाना बन्द नहीं करेगी, तब तक महंगाई रहेगी, दूर होने वाली नहीं है और खाद्य का संकट बना रहेगा। जहां तक मूल्य वृद्धि का प्रश्न है पाकिस्तान ने भी युद्ध लड़ा लेकिन वहां मूल्य वृद्धि हुई 3.6% ब्रिटेन में 2.5% ,फ्रांस में 3.8% अमेरिका में 2.5% ,जिनकी आय सब से ज्यादा है बहुत थोड़ी मूल्य वृद्धि हुई है, लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय उत्पादन से दुगुनी तिगुनी हुई। इसलिये मैं कहता हूं कि यह है आपकी असफलता और यह आपके कुकर्मों से दूर होने वाली नहीं है। आपने चीनी का व्यापार अपने हाथ में लिया। दिसम्बर 71 में बाजार में दो-सवा दो रुपये चीनी बिकी, आपने कहा कि व्यापारी लूट रहा है। आपनें 72 में चीनी ली और आपने भी वही मूल्य रखा जो व्यापारी बेच रहा था। आज आपने सस्ते गल्ले की दूकानों पर चीनी दो रुपये से अधिक बिक रही है और आज समाजवाद का नारा लगा रहे हैं और किसानों के हितैषी माने जाते हैं। समय कम है। मैं अधिक न कहकर अब गल्ले के थोक व्यापार की बात पर आता है। रियासत हुसैन साहब नहीं हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आपकी वजह से मैं बैठा हुआ हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

आपने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। मैं आपको बतलाता हूं कि इटली ने 1945 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया लेकिन वह समाजवादी नहीं बना। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद, मैं कहता हूं, आप भी समाजवादी नहीं बनेंगे। फिर आपने कहा कि प्रिवीपर्स समाप्त की। प्रिवीपर्स के लिय कौन जिम्मेदार था। इस प्रिवीपस क भी जन्मदाता पंडित नेहरू थे, आपकी इन्दिरा गांधी के पिता जी।

श्री रियासत हुसैन—

हम जो आज की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको यह शक है कि यह समाजवादी नहीं हैं।

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

इनको दस पन्द्रह मिनट का टाइम कल भी मिल गया था। आज दूसरों को टाइम दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

तीसरी बात मैं कहता हूं कि आपने राजकीय व्यापार अपने हाथ में लिया। इससे होगा क्या? आप अपने हृदय से पूछ लें, गांव वालों से पूछ लें। देहात में जो चीनी आप देते हैं वह सारी की सारी शहर में बिक जाती है। अगर आप समझें कि इतना बड़ा व्यापार लेकर आप उपभोक्ता तक पहुंचा देंगे तो यह नहीं पहुंचा पायेंगे। आपने 15,650 टन गेहूं दिया है लेकिन केवल नगरों के लिये, देहात के लिये व्यवस्था नहीं है। अगर गंगा प्रसाद जी समझते हों कि मजदूरों को और देहातवालों को मिल जायगा तो यह असम्भव है। राशनिंग होगी तो पहले बड़े-बड़े शहरों में होगी, फिर छोटे शहरों में होगी और देहातों का तो नम्बर आने वाला नहीं है। आप किसान से अनाज लेंगे और उसका शोषण करके शहर में रहने वाले पूंजीपतियों को और बड़े लोगों को सस्ते दर पर देंगे। इस पर भी आप कहते हैं कि किसानों के हितैषी हैं। इस राजकीय व्यापार लेने से यह हुआ है कि सरकार और व्यापार एक हो गये हैं। जहां शासन और व्यापार का गठबन्धन हो जाता है वहीं भ्रष्टाचार पनपता है और इसीलिए गांधी जी कहते थे कि कंट्रोल सबसे बुरी चीज है और यह सत्यानाश की तरफ ले जाना चाहते हैं।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मन्त्री जी सुन लें, कि इससे न किसान को फायदा होगा और न उपभोक्ता को फायदा होगा। केवल एक फायदा है और वह यह कि कोटा, लाइसेन्स और परमिट से लाखों रुपया कमायेंगे और 74 के आने वाले चुनाव में और 76 के पार्लियामेन्ट के चुनाव में वोट खरीदेंगे। इसीलिये आप गरीबी बढ़ा रहे हैं कि गरीब आप को अपना भाई बाप समझने लगगा। हिन्दुस्तान में गरीब वोट बेंच रहा है और आप समझते हैं कि हम उससे खरीद लेंगे चाहे जो कुकर्म करना पड़े। यह जो गले का व्यापार आपने लिया है तो आचार्य जी हमको बतला दें कि कन्द्र या राज्य सरकार ने कोई भी व्यापार या कारखाना अपने हाथ में लिया तो उससे कभी लाभ हुआ। चार हजार करोड़ रुपया की पूंजी लगी हुई है लेकिन लाभ तनिक भी नहीं हो रहा है। सबमें घाटा हो रहा है। इससे भी नसीहत नहीं ले रहे ह। केवल नारों में जा रहे हैं और भोलीभाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारी सत्ता ब्राह्मण-वाद के हाथ में सौंपना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है—पांच-पांच मिनट ले लें।

*श्री डी0 पी0 बोरा—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अहम मसले पर बोलने का अवसर दिया है। थोक व्यापार के अधिग्रहण करने का निश्चय सरकार ने किया है। प्रतिक्रियावादी ताकतों ने मिल करके अमेरिका के इशारे पर एक साजिश खड़ी की हैं। लखनऊ म एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थीं। गल्ले के व्यापारियों ने 20 लाख रुपय इकट्ठे करके साजिश कर रहे ह जिससे कि सरकार को इस मन्सूबे में नाकामयाबी मिले। यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और इस पर सारी दुनिया के लोगों की आंखें लगी हुई है। वे तमाम लोग जो समाजवादी विचारधारा में आस्था रखते हैं इस ओर बड़े आकांक्षा और महत्वाकांक्षा से देख रहे है कि हिन्दुस्तान में यदि सरकार गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में लेकर दोनों वर्गों को सफलता से साथ दे सकती है तो यह बहुत बड़ा साहसिक कदम होगा। अप्रैल, मई व जून में आप अच्छी तरह से जानते हो कि गल्ले के थोक व्यापारी सस्ते दर पर किसान से गल्ला खरीदते हैं और 3–4 महीने रख कर अधिक दाम पर उन्हीं किसानों और गरीबों को बेचते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हू कि जो सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है उसकी जितनी भूरि भूरि प्रशंसा की जाए थोड़ी होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गेहूं खरीदारी के सिलसिले में जो बिचौलियां को समाप्त किया गया है उससे लोगों के अन्दर बड़ी खुशी है। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं की यदि सरकार का यह मनसूबा-नीयत सफल हो गया और प्रतिक्रियावादी ताकतों के मन्सूबे असफल हो गये तो यकीनन यह समाजवादी, क्रांतिकारी और रिवोल्यूशनरी परिवर्तन होने जा रहा है जिसकी हम बहुत दिनों से आशा लगाये हुए थे।

सारी चर्चा जो अभी तक रही है वह इस कदम को क्रिटीसाइज करने की रही है। साथ ही में मन्त्री जी का ध्यान एफ0 सी0 आई0 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज भी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर को उनके गोडाउन से गल्ला प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के डी0 एस0 ओ0 रात के डेढ़ बजे एफ0 सी0 आई0 के गोडाउन में रहते हैं कि वहां से राशन ज्यादा मिल जाए। गोडाउन से राशन मिलने में बड़ी असुविधा हो रही है। वहां भी विभिन्न दल के लोग ट्रेड यूनियन बना कर गोडाउन से गल्ला निकलवाने में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री डी० पी० बोरा]

बाधा उत्पन्न कर रहे ह। गल्ले के थोक व्यापारियों ने 20 लाख रुपये इकट्ठे करके इस स्कीम को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं एक बात लाइसेन्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आपकी प्रणाली दोषपूर्ण है। आप सिर्फ उन्हीं को लाइसेन्स दे रहे हैं जो 3 साल से इस व्यापार को कर रहे थे। आप सभी को लाइसेन्स दीजिये जो भी कोई लेना चाहे। लखनऊ में अभी भी बहुत से लोग राशन की दुकानों पर कतारें लगाए खड़े हैं। लोग सुबह से रात तक खड़े रहते हैं और उसके बाद जवाब मिल जाता है कि गल्ला नहीं है। मन्त्री जी ऐसा कर दें कि एक महीने का राशन जो भी आप देते हैं वह निश्चित रूप से किस नम्बर से किस नम्बर तक किस दिन मिलेगा बतला दिया जाय। इससे चार पांच दिन लोगों के खराब नहीं होंगे। जिस दिन ऐसा हो जावेगा उस दिन कोई किल्लत नहीं होगी। मन्त्री जी और राज्य मन्त्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा साहसिक कदम उठाया है। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वह राजनैतिक दलों की ओर से है। वह चाहे बन्शगोपाल शुक्ला हों, श्री कृष्ण वर्मा हों या अक्षयबर मल्ल हों। इन लोगों ने स्प्रिट की कई-कई दुकानें ले रक्खी हैं और राशन की भी ले रक्खीं हैं और दूसरे लागों को दे रक्खीं हैं। आप ऐसे लागों को दुकान न दें जो खुद दुकान नहीं करता है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर–) –

किसी सोशलिस्ट सदस्य को दी गई हो तो उसको बतला दें।

श्री डी० पी० बोरा––

मैंने तो बतला दिया, श्रीअक्षयबर मल्ल को दी गई हैं। ऐसे लोग जो दुकानें खुद करते नहीं हैं उनकी दुकानें खत्म कर दी जानी चाहिये। इससे बेईमानी खत्म हो जावेगी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

जो लोग कांग्रेस कैम्प्स में हैं उनको दूकानें दी गई हैं या नहीं?

श्री डी० पी० बोरा––

मेरे यहां भी लोग हो सकते है लेकिन आपके यहां बहुत ज्यादा दी गई हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी––

जब कांग्रेस के लोग अपने को समाजवादी कहते हैं तो ठीक वही कहावत चरितार्थ होती है जैसे कि कोई शैतान कुरान की आयत पढ़ रहा हो।

श्री उपाध्यक्ष––

शैतान कहां से कुरान की आयत पढ़ेगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)––

नहीं पढ़ेगा तो समाजवाद कैसे आवेगा।

श्री मोतीलाल देहलवी––

चूंकि कल श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, मन्त्री रहीं हैं, इस सदन में प्रधान मन्त्री का नाम लिया हैऔर उनको क्रांतिकारी बतलाया है, इसलिये मुझे प्रधान मन्त्री की बात कहना पड़ रही है। मान्यवर, इस देश के अन्दर परिवार नियोजन भी चल रहा है और कथनानुसार हरित क्रांति भी चल रही है। मान्यवर, 5 फरवरी, 1973 को प्रधान मन्त्री को एक पदक भी मिला है खाद्य में आत्मनिर्भर होने की वजह से विश्व संगठन की ओर से। तो मान्यवर, प्रधान मंत्री जी की कौन सी बात सही है? क्या देश खाद्य में आत्मनिर्भर हो गया है?

दूसरी बात मैं कह दूं कि आत्मनिर्भरता का पदक प्रधान मंत्री को मिल गया लेकिन फिर भी 20 लाख टन गेहूं कैनाडा और अमेरिका से मंगाया जा रहा है। परिवार नियोजन भी सफल हो गया, हरित क्रान्ति भी सफल हो गयी। मैं इन कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी बात सही है? सिवाय इसके कि आप देश के लोगों की मजबूरी से, भोले-भाले लोगों के अन्ध विश्वास से और अपने अमीरों और पूंजीपतियों के नोटों और गरीबों की गरीबी के बोझ से बराबर नाजायज फायदा उठाते चले जा रहे हैं। आपने कह दिया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। कहां क्या कर दिया, कहां किसी गरीब को उससे फायदा हुआ? आप गलत बात क्यों कहते हैं, गुमराह करने वाली बात क्यों कहते हैं इसी तरह से कहते है कि एक क्रान्तिकारी कदम उठा दिया गेहूं का थोक व्यापार अपने हाथ में लेकर। कौन सा क्रान्तिकारी कदम है? उसमें उद्देश्य जन-हित व किसान हित का बता रहे हैं जो पुस्तिका आपने सूचना विभाग के द्वारा बटवाई, कि हम किसानों को गेहूं का उचित मूल्य देंगे और गरीब लोगों को उचित दाम पर गल्ला देंगे।

मान्यवर, किसानों से 76 रु0 क्विंटल में जो गल्ला खरीदने जा रहे हैं, डा0 लोहिया की सारी जिन्दगी इसी में गयी, यही कहते कहते और उनको मरवा दिया गया कि किसान को इतनी कीमत मिलनी चाहिए उसकी पैदावार की कि जो उसके जीवन को पुसाये, जिसमें उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके। क्या कोई इस तरह का आधार है, क्या ये दावे के साथ कह सकते हैं कि क्या 76 रुपये क्विंटल के भाव में किसान का भरण पोषण सकेगा? मान्यवर, नहीं हो सकेगा, हमारा दावा है। जो पिछले कई सालों में गेहूं के दाम उनको मिलते रहे हैं उसका ऐवरेज भी निकालें तो भी 90 रुपये कम से कम निकलता है। अगर आपने किसान के साथ कोई हमदर्दी की होती तो 90 रुपये तो दाम रखे ही होते। आपसे पूछा गया कि 76 रुपये क्वींटल का भाव कहां से निकाल लिये? न आपके पास, न आपके अफसरों के पास कोई जवाब है। आपने बैठ कर तय कर लिया कि 76 रुपये देंगे। वह सबसे बड़ा अन्याय किसान के साथ हुआ है।

रही गरीबों को सस्ता गल्ला देने की बात। अगर 76 रुपये उस हालत में मूल्य निर्धारित किये होते जबकि किसानों को उनकी जरूरत के दूसरे सामानों के दाम भी बांध दिये होते तब तो बात दूसरी थी, लेकिन उनको उधार खाते में डाल दिया और कह दिया कि पहले गेहूं के दाम कम होने चाहिए। इनका तर्क है कि गेहूं का दाम कम हो तो उसके बाद दूसरी चीजों के दाम अपने आप कम होंगे। यह कहते हैं गेहूं के महंगे होने की वजह से ही जनोपयोगी वस्तुएं महंगी हुईं। मैं जानना चाहता हूं कि गहूं ही महंगा कैसे हुआ। क्या यह सही नहीं है कि किसान को ब्लैक में महंगी खाद––महंगी सिंचाई––महंगा बीज––ड्योढ़ा दुगना लगान––महंगी बिजली तथा चार रुपये किलो शक्कर जब दोगे तो गेहूं कैसे सस्ता हो सकेगा?

मान्यवर, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। पहले अंडा या पहले मुर्गी, आप यह समझा दें।

श्री उपाध्यक्ष––

इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता। अब आप समाप्त कीजिये।

श्री मोतीलाल देहलवी––

श्रीमान्, 5 मिनट और दे दें। दाम नीति पर बोलना है।

अब समय नहीं है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं केवल 2-3 सुझाव ही दूंगा। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि उनको एक ऐतिहासिक कार्य करने का सुअवसर मिला है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं और यह सदन भी बधाई का पात्र है, जो उसको इस कार्य को करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

मान्यवर, तीन संस्थाओं के द्वारा गेहूं खरीदा जायेगा—एफ0 सी0 आई0 द्वारा, पी0 सी0 एफ0 द्वारा, और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और उस सब का जखीरा केन्द्र में होगा। मुझे इसमें एतराज नहीं है, मगर एफ0 सी0 आई0 तथा उत्तर प्रदेश सरकार का क्या संबंध रहेगा, इसके संबंध में कोई नीति निश्चित रूप से तय होनी चाहिये। इसमें एक बहुत बड़ा कदम निहित है जो क्रान्तिकारी है और वह यह है कि इस कार्य को देखने के लिये एक नान आफिशियल एजेन्सी को कुछ अधिकार दिया जायेगा। वह प्रधान होगा या गांव सभा का कोई सदस्य होगा, उसे 3 रुपया रोज भत्ता दिया जायेगा, इस सब के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य चाहता हूं कि वे इसके लिये कोई निश्चित नियम अवश्य बना दें क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वहां पर हर रोज एक युद्ध का अखाड़ा बन जाय।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस कदम का बी0 के0 डी0 को छोड़कर सभी ने स्वागत किया है। इसके कार्यान्वयन में कुछ कठिनाइयां बतायी गयी हैं। बराबर आती रही हैं, यह भी स्वीकार करने में मुझे कठिनाई नहीं है। यह भी सही है कि चीनी आज खासतौर से देहाती क्षेत्र में उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंच रही है। कमियां रह जाती हैं। तो मैं यह सुझाव रखना चाहता था कि इस कार्य के लिये यदि इस सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग लिया जा सके तो अच्छा होगा। यह हो सकता है कि जैसे मैं मथुरा का रहने वाला हूं तो मुझे मथुरा के करीब किसी दूसरी जगह के निरीक्षण का काम दिया जाय। सब साथियों का सहयोग इस तरह से अगर प्राप्त किया जाय तो अच्छा होगा। क्योंकि आज इसको स्वीकार करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए कि यह एक क्रान्तिकारी कदम है और उस शृंखला का कदम है जिसमें कि उस जमाने में जमींदारी एबालिशन हुआ किसान को अधिकार दिये गये, उसके बाद उसका कर्जा साफ किया गया और आज वह पुनः एक बार किसान की एक अन्य चंगुल से मुक्ति है।

ये जो हमारे होलसेलर्स हैं उस गरीब किसान से खरीदते थे, फिर उसकी जखीरेबाजी करते थे, फिर उस गरीब को नहीं मिलता था अनाज। आज उसको इससे मुक्ति का अवसर मिला है। तो अब दो-तीन बातों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और ये दो-तीन बातें जनता की लाभ की होने वाली हैं इससे। पहला, जो कीमतों में वृद्धि होती है, वह रोकी जाए, दूसरे उपभोक्ता को मिले और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर मिल सके। इसमें एक और कदम सराहनीय है, वह यह है कि जो मिनी कोआरेटिव स्टोर्स बनाने की योजना है खासकर ग्रामीण अंचलों में, जिसमें मिट्टी का तेल और सस्ता कपड़ा किसानों और गरीबों को मिलेगा। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कृपा करके उनका क्षेत्र विस्तृत कीजिए। केवल मिट्टी के तेल और सस्ते कपड़े तक दुकानों को सीमित न करें, बल्कि किसान के उपयोग की जितनी दूसरी चीजें हैं, उन्हें भी उन स्टोर्स से आप उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी राय में जो 76 रु0 का दाम रखा गया वह उचित है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इस दल के प्रत्येक व्यक्ति ने कहा है कि वह नामुनासिब है। लेकिन कृपा करके यह देखिये कि वह हमारी योजना नहीं है। बल्कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त कृषि मूल्य आयोग

ने यह मूल्य तय किया था। हम निरन्तर यह चाहते हैं कि यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, यह बढ़ाया जाए। यह उचित हो और यह तर्कसंगत हो, इसमें हमें किसी को कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

मुझे इस बात का सख्त अफसोस है कि यहां जितनी भी तकरीरें होती हैं, आपकी नजर इधर नहीं आती है और खासकर औरतों की तरफ तो बिल्कुल आती ही नहीं है। संविधान में हमें बराबरी का हक मिला हुआ है, लेकिन इस विधान सभा में हमें बराबरी का हक नहीं मिला हुआ है, बराबर हमारी उपेक्षा की जाती है—

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं है। किसी भी औरत से ज्यादा औरतों की तरफ मेरी नजर रहती है।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

औरतें बहुत ही गम करती हैं और बहुत ही कायदे पर चलने वाली होती हैं। वह खामोश ज्यादातर रहती हैं, कभी मैं खड़ी भी होती हूं आप हमें समय नहीं देते हैं तो मैं खामोश होकर हमेशा बैठ जाती हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी हमें इजाजत न दें। कुछ खास ऐसे मुद्दे हैं जैसा शिक्षा और खाने-पीने की ग्रान्ट का बजट है, उससे औरतों का खासकर लगाव है, आप उन्हें उन पर स्पेशली बोलने का मौका दिया करें, लेकिन आप हमें कभी मौका नहीं देते हैं, इस पर भी आपने मुझे मौका नहीं दिया। हमें भी बराबरी का अधिकार है। इसका मैं सख्त प्रोटेस्ट करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आज बेगम साहिबा का नाम नहीं आया। एक दिन जब उनका आया था तो पूर्व वक्ता जब बोल रहे थे वह तत्काल बाद में चली गईं। तो अब क्या किया जाए। अब इस समय-समय नहीं है। आप जिस विषय पर भी बोलना चाहें, या और कोई महिला मेम्बर बोलना चाहें, तो वह नाम भिजवा दें, जब बोलने का मौका आएगा, तो मैं उनको औरों के ऊपर तरजीह दूंगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

इसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं कई बार खड़ी हुई आपने मौका नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

इनकी पार्टी ने बोलने के लिए इनका नाम आपके पास नहीं भेजा, लेकिन यह प्रोटेस्ट आप से कर रही हैं, उनको तो प्रोटेस्ट अपनी पार्टी से करना चाहिए, आपसे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उनको जवाब दे दिया है, आप बैठें।

श्रीमती कुदसिया बेगम—

कृष्णानन्द राय जी ने मेरा नाम आपके पास भेजा है, आपने ही बोलने नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं भेजा है।

(व्यवधान)

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

आप मुझे बोलने का दो मिनट ही अवसर दे दें। शायरी सुना दूंगा।

(व्यवधान)

*श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, इस कटौती के प्रस्ताव पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और बहुत हद तक उसको बल प्रदान किया, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं न केवल विरोधी सदस्यों ने, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने भी औपचारिक रूप से इसका विरोध करने के बाद लगातार अपने पूरे भाषण में इस योजना की खामियों और जो दुकानों में दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था है, उस पर कटाक्ष किया है और उसकी क्रिटीसिज्म की है। मान्यवर, रियासत हुसैन जी कल बोल रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया कि उसके दाम कम हैं, उसे चाहे सब्सीडाईज किया जाए या और कुछ किया जाए, बहरहाल किसान को ज्यादा दाम दिलाए जाएं। उन्होंने यहां तक कहा कि ब्यूरोक्रेशी व्यवस्था इस समय शासन के खिलाफ है, अतः इसके लिए सरकार को ठोस काम करना चाहिए। शासन पर आपका नियंत्रण बिलकुल लचर और कमजोर है। बोरा साहब ने भी तमाम खामियों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया और कहा कि दुकानों में कतारें लगी हुई हैं, महीने के आखिर तक लोगों को गल्ला नहीं मिलता है। उन्होंने यह भी कहा और माना कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका लचर है, ठोस काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी योजना अक्षमता और दोषों से पूर्ण है, वह सफल होना मुश्किल है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी, जिनका सारा दल क्रान्तिकारी समाजवादी है, उन्होंने, शुरू में जब वह मंत्री हुए, पुराने विधायक निवास में अपने लिए एक झोपड़ी बनवाया, उसमें रहना शुरू किया। अब जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि दौरे के लिए कि हम अब अम्बेसडर कार में दौरा नहीं करेंगे, बहुत जगह जाना पड़ता है, इसलिए एअर-कंडीशन इम्पाला कार दी जाए। इसी तरह की झोपड़ी कलकत्ता के विधान नगर में भी बनाई गई थी। इस को कह कर मैं कहना चाहता हूं कि आप मिथ्या समाजवाद की बात करते हैं। आप बात करते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते हैं। आप सब की आंखों में समाजवाद की धूल झोंक रहे हैं। अमल में कुछ नहीं ला रहे हैं। मैंने कल कुछ बातें मकान आदि के बारे में कही थीं। 75 दुकानें जो एलाट की गई थीं, उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ, जिसके विरुद्ध न केवल हम लोगों को शिकायत है, बल्कि आपके दल के भी माननीय शिवलाल और ज्वाला प्रसाद ने मुख्य मंत्री जी से शिकायत की है, जो कि मुख्य मंत्री के यहां मौजूद है। आज एक बात की तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जो राज्य मंत्री यादवेन्द्र सिंह जी हैं, इनके पास लखनऊ में दो रेन्ट-कन्ट्रोल के मकान हैं जो सरकारी निवास के अलावा हैं।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

श्री नेगी के कहने का आधार क्या है, कृपा इसको वह साफ करें मैं घोषित करना चाहता हूं कि सिवाय सरकारी आवास के मेरे पास कोई अन्य रेन्ट कंट्रोल का मकान नहीं है।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जानता हूं आप यही कहेंगे, इसी तरह से बचना चाहेंगे। रायल होटल के पीछे जो मकान है, वह आपकी पत्नी के नाम है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसको वह सिद्ध कर दें तो मैं रिजाइन कर दूंगा। पहले यह इसे सिद्ध करें, फिर आगे अनर्गल बात करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

और एक मकान है आपके भाई के नाम, पी0 एम0 जी0 आफिस के पास वाला।

श्री डी0 पी0 बोरा---

व्यवस्था का प्रश्न है। नेगी जी बताएं कि 1956 से उन्होंने कितने दुकान और मकान खड़े किये हैं तथा कितनी फर्मों के वह हिस्सेदार हैं।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

यह कहने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि मेरी बात गलत हो तो उसकी सफाई कर दी जाए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बोरा साहब ने कहा कि सस्ते गल्ले की दुकानें कई लोगों के पास पांच-पांच, छः छः हैं और किसी के पास है ही नहीं। यह बात सही है। बहुत से लोगों के पास इस तरह की दुकानें हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि साबित कर दें तो इस्तीफा दे देंगे, अगर नेगी जी न साबित करें तो क्या इस्तीफा देने को तैयार हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

मैंने कलभी कहा था आज भी कह रहा हूं कि जो गलती हो आप सुधार सकते हैं।

श्री डी0 पी0 बोरा---

जब यह बात बिलकुल गलत है तो कम से कम प्रोसीडिंग्ज से ही निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

कल माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि 117 टन गल्ला खरीदा गया है। हमारे मंत्रिमंडल में हमारे बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हैं, जिनमें राज्य मंत्री का भी फार्म है। कुल 117 टन गल्ला खरीदा है।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्र सिंह---

मैं घोषणा कर रहा हूं। 18 एकड़ जमीन के अलावा एक एकड़ भी जमीन मेरे पास हो तो साबित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

जब ऐसे आरोप आप लगा रहे हैं जिसका पूर्ण खंडन किया जा रहा है, आपने कह दिया है कि गलत हो तो मैं गलती मानने को तैयार हूं तो उस पर क्यों ऐसी बातें कहते हैं जिसके बारे में आप खुद आश्वस्त नहीं हैं।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा। कहीं पर मेरी सूचना भी गलत हो सकती है। आपने स्पष्टीकरण कर दिया मैंने मान लिया।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कितने प्रकार की अफवाहें और गलत खबरें होती हैं। क्या यह सही है कि गलत खबरों और अफवाहों को हम सदन में कहें और दूसरे पर कटाक्ष करें और यह कह दें कि जो गलत हो उसका खंडन कर दिया जाय तो मैं गलती स्वीकार करूंगा ? नेगी जी स्वयं इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मैंने व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं किया। चूंकि मंत्री जी हैं इसलिए कटाक्ष किया जाता है। और कोई होता तो नहीं कहता।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं ऐसे आरोप को कैरेक्टर ऐसेसिनेशन की संज्ञा देता हूं। और कैरेक्टर ऐसेसिनेशन का हक सदन में किसी को नहीं है।

एक सदस्य—

व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था मैंने दे दिया। पहले स्वयं तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके आश्वस्त होना चाहिए। इस सम्मानित सदन के बीच में कोई बात कहते हैं और यह कहते हैं कि मेरी जानकारी इसमें है तब तो बात, जनहित का अगर मामला है, तो हो सकती है। जब आप स्वयं कहते हैं कि हो सकता है कि गलत हो, तो आपको इसका नुकसान शासक दल को नहीं पहुंचाना चाहिए।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)—

भाषण से वह हटा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

भाषण जो कुछ भी होता है, मैं एक शब्द हटाने और घटाने के पक्ष में नहीं रहा हूं। पहले की मेरी व्यवस्था है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

कल माननीय मंत्री जी ने बताया कि सारे प्रदेश में कुल 117 टन गेहूं खरीदा गया।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बेनीसिंह)—

170 टन।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

170 टन गेहूं खरीदा गया। हमारे मंत्रिमंडल के बहुत से मंत्री बैठे हैं जिनके पास फार्म हैं। वह बता दें, राज्य मंत्री जी ने कहीं गेहूं सेन्टर पर बेचने के लिए भेजा, कितना योगदान इस योजना में कर रहे हैं? आज हालत यह है कि बाजार में गेहूं 5 तारीख हो गयी है, पहली तारीख से काम शुरू हुआ आज तक तो है। गल्ला आपके क्रय केन्द्रों में नहीं के बराबर आ रहा है, रोज ब रोज गेहूं के भाव बढ़ते जा रहे हैं। कोयला जलाने के वास्ते लखनऊ में उपलब्ध नहीं है और साफ्ट कोक, हार्ड कोक कोई भी उपलब्ध नहीं है, 9 इन्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं, फिरोजाबाद में 50 हजार मजदूर चूड़ी के काम करने वाले बेकार हो रहे हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है डोमोस्टिक कंजम्प्शन के वास्ते नहीं मिल रहा है। इन संकटाकीर्ण परिस्थितियों से हमारे प्रदेश का नागरिक आज गुजर रहा है। उसके अन्दर यह भावना घर करती जा रही है कि आज उसको दैनिक जीवन की वस्तुयें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, आपके कार्य करने की क्षमता आपके तौर तरीके और वितरण के तरीकों से तमाम लोग परेशानी के अन्दर से गुजर रहे हैं।

मैं अपनी बात समाप्त करता हूं लेकिन इतना कहता हूं कि किसानों के गेहूं के दाम को बढ़ाने के लिये सभी तरफ के लोगों ने अर्ज किया है चाहे वे इधर के बैठने वाले हों और चाहे उधर के इसलिये आपको उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर एक रुपया क्विंटल भी उनका दाम बढ़ जाये तो उससे सीधे 8 करोड़ रुपये का फर्क पड़ता है यानी किसानों की इतनी बड़ी धनराशि की हानि आप कर रहे हैं और इधर उपभोक्ता को भी एक रुपये चालीस पैसे और एक रुपये पचास पैसे प्रति किलो का गेहूं खरीदना पड़ रहा है। अभी तक तो दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिये आप उसमें ऐसी व्यवस्था करें जिससे जनता की यह परेशानियां दूर हो सकें। इन शब्दों के साथ में अपने सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मैं दो मिनट में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब कटौती के जवाब के बाद आप नहीं बोल सकते।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मैं श्रीमन्, एक जानकारी मंत्री जी से करना चाहता हूं मान्यवर, मंत्री जी ने जो पत्र हम लोगों के विधायकों के पास भेजा है इसके उद्देश्य 2 और 3 की ओर में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:—

(2) उत्पादकों को उनके गेहूं का प्रोत्साहक मूल्य मिल सके जिससे उत्पादन की वृद्धि करने में उनका प्रोत्साहन बना रहे।

(3) उपभोक्ताओं, विशेष तौर पर गरीब तबके के उपभोक्ताओं को एक निर्धारित उचित मूल्य पर पूरे वर्ष गेहूं उपलब्ध किया जा सके।

तो मान्यवर, इसमें यह नहीं है कि कौन सा बढ़ा वाला मूल्य होगा जिससे गेहूं का भाव पता चल सके कि क्या होगा। माननीय मंत्री जी इसको साफ कर दें।

श्री बेनीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सचमुच इस सदन का बड़ा कृतज्ञ हूं कि जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि यह काम बड़ा भारी है, मुश्किल है, नया है, अड़चनें काफी हैं, विरोध भी संगठित हो रहा है, इन सब बातों को देखते हुए जो बहस यहां हुई वह बहुत अच्छी और बहुत ऊंची हुई। बजट और अनुदानों पर जिस प्रकार से यहां बहस होती है उसकी अपेक्षा इस बहस का स्तर बहुत ऊंचा रहा है और इसके लिये मैं बहुत आभारी हूं। हां, कुछ लड़के हैं, लड़कपन कर जाते हैं, उनके लिये मेरा कहना है कि वे मेरे दोस्त के लड़के हैं, अगर वे अपने बाप को कुछ कहते होंगे तो हमको भी कह लेंगे तो हमें एतराज नहीं है (एक आवाज.....यह किसी गलत बात का असर हो सकता है।) यह ठीक है जो जैसा अन्न खाता है और जिस हालत में रहता है उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखलाई देता है। (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी के उठने पर) भाई, बैठो, मैं तुमको अपने लड़के की तरह मानता हूं। कल बुला कर यह कहा था कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करते। तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी। व्यक्तिगत आक्षेप करना था तो मुझसे पूछ लेते। (व्यवधान) अन्धे के आगे रोये अपने दीदा खोये। मैं फिर क्या कर सकता हूं? इन बातों का जवाब मेरे पास नहीं है। यह बात सही है कि सारी बहस केन्द्रित हो गयी अधिग्रहण पर। यही सबसे बड़ा मसला है। रूपनाथ जी बात कह रहे थे वही हमारी नीयत है पालिसी डिक्लेयर करने की।

[श्री बेनी सिंह]

पालिसी में यह डिक्लेयर नहीं होता कि हम क्या भाव लायेंगे। पालिसी एक बड़ी भारी चीज होती है। वह मैं कल कह चुका हूं कि हम दो में से एक का भी शोषण नहीं होने देंगे——न किसान का और न उपभोक्ता का। आपने जो अधिग्रहण किया उस वक्त कहा कि किसान का शोषण कम कीमत पर खरीद करना है और उपभोक्ता का शोषण ज्यादा कीमत पर बेंचना। हमने उनसे कहा कि कोआपरेट करो, हमारे साथ सहयोग करो।

जमींदारी उन्मूलन के समय जमींदारों ने हमारे साथ बैठ कर बिल को पास किया और सीलिंग में भी सीलिंग के पक्ष में वोट किया। जब स्वार्थ टकराता है तो लोग लड़ते भी हैं। अगर कांस्टीटयूशनली लड़ेंगे तो इसका उनको अधिकार है। प्रदर्शन करें, बायकाट करें, सब कुछ करें लेकिन अगर अनकांस्टीटयूशनल हुए तो उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जायगा और उसके जो अंजाम होते हैं वही होंगे। यही बात रिटेलर्स के लिये है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कुछ लोग नहीं आये, कहा कि हम लाइसेन्स नहीं लेंगे तो मत लीजिये। लेकिन हम हर मदद देने को तैयार हैं। कल पल्लेदार आये, कुछ औरतें आईं। हमने कहा कि उनको काम पर लगाया जाय और उनको हम काम पर लगाने का प्रयास करेंगे और पूरा पूरा काम देंगे। रिटेलर बहुत घबराये हुए थे। हमने उनको मौका दिया 15 दिन पहले कि जितना गल्ला हो निकाल दो। हमने रिटेलर के लिये भी कानून बदला नहीं है। रिटेलर नियत भाव पर खरीदेंगे और नियत भाव पर बेचेंगे। यह 15 दिन का समय जो माल उनके पास था उसे निकालने के लिये दिया था। वह भी यह नीति अख्तियार न करें जो थोक व्यापारी करते थे कि मौके को देख कर कीमतें बढ़ा दीं।

लिहाजा मेरा निवेदन है कि कीमतें बढ़ाने की कोशिश न करें। यह सहयोग हम उनसे चाहते हैं वैसे हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। यह भी कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब है। उसे मैं बदलने जा रहा हूं। उसके लिये हम कमेटीज बनाने जा रहे हैं और उसे हम चुने हुए आदमियों को देने जा रहे हैं। गांव सभा का सभापति, उप सभापति, न्याय पंचायत का सरपंच तथा सेवक, कोई हरिजन अथवा वीकर सेक्शन का प्रतिनिधि नहीं है तो गांव सभा का अध्यक्ष यानी 4, 5 आदमी इसकी व्यवस्था को देखेंगे। गल्ले को ले जायंगे, सेंटर पर पहुंचायेंगे, उसे बिकवायेंगे, ठीक दाम दिलवायेंगे और चेक भुनवायेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें होंगी उन्हें भी हम देखेंगे। हमारे गांवों में चीजें पहुंच रही हैं यानी, शक्कर पहुंच रही है या नहीं और यदि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हमें मिली तो मैं आपको विश्वा दिलाता हूं कि हम इन्क्वायरी नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को निकाल देंगे। हम कटिबद्ध हैं..

श्री शफीक अहमद खां—

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी दुकानें आपने गांवों में खोली हैं।

श्री बेनी सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी किसान की जरूरत की चीजें हैं उसे हमें पंचायतों में गांवों में, शहरों में और मुहल्लों-मुहल्लों में स्टोर्स कायम करने जा रहे हैं, वहां पर रखेंगे। लेकिन यदि माननीय सदस्य यह चाहें कि यह आज ही हो जाय तो यह सम्भव नहीं है। इसमें समय लगेगा। एसा कहने से काम नहीं चलेगा। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जितने मंत्री हैं सभी ने सदन में झूठ बोला है। मैं पूछता हूं कि किसानों को आप कितना दाम देंगे?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, मैं फिर वही बात कहूं कि "फूलहिं फलहिं न बेंत"। और "तुलसी बुरा न मानिये....."।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)——

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे रोष में न आवें।

श्री बेनी सिंह——

मैं तो रोष में कभी नहीं आता। मेरी आवाज देहाती की जैसी है, देहाती रहन-सहन मेरा है। लेकिन फिर वही बात मुझे न कहने दें कि आखिर वह मेरे दोस्त का ही लड़का है, हो ही जाता है। आप हमारा दोष दिखायें, हम उसमें सुधार करेंगे। कोई चीज फुल प्रूफ नहीं है और न हो सकती है। हम आपके सुझावों की कद्र करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16——खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16——खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,62,94,800 रु0 से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52——राज्य व्यापार की योजनायें——सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52——राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,10,36,05,900 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 42——वन एवं पर्यटन

*वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42——वन एवं पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,76,55,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, वन विभाग का अनुदान पेश करते हुए जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं वन हमारे देश और प्रदेश के लिये कितना उपयोगी होता है। आज सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश में आज बन का हिस्सा बहुत कम है और ज्यादा लगाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें भी हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। सभी जानते हैं कि वृक्षारोपण के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

लिये काफी हिस्से में पहाड़ी क्षेत्र में और आपके प्लेन में भी काफी प्रयास किया जा रहा है । इन सब बातों को देखते हुए जसा कि बतलाया गया है हमारे यहां बन कम हैं और उसकी पूर्ति के लिये हम लोग प्रयास करते रहते हैं। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि स्वायल कंजर्वेशन या भू-संरक्षण के लिये जगह-जगह, जैसे रामगंगा और माताटीला क्षेत्र में हमारा विभाग काफी बन लगाने का प्रयास कर रहा है और लगाने जा रहा है ।

एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्र के लिये इस विभाग की तरफ से उद्योग और जनता को कार्य मिले और वहां उद्योग को बढ़ावा मिले, लीसे के रोजगार में 25 प्रतिशत वहीं के लोगों को लगाने की योजना बनायी गयी है और इसी तरह से दूसरे साल 25 प्रतिशत लोगों को काम मिलेगा और 4 साल में 100 प्रतिशत वहां के लोगों को काम उस उद्योग में मिल जायेगा । इस संबंध में जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे उनका जवाब मैं बाद को दूंगा ।

*श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अनुदान संख्या 42--वन एवं पर्यटन-के अन्तर्गत कटौती का प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में वन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है । वन जो है वह जलवायु पर नियंत्रण करता है और वन में तरह-तरह की ऐसी चीजें पैदा होती हैं जिनसे हमारी अर्थ व्यवस्था में बड़ी मदद मिलती है । जैसे लीसा, कागज, शहद, आदि। मान्यवर, यह मान्य सिद्धांत है कि राष्ट्र के क्षेत्रफल के 33-1/3 हिस्से में जंगल होने चाहिये । लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश में केवल 16.8 प्रतिशत ही वन का क्षेत्रफल है । यह जो स्वतंत्रता रजत जयंती स्मारक दिया गया है उसकी एक त्रुटि की ओर मैं संकेत करूंगा । इस में आप पहले देखें कि इसमें पृष्ठ संख्या ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में वनों के कुछ आंकड़े इस में दिये हैं और पृष्ठ संख्या नहीं है नहीं तो मैं बता देता । इस के अनुसार प्रदेश में कुल 49,366.31 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर जंगल है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में 27,335.98 वर्ग किलोमीटर तराई भावर में 12,120.07 वर्ग कि0 मीटर तथा विन्ध्याचल में 8407.46 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वितरित है । गंगा के मैदानी भाग में कुल वनों का क्षेत्रफल लगभग 1668.55 वर्ग कि0 मी0 है जो कुल क्षेत्रफल का बहुत थोड़ा सा ही अंश है ।

इन तीनों का जोड़ लगाते हैं तो इस में 165.75 किलोमीटर का अन्तर आता है । यह पहले ही पृष्ठ पर गलत आंकड़े दे दिये गये हैं और इसी संबंध में पृष्ठ 71 पर और आंकड़े दिये गये हैं । उसमें विन्ध्य भाग का जो 8407.46 वर्गकिलोमीटर जो क्षेत्रफल है वह यहां पर 8407.48 वर्ग कि0 मी0 रखा गया है ।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अपना जोड़ स्वयं न लगा सकें तो विभाग के अधिकारियों से उसे दिखला लें क्योंकि इस तरह के गलत फिगर छप कर हमारे पास नहीं होने चाहिये । मैंने आप को बताया कि हमारे प्रदेश में केवल 16.8 प्रतिशत ही वन हैं जबकि पूरे भारत के लिये हमारी वन नीति 33.1/3 प्रतिशत की है । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी 60 प्रतिशत वन होने चाहिये लेकिन वहां भी 49 प्रतिशत ही हैं । वे मैदानी

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलाके में 20 प्रतिशत होने चाहिये लेकिन वहां भी गंगा जमुना के दोआबे में भी केवल 5 प्रतिशत ही है । विंध्य क्षेत्र में भी केवल 17 प्रतिशत ही है । मेरा आशय यह है कि हमारे यहां जितना वन भू भाग होना चाहिये उतना नहीं है । इसका बड़ा कारण यह है कि जमींदारी उन्मूलन के बाद बहुत से वन काटे गये, बहुत से गांव समाज में चले गये, वहां भी उन की कटाई हुई और ग्रो मोर फूड कम्पेन में भी जमींदारों ने बहुत सी भूमि को बेंच दिया और पट्टे पर उठा दिया और पूरी तरह से वन काटे गये । नतीजा यह हुआ कि वन क्षेत्रफल घटता गया ।

हमारे कार्य कलाप तेजी से बढ़ रहे हैं । नदी घाटी योजनायें, डैम्स, बिजली के पावर हाउस बनने की वजह से वनों का क्षेत्रफल उसमें चला जा रहा है । उदाहरण के लिये टेहरी डैम में बहुत बड़ा वन का भाग पानी में चला जायगा और वहां के लोगों को जहां बसाया जायगा

(इस समय 2 बजकर 58 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुये ।)

वह भी काट कर ही बसाया जायगा । जितनी भी गांव सभाओं की भूमि है उसका भी उपयोग वन के लिये नहीं होता और हुआ यह है कि वह जमीन स्थानीय लोगों को दे दी गई है । जिनका कुछ दिन से कब्जा होता है या जहां अगहनी अनाज हो सकता है या कुछ उगाया जा सकता है वहां लोग वन काट कर कब्जे की और खेती की कोशिश करते हैं । वन विभाग की तरफ से सेटिलमेंट आफिसर भेजे जाते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उन को चाहिये कि जहां जंगल नहीं उग सकते उस जमीन को वह गरीब लोगों को लीज पर दें चाहे 10 वर्ष, चाहे 20 वर्ष के लिये उसको देना चाहिये । जो भूमिहीन हैं जो नजदीक के रहने वाले हैं उनको देनी चाहिये । गांव के करीब कभी-कभी जंगल की जमीन आ जाती है और उसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं और उसके रखरखाव में ज्यादा खर्चा हो जाता है तो ऐसी जमीन को भी आप उन्हें दे दें ।

जब राजस्व विभाग आप से सम्बन्धित जमीन आपको देता है आपका वन विभाग इस चीज को नहीं देखता कि राजस्व विभाग वाले कौन-सी जमीन को दे रहे हैं, वह वन के लायक है या नहीं, किसी के मंदिर हैं, किसी की आबादी है, इन चीजों का लिहाज नहीं करते हैं, वे लोग कान में तेल डाले बैठे रहते हैं । जब यह बात चल रही है तो वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके को देखना चाहिये और जहां जमींदारी उन्मूलन के बाद 1952 के बाद अगर घर बन गये हैं, भले ही वह पटवारियों के रिकार्ड में जंगल लिखे हुए हैं अपने अधिकारियों के जरिये फैसला करायें वरना किसानों के बीच, जंगल विभाग के बीच झगड़े हो जाते हैं । ऐसी जमीन को राजस्व विभाग के जरिये से दिलवायें । यह विभाग बहुत गड़बड़ घोटाला, पैसा लेकर पटवारी या प्रधान करता है । आपके किसानों की गलत जगह दिखा देते हैं । कहीं पर राजस्व विभाग से मुकदमें बाजी होती है और सब को परेशानी होती है ।

प्रदेश में वन विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें काफी अधिकारी और कर्मचारी हैं । इस विभाग में कुल 231 राज पत्रित कर्मचारी हैं । इनमें से 153 तो परमानेंट हैं और 78 टैम्पोरेरी हैं । 6,336 अराजपत्रित कर्मचारी परमानेंट हैं और 4,471 टैम्पोरेरी हैं । मान्यवर, इसी विधान सभा में बार-बार इस प्रकार की मांग, विरोध पक्ष की ओर से पेश होती है कि जिन आदमियों को 3 साल से अधिक काम करते हुए हो गये हैं, उनको अवश्य परमानेंट किया जाय । इसके अलावा जो कर्मचारी हैं, उनको किसी को 30, किसी को 20 और किसी को 10–10 मील तक देखभाल करनी पड़ती है । जैसे रेंजर, डिप्टी रेंजर फारेस्ट गार्ड, फारेस्टर आदि जो जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, कम वेतन पाने वाले हैं, उनकी संख्या आप यदि बढ़ा सकें तो अवश्य बढ़ायें । अगर आप उनकी संख्या नहीं बढ़ाते हैं तो जो छोटे कर्मचारी हैं जंगलों की देखभाल नहीं कर पाते हैं । आजकल अराजकता, ला लैसनैस, फैली हुयी है, यहां तक कि गांव के लोग सड़क के किनारे लगे आम के पेड़ों को नुक्सान पहुंचाते

[श्री राम किंकर]

हैं, और आपके जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं, वे उन्हें देख नहीं पाते हैं । आपके विभाग को इससे काफी हानि पहुंच रही है । जब आम की फसल की नीलामी के लिये कहते हैं तो आपके रेंजर ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं । प्रतापगढ़ के रेंजर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर उन्हें नीलाम कर सकें और पेड़ों से अच्छे दाम मिल सकें, क्योंकि स्थानीय आदमियों का दबाव होता है । इसलिये वह अन्य स्थान पर जाकर नीलाम करता है और वहां पर पेड़ों की कम बोली बुलती है और आपके विभाग को काफी क्षति पहुंच रही है। इस ओर भी आप ध्यान दें?

वेतन आयोग ने डिप्टी रेन्जर, रेन्जर, फौरेस्टर, और फौरेस्ट गार्ड के क्या वेतनमान निर्धारित किए हैं ? माननीय मंत्री जी अपना उत्तर देते समय बताने की कृपा करें ?

मंत्री जी जब जवाब देने लगें, तो अच्छा हो कि इसके बारे में अपने विचार व्यक्त कर दें । इनको बड़ी कठिनाई है और इस बात की मांग होती रहती है । समय की मंहगाई को देखते हुए और लोगों के कम्पटीशन को देखते हुए इनमें जो असंतोष है, वह नहीं होना चाहिये और इनकी तनख्वाहों में वृद्धि होनी चाहिये । ये कर्मचारी अधिकतर जंगलों में रहते हैं । जहां उनको किसी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं रहते, न कोई तड़क-भड़क वहां रहती है, न मनोरंजन के लिये कोई सिनेमा आदि वहां होते हैं । उनकी स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि किसी कैदी को आधिक से अधिक दंड देने के लिये उसे अकेले रखा जाता है, ताकि उसको अकेलापन महसूस हो । इस दृष्टिकोण से भी इनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिये और इनका वेतन ज्यादा होना चाहिये ताकि वे अच्छा जीवन बिता सकें और अपने बच्चों को उचित ढंग से पढ़ा-लिखा सकें व अपने दवा-दारू की व्यवस्था कर सकें ।

मान्यवर, सन् 1966 में पी0डब्लू0डी0 की सड़कें, जंगल विभाग को दी गयीं । उस वक्त, कई हजार किलोमीटर सड़क आपके विभाग को मिली, लेकिन इन सड़कों के किनारे जिन किसानों ने पेड़ लगाये थे, या जिनकी जमीन थी, उनको पेड़ काटने में बड़ी दिक्कत होती है । नियमों का पालन होना चाहिये, लेकिन अगर वे प्रमाणपत्र पेश करते हैं और पेड़ काटना चाहते हैं, तो उनको इजाजत मिलनी चाहिये लेकिन अधिकारी लोग उनको तंग करते हैं। प्रतापगढ़ में जेठवारा से कुंडा को जो सड़क जाती है, उसके 13 मील पर कम कीमत पर जंगल विभाग की तरफ से पेड़ दिये गये हैं । वहां आम के पेड़ थे । इलाहाबाद के किसी कन्ट्रैक्टर ने लिया । उससे आपको क्षति पहुंची है।

हरियाना में मैंने देखा है कि सड़कों के किनारे यूक्लिप्टस की कतारें लगाते हैं । यूक्लिप्टस आर्थिक दृष्टि से अच्छा पेड़ है । उससे बिजली के तारों को नुक्सान नहीं पहुंचता । इससे खेतों में छाया पड़ने का भी डर नहीं होता, और उससे किसान के उन खेतों में, जो कि सड़क के किनारे होते हैं, पैदावार कम नहीं होती । इसलिये यूक्लिप्टस जरूर लगायें । इसके अतिरिक्त 10/10, या 15/15 स्थानों पर जो अच्छी अच्छी सड़कें हैं, और जिन पर अच्छा यातायात होता है, वहां सीमेंट की बुर्जी अगर बनवा सकें, तो बनवा दें, ताकि वहां पिकनिक के लिये यात्री लोग जा सकें । सड़कों के किनारे 2/3 कतारों में सीशम के पेड़ इतनी ऊंचाई पर लगवायें जहां कि पानी न पहुंच सके और पेड़ सीधे निकल सकें । इसकी लकड़ी बड़ी उपयोगी होती है । सड़कों के किनारे जो पुराने पेड़ हैं, उसको अधिकारियों को आदेश दें कि उनको जल्द से जल्द नीलाम कर दिया जाय, अन्यथा अधिकारी लोग वहां अच्छे पेड़ों को भी खराब कहकर उनकी मालियत कम लगवाते हैं । अगर इस पर वाच रखा जाय, तो अच्छा पैसा मिल सकता है विभाग को।

जंगलों को आप ठेके पर निलाम करते हैं, लेकिन उस जंगल का ठेका बड़े ही लोग लेते हैं जिनके पास ट्रैक्टर है । छोटा-मोटा आदमी उसको नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास न

तो ट्रैक्टर ही है और न धन ही । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि छोटे काश्तकारों को जंगल नीलाम करें और स्वतः विभाग ट्रैक्टर से पेड़ों की जड़ें निकला कर जुतवा दें और 5—7—10 वर्ष के लिये उनको जमीन लीज पर दे दें ताकि वह पेड़ पौधों की रक्षा कर सकें और अपनी जीविका चला सकें । झांसी में भी आपके विभाग की कठिनाई है और कभी-कभी बदमाशी भी करते हैं । झांसी मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है और वहां के जंगलों को आमतौर से डकैत, या गुंडा-टाइप के लोग या पोलिटिकल आदमी के चमचे या चहेते ही लेते हैं । अगर डकैत ने ले लिया या चहेते ने ले लिया तो वहां पर पैसे का तो नुकसान होता ही है आपको, बल्कि कम दाम पर लेते हैं । उसमें अधिकारी आपके परेशान होते हैं । इसलिये इस पर आप विचार करें । इसी तरह से मिर्जापुर में भी है । आपको इसकी व्यवस्था सोचनी होगी ताकि आपकी आमदनी बढ़ सके।

मैदानी क्षेत्रों में जैसे उन्नाव, झांसी है, और भी कई जिले हैं जहां आपके विभाग के पास बहुत सी जमीन है सड़क के किनारे । मैं आर्थिक दृष्टि से बात कह रहा हूं कि सड़क के किनारे वाली जमीन को आप किसी को न दें चाहे वह गांव के आदमी हों या कोई और क्योंकि पेड़ लगाने के बहाने यह सारी जमीन लीज पर ले लेते हैं और फिर इसके बाद सेल करते हैं या अपना कारखाना लगा लेते हैं । ऐसी जमीन जहां पेड़ पौधे न हो सके, आप अपने विभाग द्वारा छानबीन कराकर गरीब और भूमिहीनों को ही दें और गांव के रहने वालों को जरूर देवें।

एक निवेदन और है । बड़े-बड़े शहरों में जहां आबादी बढ़ती जा रही है, कवाल टाउन्स हैं, जहां पर कारपोरेशन का रूप हो या दूसरा हो वहांपर आप कुछ ऐसी व्यवस्था करें ताकि पर्यटक लोग आवें और अपना मन बहला सकें। जो गरीब आदमी हैं सिनेमा नहीं जा सकते वहां अपना दिल बहलाव कर सकें आप पर्ण कुटी या उद्यान लगावें । इसके अलावा शहर के करीब जहां पर आप यह सब करें वहां पर मछली की, घड़ियाल की, हिरण की, तीतर-बटेर की भी व्यवस्था करें ताकि गरीब लोग पिकनिक मना सकें।

प्रतापगढ़ में, इलाहाबाद में, बनारस में, और भी अनेक जगह हैं वहां पर शीघ्र से शीघ्र आप यह व्यवस्था करें । खासतौर से इलाहाबाद में जो कि तीथ-स्थान हैं वहां पर जल्दी से जल्दी नजूल की जमीन लें और कमिश्नर से कह कर या अधिकारियों से कहकर जल्दी स जल्दी इसकी व्यवस्था करें, अगर हो सके तो दो नदियों के बीच अगर कहीं जमीन उपलब्ध हो जाय तो प्रति वर्ष जहां पर लाखों आदमी अर्द्ध कुम्भ या कुम्भ के सिलसिले म आता है, तो लाभ उठा सकेगा । अब वन के संबंध में पहले भारतवर्ष के कुछ प्रदेशों की बात करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश में 38.0, उड़ीसा में 40.25, आसाम में 22.85, आन्ध्र प्रदेश में 21.49 और उत्तर प्रदेश में 16.8 प्रतिशत जंगल हैं। हम वन के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं । लेकिन जब हम यूरोप, अमेरिका और रूस से मुकाबला करते हैं तो हमारी पोजीशन और भी खराब हो जाती है। भारत में 22.0, यूरोप में 41 प्रतिशत, रूस में 45 प्रतिशत, अमेरिका में 33 प्रतिशत वन हैं। दूसरे देशों के मुकाबले में भारतवर्ष बनों के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है ।

लखनऊ में 11,12,13 फरवरी को सेंट्रल बोर्ड आफ फारेस्टरी कांफरेंस हुई थी । अखिल भारतीय स्तर के वन मंत्री आये थे । मेसर्स केम्फर एलाइड ने कार्लटन में 11 तारीख को 7 बजे काकटेल पार्टी यानी शराब की पार्टी दी । अगर यह बात सही है तो बड़े दुख की बात है जबकि प्रहीबीशन होना चाहिये । जब आप उत्तर देंगे तो इस बारे में भी बतलायेंगे । अगर यह दावत दी गयी है तो कोई शौकिया दावत नहीं दी गयी । वे लोग जंगल विभाग से कुछ जमीन कम दामों पर लेने की कोशिश में हैं । मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेहरबानी करके ऐसे पूंजीपतियों को जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जमीन न दें ।

[श्री राम किंकर]

24-2-73 को जंगल की स्टैंडिंग कमेटी लखीमपुर खीरी में हुई थी और उसमें केवल तीन विधायक ही पहुंचे । वहां पर होटल में जो व्यवस्था की गयी तो 38 रुपया प्रति व्यक्ति दिया गया और इसकी चर्चा नवजीवन अखबार में आयी । अगर ऐसी बात है तो यह मुनासिब बात नहीं है । अधिकारी जाते हैं, सदस्य जाते हैं और उनके साथ अन्य व्यक्ति जाते हैं । एक कमेटी में मुझे जाने का अवसर हुआ तो वहां पूरा चार्ज किया गया । यों तो दूसरे लोगों को ले नहीं जाना चाहिये और अगर जाते हैं तो पूरा चार्ज करना चाहिये ।

इंडियन टरपेंटाइन रेजिन फैक्टरी, बरेली में है । इसको लीसा कंसेशनल रेट्स पर मिलता है । पहाड़ी इलाकों में और भी इंडस्ट्रिल यूनिट्स और कोआपरेटिव यूनिट्स हैं । उन्हें लीसा बाजार भाव पर दिया जाता है । इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स और कोआपरेटिव यूनिट्स ने भी मांग की थी कि उन्हें भी कंसेशनल रेट्स पर लीसा दिया जाय लेकिन उनको कंसेशनल रेट पर न देकर आई०टी०आर० फैक्टरी को कंसेशनल रेट पर दिया जाता है और ज्यादा कोटा दिया जाता है । लीसा से बहुत इन्कम होती है । लीसा से तारपीन तैयार होता है, परफ्यूमरी तैयार होती है, रबर तैयार होती है।

एक चीज की कल्पना और आपने की है कि कागज की मिल, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में खुलवायेंगे । मिर्जापुर में अगोनी क्षेत्र है। आपके विभाग ने दस बारह वर्ष पहले एक योजना तैयार की थी जिसके अन्दर कम से कम इतना बांस तैयार होगा । एग्जेक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं है । ये जंगल नीलाम किये जाते हैं । मैं नीलाम को मना नहीं करता । नीलाम करना चाहिये । बिहार में पेपर की एक फैक्टरी है जिसको आप देते हैं । मेरा ऐसा ख्याल है कि या तो आपके अधिकारी उस तरफ ध्यान नहीं देते और या ठेकेदार मनमानी करते हैं । नतीजा यह होता है कि आपके बांस की ग्रोथ बिल्कुल चौपट हो गयी है और आपके जो आंकड़े थे वे सही साबित नहीं हुये । वहां जो पौधे लगाये गये हैं उनमें कोई कमी रह गयी है । यह आपके विभाग की त्रुटि है या ठेकेदारों की त्रुटि है जो इस तरह से काटते हैं । जब आप जवाब देने लगें तो कृपया इसे भी बतलायें ।

वन विभाग की तरफ से पंच वर्षीय योजनाओं में बहुत कम रुपया लगाया गया है जबकि और जगह काफी रुपया खर्च किया गया है। जो रुपया आपने वन विभाग को दिया है मैं उसके आंकड़े देता हूं:—

		रु०
प्रथम पंचवर्षीय योजना में	..	1,38,82,000
द्वितीय पंचवर्षीय योजना में	..	2,68,38,000
तृतीय पंचवर्षीय योजना में	..	8,32,82,000
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में	..	15,82,05,000

यह जितनी रकम लगायी जा रही है वह बहुत कम है । आप 10 साल के लिये वर्किंग प्लान बनवाते हैं । आप आंकड़ों को देखें आया कि जो वर्किंग प्लान तैयार किया गया उस ढंग से काम हुआ है या नहीं ? मेरी यह सूचना है कि आपने कह दिया कि इतने गड्ढे खुदेंगे । जहां सड़कें हैं वहां तो खुद जायेंगे और जहां अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर नहीं खुदेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे?

श्री राम किंकर—

1 मिनट ।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

आप तो अनुदान अधिक दिला रहे हैं । क्या आप कटौती पर बोल रहे हैं ?

श्री राम किंकर—

मैं भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहा हूं । पंच वर्षीय योजनाओं में वन विभाग में अधिक रुपया नहीं खर्च हुआ है और दूसरी जगह खर्च किया गया है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का सुझाव है । इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री राम किंकर—

चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट जब से इस पद पर आसीन हुए हैं उन्होंने काफी दौरा किया है । क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट आपको दी है । अगर कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको नहीं दी है तो क्या आप सेटिसफाइड हैं कि उन्होंने ठीक ही किया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर उन्होंने जरूरत से ज्यादा दौरा किया है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं दी है तो आप उनको तम्बीह करेंगे कि आयिन्दा वे रिपोर्ट दें । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री लोकपति—

मान्यवर, वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वन और पर्यटन विभाग के जो बजट आये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये श्रीमन्, आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, जो धनराशि सदन के सम्मुख वन और पर्यटन विभाग की ओर से रक्खी गई है वह बहुत कम है । पिछले 8 महीने से इस सदन में सूखे की चर्चा हो रही है । सूखे के बहुत से कारण हैं । इनमें से एक कारण इस प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल घटना भी है । 1952 में जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था तो हमारे यहां 44 प्रतिशत वन थे और आज केवल 16 प्रतिशत रह गये हैं । वन से जो उपलब्धियां होती हैं उनमें एक वर्षा भी है । वन विभाग द्वारा बहुत से उद्योग भी स्थापित किये जा सकते हैं । हमारे प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल फिर से बढ़ाया जा रहा है और नये वन लगाये जा रहे हैं जैसे कि मिर्जापुर में बांस के पेड़ 1960–61 में लगाये गये थे और कहा गया था कि मिर्जापुर जनपद में जो बांस का जंगल लगा है उससे कागज का व्यवसाय चल सकेगा । श्री राम किंकर ने कहा कि बांस के पेड़ों में कुछ खराबी आ रही है । कुछ बांस के जंगल सूख गये थे किन्तु पानी बरसने के कारण फिर हरे हो गये हैं और वन विभाग द्वारा यह कहा गया है कि प्रति वर्ष 1 लाख टन कागज के उत्पादन के लिये बांस उपलब्ध है । इसका कुछ अंश जैसा कि श्री राम किंकर जी ने कहा बिहार में रोहतास इंडस्ट्री को चला जाता है । बाकी भाग वहीं पड़ा हुआ है इनसे उद्योग लगाये जा सकते हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो अनुदान सरकार की ओर से आया है उसकी धनराशि बहुत कम है । मैं वन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो वन लगाये जा रहे हैं उनके अनुसार आने वाली पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधे भी लगने चाहिये । इस संबंध में उद्योग विभाग और वन विभाग में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये । वन विभाग को इस संबंध में एक रूपरेखा तैयार करके देना चाहिये ।

श्रीमन्, वन विभाग के अधिकारियों का सम्पर्क साधारण जनता से बहुत कम है । वह गांव जिनके चारों तरफ वन है, इसके कारण बड़ी असुविधा होती है, इसलिये उनका ध्यान रक्खा जाना चाहिये । जब से नये चीफ कन्जरवेटर साहब आये हैं उन्होंने विधायकों से सम्पर्क स्थापित किया है लेकिन फिर भी श्रीमन्, गांवों में असुविधा रह जाती है । आजकल इस वर्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लोकपति]

सूखा पड़ा हुआ है । प्रदेश के हर भाग में सूखे की स्थिति है। वहां कब समय आयेगा ? तो सरकार ने कह दिया कि जीविकोपार्जन के लिये तमाम प्रबन्ध किया है । लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है । वहां, महुआ और चिरौंजी। इसके पहले भी, जब सूखा वहां पड़ता है तो चिरौंजी महुआ खोल देते थे उन जंगल के मध्य में रहने वाले निवासियों के लिये कि वे उनका उपयोग करें। तो वनमंत्री जी आज इसके बारे में जब उत्तर दें तो अनुरोध है कि इसको भी स्पष्ट कर देंगे । मिर्जापुर में कोई गेहूं की फसल नहीं हुई है । गेहूं की बाल मेरी जेब में है जिसका दाना सरसों के बराबर है ।

दूसरे, श्रीमन्, पानी की बड़ी कमी है । कुछ जलस्रोत हैं जो जंगल के अन्दर हैं । पिछली बार जनवरी माह में विधायकों की बैठक हुई थी, वन सचिव और चीफ कंजरवेटर महोदय की । उसमें यह हुआ था कि जलस्रोत छोड़ दिये जायेंगे । हमने यह भी अनुरोध किया था कि इसकी घोषणा कर दी जाय, लेकिन वह नहीं हुई । 16 जनवरी के बाद से आजतक करीब साढ़े तीन सौ जानवर इसलिये बन्द किये जा चुके हैं कि वे जंगल के बीच में पानी पीने गये । अब जो हो चुका वह हो चुका, मगर भविष्य के लिये घोषणा हो जाय कि जो जल-स्थल हैं बीच में, वैसे तो वे पशुओं के लिये हैं लेकिन इनसानों को भी वहां पानी मिलता है जो पशुओं को मिलता है । अगर इस प्रदेश के दूसरे भाग के लोग वहां पहुंच जायं तो प्यासे मर जायेंगे वह पानी पीयेंगे नहीं, लेकिन वहां का आदमी उसी को पीना चाहता है मगर रोका जाता है । तो अनुरोध है कि वह जलस्रोत छोड़ दिये जायं । अगर बराबर न छोड़ा जाय तो कम से कम जब तक बरसात नहीं होती है तब तक वे जलस्रोत छोड़ दिये जायं। आवागमन के लिये अगर वह बैरियर लगा दें, या कंटीले तार लगा दें और घेर दें सड़क के लिये तो कोई नहीं जायगा और लोगों को पानी पीने को मिल जायगा।

तीसरा अनुरोध है कि कुछ सार्वजनिक निर्माण-कार्य बढ़ रहे हैं, जैसे कि बंधियों के निर्माण है, सड़कों का निर्माण है । कुछ ताल-पोखरों का भी चल रहा है सरकार के एक अन्य विभाग द्वारा । उसमें अगर कहीं कुछ हिस्सा बन का आ जाता है तो उसको पूर्ति करने के लिये बड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी और कभी-कभी तो ऐसा हुआ कि जब जाड़े में काम शुरू किया जाय तो बरसात आ जाय, काम पूरा नहीं होगा । तो एक नीति घोषित की जाय । एक व्यक्ति को उसके निजी कार्य के लिए सुविधा दी जाय, लेकिन अगर ताल-पोखरों या सड़कों का निर्माण कार्य हो तो जंगल को वंचित न किया जाय । यह अधिकार या तो स्थानीय वन-धिकारी को दे दिया जाय, अथवा जो जोनल रेंजर हो या जिलाधीश को दे दिया जाय ताकि इस तरह के निर्माण कार्य में अवरोध न हो ।

श्रीमन्, 9,76,55,200 रुपये का यह बजट है । इसी में पर्यटन विभाग भी है । यह पर्यटन विभाग इस प्रदेश में पिछले 7—8 वर्षों से चल रहा है मुझे कुछ अधिक समय दिया जाय । साल में दो ही तीन बार बोलता हूं । दुर्भाग्य है कि इस पर भी समय बहुत कम मिलता है।

श्री अधिष्ठाता—

दो मिनट और ले लें ।

श्री लोकपति—

5 मिनट दे दें । चौथी पचवर्षीय योजना में जो 20 लाख रखा गया था उससे क्या होगा । आज यह पर्यटन भी पिछड़े देशों के लिये एक बड़ा उद्योग हो गया है । यह आवश्यक है एक पिछड़े देश के लिए कि काफी संख्या में पर्यटन केंद्र स्थापित किये जायं, उनको पर्यटकों के लिये आकर्षक और सुन्दर बना दिया जाय, इसकी बहुत आवश्यकता होती है । पश्चिमी

देशों की बात नहीं, हमारे पड़ोस में थाईलैंड जैसा मुल्क है, वहां की आमदनी जो होती है वह अधिकतर पर्यटन विभाग से ही होती है । वहां की राजधानी बैंकाक नगर में जितने होटल के कमरे हैं उतने सारे भारतवर्ष में नहीं हैं ।

5 हजार कमरे थाईलैंड में हैं । दुनिया के हर मुल्क में पर्यटन को महत्ता दी जाती है । हमारे यहां इसको कितनी महत्वा दी जाती है उसका इसी से अनुमान लगाया जा सकता है जो यह 20 लाख की अनुदान इस विभाग के लिये रखी गयी । अभी तक हमारे प्रदेश में आगरा और वाराणसी दो ही स्थानों को पर्यटक केंद्र माना गया है, जब कि प्रदेश में कई अन्य स्थान ऐसे हैं जिनको और अधिक सुन्दर बनाया जा सकता है और पर्यटकों के लिये आकर्षक बनाया जा सकता है । हम 5 वीं योजना के प्रारूप बना रहे हैं । हमें इस ओर अधिक ध्यान देने की जरूरत है । फ्रांस की आबादी साढ़े 7 करोड़ है और वहां पर पर्यटक विभाग पर उतना खर्च होता है जितना हमारे पूरे सूबे का कुल बजट होता है । हमारेयहां साढे 9 करोड़ की आबादी है और इस मद में 20 लाख ही खर्च होता है । तो मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि 5वीं योजना में पर्यटक विभाग के लिये कम से कम 100 करोड़ रुपया रखा जाय । यह प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है । यहां पर 60 प्रतिशत व्यक्तियों की आय 37 रुपये से कम है । अतः जो अन्य सुधार के कार्य आप कर रहे हैं वहां इस ओर भी मंत्री महोदय विशेष ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । माननीय राम किंकर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वनों का प्राचीन काल से ही बड़ा महत्व रहा है और यह हमारे राष्ट्र की निधि हैं । कृषि आर्थिक दृष्टिकोण, यातायात के दृष्टिकोण तथा उद्योग आदि सभी दृष्टिकोण से वनों का बड़ा महत्व है । इसके सहारे ही बड़े-बड़े उद्योग चलाये जाते हैं ।

मान्यवर, मैं मिर्जापुर के वनों के विषय में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां करीब 70 किलोमीटर के क्षेत्र में बांस का जंगल है । वन विभाग के अधिकारियों ने और विशेष कर इलाहाबाद के कन्जरवेटर ने तो उस जंगल का नाश कर डाला है । उसके विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाय तथा वहां पर एक पेपर मिल स्थापित किया जाय । इसके लिये मांग बहुत बार की जा चुकी है । आज आपके वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उस जंगल का नाश हो गया है ।

एक बात उसके ठेके के बारे में कहना चाहता हूं । 1967 से 1971 तक हर वर्ष एक ही सर्व श्री रोहतास इन्स्ट्रीज लि० फर्म को उस जंगल का ठेका दिया गया है । उस कम्पनी ने जो बिहार की कम्पनी है सारे जंगल को समाप्त कर दिया । आप देखेंगे कि 1967–68 में जंगल से आमदनी 2,95,200 रुपये हुई 1968–69 में 3,91,600 रु० हुई, 1967–70 में 3,52,400 रुपये हुई, 1970–71 में 1,44,300 रु० हुई और 1971–72 में 3,05,900 हुई तुलसीदास जायसवाल को ठेका दिया गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी जी ने कहा, उनको जानकारी इस क्षेत्र की नहीं है । सारे जंगल को नष्ट कर दिया गया है । जिन वन के आधार पर वहां पेपर मिल लगाने की स्कीम थी, वह वन नष्ट कर दिया गया । इसकी जांच करायी जाय । वहां एक बांस नहीं रह गया है जो उस एरिया में बहुत बड़ी सम्पत्ति थी । जिस समय कटाई होती है उस में चार-पांच पेड़ छोड़ देना चाहिये । आप देखिये जाकर सारा जंगल साफ कर दिया गया है,कोई पेड़ नहीं छोड़े गये है । यह वहां का विभाग और वहां के अधिकारी हैं । मुझे जानकारी है इसलिये मैंने सदन को अवगत करा दिया । वहां पर तेंदू पत्ते का बहुत बड़ा धंधा था लेकिन वह गरीबों के हाथ से छीन लिया गया । पिछले साल हमको मजदूरी दी जाती थी एक रुपया 60 नये पैसे प्रति सौ गड्डी जिसमें पत्तियां कितनी होती थी, 50 से लेकर 60 पत्ती

[श्री सूबेदार प्रसाद]

प्रति गड्डी। इससे कम पत्ती होगी तो वापस कर दी जाती है यह कह कर कि अन स्किल्ड लेबर है पत्ती कम कैसे हैं। वह बहुत पुराने जमाने से पत्ती का कार्य कर रहे हैं।

दूसरी चीज देखिये। जो पहले काश्त की पत्तियां ठेकेदार लेते थे तो ठेकेदार काश्तकार को पैसा देता था। वह भी समाप्त कर दिया। उसको मर्ज कर दिया है। जो ठेकेदार होते हैं वह क्या पैसा देते हैं मालूम नहीं होता। मैं चाहता हूं कि उसी टेंडर के अन्दर काश्तकारों के लिये व्यवस्था कर दें। रेंज आफिसर जा कर देख लें कि कितनी पत्ती काश्तकारों की होगी, उनका पैसा नियत किया जाय जिससे पैसा उनको मिल जाया करे।

दूसरी बात यह है कि वह एरिया बड़हर रियासत थी जिसका मुकदमा पहले चल रहा था। जब जमींदारी विनाश हुआ तो मुकदमा होने के कारण वहां जमींदारी विनाश स्थगित रहा। बहुत दिन के बाद फैसला हुआ। इस बीच में बड़े-बड़े जमीदारों ने वहां एकदम से जंगल साफ कर दिया और अपना कब्जा कर लिया। जंगल विभाग ने वहां पर 75 फीसदी जमींन पर डिमारकेशन कर दिया। उस पर सदैव से हम भूमिहीनों अधिवासी हरिजनों का का निवास रहा है। जो हमारा एकमात्र साधन था वह हमारे हाथ से निकाल लिया गया और हमारे दरवाजे पर जंगल के पिलर गाड़ दिये उसी तरह से फैजाबाद में, नैनीताल में भी इस तरह से पिलर गाड़ दिये गये हैं। आबादी के सामने तार घेर दिया है। हमारे पशु अगर चले जाते हैं तो उनको कांजी हाउस में डाल देते हैं। पत्ती के राष्ट्रीयकरण के बारे में जो गड़बड़घोटाला हुआ है वह हम लोगों के सामने है।

उसमें सबसे बड़े अधिकारी हमारे इलाहाबाद के कन्जरवेटर साहब रहे हैं जो वहां के लोगों की कठिनाइयों को मंत्री महोदय या सरकार के सामने नहीं आने देते। इस तरह से हो सकता है कि हमारे अधिकारीवर्ग नाखुश हो सकते हैं लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे प्रतिनिधि जनता के, यहां जनता के हितों की रक्षा के लिये बैठे हुये हैं और जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं उनको कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण गुमराह किया करते हैं। तो इस तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान दें। हमारे दूधी इलाके में बड़ी लूटपाट मची हुई है। उस इलाके में आदिवासी लोग रहते हैं और उनको महुआ और फूल फल जो जंगल की उपज से होते थे उनको दूधी स्टेट की ओर से मिलते थे उसकी छूट उन लोगों के लिये होनी चाहिये ताकि वहां के लोगों का जीवनयापन हो सके इसी तरह से आप कृपा करके उनको बगई घास और लकड़ी के लिये जो सुविधा दे रहे हैं उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

मैंने एक सवाल पूछा था कि उनको लकड़ी चाहिये तो उसके उत्तर में यह बताया गया था कि सरकार उनको हर पांचवें साल तक एक साल वृक्ष की 6 फीट मोटी कटी लकड़ी देगी। क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह उससे अपना मकान बना पायेंगे। दूसरे आपने यह भी कहा है कि हर पांचवें साल आप उसको 12 कुकाठ देंगे। अब वह अपना काम कैसे चलावें इस पर माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने यह भी लिखा है कि राबर्टसगंज के इलाके में और भी रियायतें दी जावेंगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मिर्जापुर में वन विभाग के अधिकारी बैठे हुये हैं लेकिन आज तक राबर्टसगंज के इलाके का बन्दोबस्त नहीं हो पाया है। इसके कारण वहां की पब्लिक को बहुत सफर करना पड़ रहा है। इतने अधिकारी बैठे हुये हैं और इतना रुपया खर्च हो रहा लेकिन वह सब लोग करते क्या हैं कि आज तक वहां बन्दोबस्त नहीं हो पाया। मैं इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर का यह क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। वहां के लोगों को मकान बनाने के लिये लकड़ी मिलनी चाहिये। चाहे उसके लिये 8 आना, 4 आना कुछ भी शुल्क निर्धारित कर दें ताकि प्रत्यक काश्तकार को उसके उपयोग के लिये लकड़ी मिल सके।

इसके अतिरिक्त मैं एक और बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां हमारे क्षेत्र में कत्थे के बड़े-बड़े बन नीलाम किये जाते हैं। अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दें तो यह बहुत बड़ी उपयोगी इंडस्ट्री इस प्रदेश की है। टिम्बर वर्क मिर्जापुर इलाके के लिये बड़ा उपयोगी उद्योग धंधा है। वहां बहुत सा पत्थर निकलता है जो सीमेंट बनाने के काम में आता है। चूना पीसने के काम में वहां का पत्थर आता है। वहां संगमरमर का पत्थर भी मिलता है। यह सब इतनी बड़ी सम्पत्ति है कि अगर इनका इस्तेमाल किया जाय तो इस प्रदेश की बहुत बड़ी औद्योगिक तरक्की हो सकती है मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया एक आयोग बैठावें जो इनके बारे में जांच करके अपनी रिपोर्ट दें कि कैसे इनकी फैक्टरियां लग सकें। यह स्मारिका में जो बांटी गयी इसमें बड़े-बड़े उद्योग लगाने की बात कही गयी है।

एक आयोग बिठा दें। सरकार ने जिस तरह से नेशनल कार्बेट पार्क बनाया है उसी तरह से बुधी राबर्ट्सगंज में भी एक सेंटर बना दें तो पर्यटकों के आने से वहां की आमदनी भी बढ़ जाय। हमारे यहां लाख के जंगल भी हैं और उससे वन विभाग को फायदा होता है। गांव सभाओं से सारे जंगल तो निकाल लिये गये हैं लेकिन लाख से जो आमदनी होती है उसका कोई प्रतिशत उनके लिये तय कर दिया जाय। कम से कम 5 परसेंट ही गांव सभाओं को दे दिया जाय तो उनका विकास हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग के इतिहास पर दृष्टि डाली जाय तो 1894 में सबसे पहले वन विभाग की सही तस्वीर भारतवर्ष के सामने आई। 1952 में वन विभाग की ओर से वन नीति निर्धारित की गयी। उस नीति के अन्तर्गत यह माना गया कि समस्त प्रदेश में 33.3 प्रतिशत भूमि वन के अन्तर्गत आना चाहिये। देश की आर्थिक तथा औद्योगिक नीति के लिये यह बहुत आवश्यक भी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है और जैसा कहा भी गया 1948–50 में 19.3 प्रतिशत वन भूमि थी उत्तर प्रदेश में और 1971–72 में जैसा राम किंकर जी ने कहा वह 16.5 प्रतिशत रह गयी। लेकिन उसकी एक दूसरी दिशा भी है। 1948–50 में पर्वतीय क्षेत्र में जहां 55.5 प्रतिशत वन भूमि थी वह आज घट कर 50 प्रतिशत रह गयी लेकिन मैदानों में 1948–50 में जो वन भूमि 9 प्रतिशत थी वह बढ़कर 11.5 प्रतिशत हो गयी। यह बात सही है कि पर्वतीय इलाके में जहां वन भूमि दिन प्रति दिन कटती गयी और वहां वनीकरण की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया वहां यह बात भी असत्य है कि मैदानी भागों में वनीकरण कम हुआ।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1948–50 से लेकर 71 तक मैदानों में वन भूमि 2,3 प्रतिशत बढ़ी ही है और दिन प्रति दिन वह बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा एक बात और ध्यान देने योग्य है। वह यह कि वन विभाग की ओर से ऐसे आकर्षक महत्वपूर्ण विषय इस दिशा में आ रहे हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि वन विभाग एक ऐसी सफल, योग्यतम तथा आदर्श नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके सबूत में ये आंकड़े हैं कि 1967–68 में वनों से विशुद्ध राजस्व आय 1751.60 लाख रुपये था, जो 1971–72 में बढ़कर 1982 लाख रुपये हो गयी। इससे सिद्ध होता है कि उत्तर प्रदेश का जो वन विभाग है वह दिन प्रति दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश की आय को रीढ़ की हड्डी की तरह से मजबूत करने में वन विभाग का बड़ा योगदान है। यह भी कहा गया कि भूमि की कमी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में वनों की भूमि की कमी है लेकिन इसके साथ ही साथ यह बात भी सत्य है कि यह भूमि कहां से आये, कौन से ऐसे साधन हैं जिससे उत्तर प्रदेश में वनों का प्रसार हो सके। मान्यवर, हमारे उत्तर प्रदेश में वनों की 61,820 एकड़ भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा है। नाजायज कब्जा होने की वजह से कई मुकदमें अदालतों में चलाये जा रहे हैं लेकिन उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। म आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जैसा कि माननीय राम किंकर जी ने बताया कि वनों के लिये भूमि का आधिक्य होना चाहिये जिससे कि वन लगाये जा सकें। इसके लिये आपको दृढ से दृढ कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि उस नाजायज रूप से कब्जा की हुई भूमि को लिया जा सके। यह बड़े हर्ष की बात है कि 2,151 हेक्टियर भूमि जिस पर कि नाजायज तरीके से कब्जा किया हुआ था उसे ले लिया गया है और उस पर वन विभाग वन लगाने की योजना बना रहा है।

जहां तक वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बात है उसमें मैं मानता हूं कि जब तक कि आप वन विभाग के अन्दर का काम करने वाले लोगों को समुचित सुविधायें प्रदान नहीं करेंगे, उनको अच्छा वेतन नहीं देंगे तब तक वनों का विकास इस प्रदेश में सम्भव नहीं है। यह सही है कि पे-कमीशन ने उनके लिये नये वेतन का निर्धारण किया होगा, यह तो सरकार ही बता सकती है लकिन हमारा कहना यह है कि इस विभाग के अन्दर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलना चाहिये। लेकिन इसके साथ ही में पहाड़ों में काम करने वाले जो छोटे-छोटे पतरौल हैं, उनको आज तक वही वेतन दिया जा रहा है जो कि सन् 1894 में उनके लिये नियत किया गया था या वही वेतन दिया जा रहा है जो सन् 1950 में निर्धारित किया गया था। इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग जंगलों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं और आये दिन गर्मियों में पहाड़ों के जंगलों में आग लग जाती है। ये पतरौल वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं और गांव वालों पर जुरमाना हो जाता है। जो एक नियम बना हुआ है कि सड़क के 20 फिट दोनों ओर की भूमि को काट दिया जाय जिससे आग फैलने की संभावना न रहे लेकिन वह न काटे जाने के कारण आग लग जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को दिन प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिये म आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ायें और उनको जितनी सुविधायें दी जा सकें उनको दी जायं जिससे वन विभाग की सुरक्षा ठीक ढंग से हो सके।

मान्यवर, वनों का सबसे बड़ा भारी योगदान हमारी अर्थ व्यवस्था से इसलिये भी है कि हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि हमारे माननीय राम किंकर जी ने कहा कि उन्होंने आई०टी०आर० बरेली के लिये लीसा की मांग की। मान्यवर, हमें कोई आपत्ति नहीं उन्हें लीसा दिया जाय। पहाड़ के लोगों ने भी अपने छोटे-मोटे उद्योग धंध चलाने के लिये उन्हें लीसा दिये जाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में प्रयास भी किया कि उन्हें लीसा मिल जाय। मान्यवर, वन विभाग को पहाड़ों के लिये विशेष प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं सरकार का हृदय से अभिनन्दन करता हूं कि उसने युक्लिप्टस के जो पेड़ हैं या इसी तरह के जो अन्य जल्दी-जल्दी बढ़ने वाले पेड़ हैं उनको आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। इसके लिये मैं सरकार का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इस दिशा में अधिक स अधिक योगदान देने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह है कि उद्योग धंधे बढ़ने के कारण कागज की खपत को पूरा नहीं किया जा रहा है। सहारनपुर में एक स्टार पेपर मिल है उसके लिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वन विभाग से इससे नुकसान होता है, मैं यह नहीं कहता कि उसको नहीं मिलना चाहिये लेकिन उसके साथ ही साथ वन विभाग को भी लाभ होना चाहिये। जहां से वह सामग्री आ रही है वहां के लोग भी लाभान्वित होने चाहिये।

आज सारे प्रदेश में दियासलाई, कागज का कारखाना, प्लाई उड फाइवर ऊड, ऊल उड, कत्था आदि प्रमुख उद्योग जो वन में पैदा हुई चीजों पर ही आधारित हैं, उनको वन विभाग द्वारा अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जायं जिससे प्रदेश औद्योगीकरण की ओर आगे बढ़ सके। पर्वतीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां की वन सम्पदा लगातार कटती जा रही है और वहां वनीकरण की ओर सरकार का विशेष ध्यान नहीं है। प्रति वर्ष कई बड़े-बड़े जंगल कटते जा रहे हैं और कटने के बाद जिस गति से मैदानी क्षेत्र का वनीकरण किया जा रहा है उस गति से पहाड़ी क्षेत्र में नहीं हो रहा है। मैं तो स्वागत करता हूं कि जिस गति से वन विभाग प्रगति करते हुए आगे बढ़ रहा है यदि इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में उसकी गति रहेगी तो वन विभाग की कार्य क्षमता आगे बढ़ सकेगी और प्रदेश की रक्षा करने के कार्य में प्रदेश को पानी देने व लकड़ी आदि की व्यवस्था करने में भी उसका योगदान होगा।

अधिष्ठाता महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय है पर्यटन का। मैं वन विभाग के मंत्री महोदय का हृदय से अभिनन्दन करता हूं और वह इसलिये कि उन्होंने पर्यटन विभाग और वन विभाग का इस तरह से तालमेल बैठाया है कि यही पर्यटन उद्योग है जो सारे संसार में आज प्रमुखतम, प्रबलतम योग्यतम उद्योग साबित हो चुका है और उसमें गति आने लगी है लेकिन जिस प्रकार की गति आनी चाहिये, जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ना चाहिये,नहीं बढ़ रहा है। मान्यवर, पर्यटकों के लिये यह आवश्यक है कि दर्शनीय स्थलों पर उनके रहने के लिये व्यवस्था हो, पर्यटकों के मनोरंजन के लिये पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे व वहां अधिक से अधिक समय तक रुक सकें।

साथ ही साथ वहां पर इस तरह के कार्य हों, इस तरह से स्थल हों, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा वहां रह सकें। ऐतिहासिक स्थानों व दर्शनीय स्थानों पर पर्यटकों के रहने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये तथा उसके लिये इस प्रकार के प्रचार व प्रचार की व्यवस्था होनी चाहिये। आधुनिक अनेक प्रकार की सुविधायें उनको मिलनी चाहिये जिससे वे वहां रुक सकें। इससे आपके प्रदेश की आय भी बढ़ेगी। एक तो हमारे यहां बद्रीनाथ में प्रति वर्ष लाखों यात्री जाते हैं। 71 में वहां 12,81,171 यात्री गये। यानी इस तरह से प्रति वर्ष वहां 12,15,17,18 लाख यात्री जाते हैं। लेकिन इस साल ऋषिकेश से ऊपर 1 लाख यात्री नहीं पहुंच सके। जैसे लोग ताजमहल देखने को जाते हैं, वहां रहने के लिये और उनके मनोरंजन के लिये अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान कर दी जायं तो इस उद्योग से हमारे प्रदेश की आर्थिक कमर भी मजबूत होगी और हम अधिक से अधिक लोगों को काम भी दे सकेंगे।

*श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मुझे जब-जब भी अवसर मिला है मैंने यही कहा है कि वन विभाग हमारे प्रदेश के लिये बहुत ही उपयोगी और इम्पार्टेंट विभाग है लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमेशा इसको जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिये और सरकार से जितनी मदद मिलनी चाहिये उतनी उसको नहीं मिली और हमेशा से सरकार द्वारा वह उपेक्षित है।

मैंने कटौती का प्रस्ताव भी दिया है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़कर सुना देना चाहता हूं जो कि माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो इसका स्पष्टीकरण हो जाय और मेरे दिमाग में तथा मेरे अन्य साथियों के दिमाग में जो एक भ्रम है वह दूर हो जाय।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में 13 हजार रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य फरवरी के दूसरे पखवारे में प्रधान मंत्री के दोनों सुपुत्रों ने लालढांग में शिकार खेला, उसमें हजारों रुपया वन विभाग का खर्च हुआ, उसके विषय में सुझाव देना कि ऐसे अवसरों पर कम खर्च कैसे किया जा सकता है तथा जंगल के ठेकेदारों के विषय में मितव्ययिता के सुझाव देना। मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

मांग की राशि में सौ रुपये की कमी की जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीचे लिखी बातों के विषय में चर्चा करना :—

(1) लीसा उद्योग का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी गढ़वाल वन खंड में लीसा निकालने का क्यों ठेका दिया गया और वह कौन लोग हैं जिनको ठेका दिया गया। क्या उनमें एक व्यक्ति श्री गुलाब सिंह चौहान नाम का है, यदि है तो क्या वह श्री गुलाब सिंह, उपमंत्री वन विभाग हैं अथवा अन्य कोई सज्जन, ठेके के प्रार्थना-पत्र तथा इकरारनामे पर किस के हस्ताक्षर हैं, उपमंत्री के अथवा अन्य किसी सज्जन के।

(2) डिप्टी एस० पी० सरदार गुरदेव सिंह, शाहजहांपुर के विरुद्ध हो रही जांच में यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने काले हिरन पर रायफिल के फायर किये, फिर भी इनको निलम्बित करने हेतु मुख्य मंत्री को क्यों नहीं लिखा गया ?

(3) साउथ खीरी वन खंड पुवायां रेंज में बराबर सरकारी जंगल कट रहे हैं और वन विभाग उदासीन है, क्यों न सी० बी० आई० से जांच हो।

(4) शाहजहांपुर के परगना खेडा बझेड़ा में काले हिरन की रक्षा हेतु क्या वाइल्ड लाइफ के गार्ड की व्यवस्था नहीं हुई।

(5) लखनऊ तथा अन्य शहरों में होटल में चिड़ियों का गोश्त बनना क्यों बन्द नहीं हुआ, आदि।

यह मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं वन विभाग के बारे में पहली बात यह कहना चाहता हूं कि 60-61 में यहां यूकलिप्टस प्लान्टेशन शुरू हुआ यह प्लान्टेशन 50 हजार हैक्टेयर पर किया गया। उस से आशा की गई थी कि हमारे चचे 5 लाख टन पल्प तैयार हो सकेगा और हमारे यहां कागज गत्ते का उद्योग अच्छी तरह से चल सकेगा। यह सब कुछ किया गया लेकिन उस लकड़ी को खपाने और लुगदी बनाने के लिये आज तक कोई भी कारखाना कागज का न लग सका। यदि वन विभाग ने ऐसा कोई कारखाना लगाया होता तो अच्छा होता और उससे हमारा यूकलिप्टस प्लान्टेशन का प्रोसीजर चलता रहता। साथ ही इस प्लान्टेशन से हमारी वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान हुआ है, हमारे यह टाइगर्स खत्म हो रहे हैं, सन 42-43 में जो 5-6 हजार थे वह अब यहां से भागकर नैपाल की तराई में चले गये और यह न के बराबर ही रह गये हैं। इसका कारण यह कि यूकलिप्टस के प्लाटेन्शन से पहले जब ट्रैक्टर चलता है और जो एनवायरनमेंट्स हो जाते हैं उनमें टाइगर नहीं रह सकता और वह भाग जाते हैं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबद)—

शिकारियों के डर से वह भाग जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आप ने मेरा ध्यान शिकार की समस्या की तरफ दिला दिया, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, आपने सुना होगा, मैंने अभी अपना कटौती का प्रस्ताव पढ़ा जिसमें कहा था कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में हमारी प्रधान मंत्री जी के दोनों पुत्रों ने लालढांग से शिकार खेला, जिसमें वन विभाग का हजारों रुपया व्यय हुआ। चाहे कोई साधारण नागरिक हो या प्रधान मंत्री का पुत्र हो उसके लिये जो वन विभाग के नियम हैं उनका पालन करना जरूरी है, जिन जानवरों का शिकार बन्द कर दिया गया है उनका शिकार करना गैर कानूनी है और सबके लिये है। अगर वह प्रधान मंत्री के पुत्र थे तो उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना सरकार का फर्ज था, मैं इतनी बात को तो मानता हूं लेकिन सारे गढ़वाल के अफसरों और कर्मचारियों की डियूटी लगा दी गयी कि वह जहां-जहां ठहरें उनके लिये डाक बंगलों में आधुनिकतम साज-सज्जा की जाय। वह भी प्रधान मंत्री के पुत्र हों या लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हों एक साधारण नागरिक हैं, एक सा व्यवहार सबके साथ होना चाहिए और सबको नियमों का पालन करना चाहिए।

यही समाजवादी रहन-सहन प्रधान मंत्री के पुत्रों का है। उनके नारे समाजवादी हैं। उनके विचार पूंजीवादी हैं। मंत्री जी चाहें तो इसका प्रतिवाद करें लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने शिकार में जिन जानवरों को मारा उनको जीप में भर कर वन विभाग के आदमियों ने दिल्ली तक पहुंचाया। यह छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन इनसे इनके कार्यकलाप किस तरह से चल रहे हैं इसका पता चलता है। मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, मैं कह रहा था यूकलिप्टस की बात। उसके बारे में एक खबर हिन्दुस्तान टाइम्स में 13 मार्च, 1973 को छपी थी। वह अंग्रेजी में है मैं उसका अनुवाद कर दूंगा। वह इस प्रकार है कि—

"A eucalyptus forest, raised for the newsprint industry is ready in the U. P. Tarai for harvesting. But the news print factory for which it was grown is yet to come up."

इसमें बताया गया था कि वह वन यूकलिप्टस का इसलिये लगाया गया था कि पेपर फैक्टरी लगायी जायगी।

लेकिन पेपर फैक्टरी आज तक नहीं लगी है। आगे इस अखबार में लिखा है :

"Pointing this out to a group of visiting newsmen recently, the Chief Conservator of Forests, U. P. Mr. G. N. Singh said his department had undertaken large scale plantation of eucalyptus trees in the past decade to meet the increasing demand for new print.

Asked what would happen if the factory failed tocome up, he said the department had kept in view alternatives."

यह बात अच्छी है कि सिंह साहब वन विभाग के चीफ कन्जर्वेटर हैं। जहां मैं अफसरों का बड़ा भारी आलोचक हूं और मैं किसी को बख्शता नहीं हूं लेकिन सिंह साहब हमारे एक कर्मठ, ईमानदार और योग्य अधिकारी हैं और वन विभाग को गर्व होना चाहिए कि वे चीफ कन्जरवेटर के पद पर हैं। अच्छे योग्य व्यक्ति जहां भी रहेंगे, वहां पर जरूर कुछ न कुछ कार्य अवश्य होगा। बहुत से जंगल कट रहे हैं। मेरे पास एक सर्टिफाइड कापी एक निर्णय की है। इसमें दिया हुआ है कि :

In the Court of Forests Settlement Officer,

South Kheri Forest Division Kheri /S.D.O, Powayan, Shahjahanpur Case No. 11/63, Forest claim u/s 6/9Indian Forest Act.

Village Berwatpur, Pargana Khutar, Tehsil PuwayanNatha Singh and others vs. D. F. O. South Kheri decided on 29-4-63

इस विषय में मैंने सदन में प्रश्न भी किये थे और माननीय मंत्रीजी ने बताया कि यह जंगल उनके हक में तय हो चुका है। इसकी अपील कहीं नहीं की गयी है। जजमेंट में यह लिखा हुआ है कि :

"For the reasons given above, I admit the claim of the objectors for all the land claimed by them except plot No. 30 and 31 for which their claim had already been rejected by the competent Court."

तो यह जंगल के महकमें के हक में फैसला हुआ है। मुझे निश्चित जानकारी है कि अपील नहीं किया गया किसी कोर्ट में चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, हाईकोर्ट हो या और कोई कोर्ट हो। जब अपील नहीं किया गया तो जो जंगलात के 30 और 31 नं0 के पेड़ इल्लीगली काट डाले गये। तो मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी इसकी इन्क्वायरी करा लें। मैंने इस विषय में एक पत्र लिखकर भी उनके पास भेजा है और उसके साथ इस जजमेंट की एक प्रतिलिपि भी भेजी है मैं चाहूंगा कि वे इस विषय में जानकारी करा लें और अगर वहां पर पेड़ काट डाले गये हैं, जो कि जंगल विभाग की सम्पत्ति है तो जो भी कानूनी कार्यवाही हो सके उसे करके उनसे वसूल किया जाय।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम]

अब मैं शाहजहांपुर की बात कहता हूं। थोड़े दिन पहले मैंने एक पत्र माननीय मंत्री जी को लिखा था। माननीय मंत्री जी ने फौरन आर्डर लिखा और डी0 एफ0 ओ0 को तुरन्त मौके पर भेजा। जंगलों में जो पेड़ काटे जाते हैं सब अफसरों के बारे में तो मैं नहीं कहता लेकिन अधिकारियों की कनाइवैन्श के बिना जंगल में पेड़ काटे नहीं जा सकते हैं। अगर वहां पर कोई चौकीदार रहते हैं और उसके रहते जंगल काटे जाते हैं तो वह वहां पर क्या करता रहता है। पिछली बार भी बजट भाषण के वक्त मैंने कहा था कि आप एक हाई पावर कमेटी नियुक्त करें जिसमें आप अधिकारी या नॉन ओफिसियल व्यक्ति ही रखें वह प्रदेश भर में दौरा करे और जमींदारी उन्मूलन के समय अर्थात् 1952 के बाद जो जमीनें सरकार में निहित हुयी हैं, उनकी परमानेन्स सरहदी करवा दी जाय। आज भी जंगल के बहुत से मामले 8–8 और 10–10 साल से पड़े हुए हैं, क्यों नहीं आप अपने अधिकारियों को कहते हैं कि उनको कन्टैस्ट किया जाय चाहे वे हाईकोर्ट में हों, किसी कोर्ट में हों, सेटिलमेंट कमिश्नर के यहां हों। इस प्रकार का डेटा तैयार कराया जाय।

इसका डेटा तैयार करना चाहिये। उस डेटा को एसेम्बली में सर्कुलेट करना चाहिये ताकि वह प्रत्येक जिले से आने वाले विधान सभा के सदस्य को मालूम हो जाय।

मान्यवर, पहले भी डेमोक्रेसी थी और अगर कोई सदस्य असेम्बली में अपनी बात कहता था तो उसका वजन होता था। लेकिन आज, चाहे जितने कन्क्रीट सुझाव दें, इनकी नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं होती।

एक बात मैं, मान्यवर, फिशरीज के बारे में कहना चाहता हूं....

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मान्यवर, हमारा समय सैकड़ों वर्ष समाप्त नहीं होगा....

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट और ले लें और अपनी बात प्वाइन्ट्स में कह दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

एनीमल हस्बैंड्री डिपार्टमेंट को एग्रीकल्चर में जाने का कोई तुक नहीं है। इसलिये फारेस्ट डिपार्टमट को चाहिये कि फिशरीज डिपार्टमेंट को अपने अन्दर ले ले और कैबिनेट के अन्दर इस बात को तय कर लें।

एक बात और कह दूं। इण्डियन वाइल्ड-लाइफ ऐक्ट इन्होंने लागू कर दिया। लेकिन इसमें क्या ऐडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्या स्टाफ होगा, इसके बारे में भी क्लियर कर दें। जो फारेस्ट ऐक्ट लागू किया गया है, अभी उसकी रूपरेखा क्या है, यह हमारे बहुत से सदस्यों को मालूम नहीं है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिये। ऐक्ट लागू हो गया, लेकिन जिस तरह से चिड़ियों और जानवरों का शिकार पहले होता था, वही होता चला जा रहा है। कैसे इस सम्बन्ध में लाइसेंस लिया जाय, क्या ऐक्ट की रूपरेखा है, इसको स्पष्ट कर देना चाहिये। अभी कहीं स्टाफ मुहैया नहीं किया गया है। सिर्फ ऐक्ट बना देना ही काफी नहीं; उसमें सारा स्टाफ भी मुहैया करें।

तेंदू पत्ते के बारे में, मान्यवर, निवेदन है कि जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो वन विभाग में क्यों ठेका दिया गया?

मान्यवर, मैंने एक जगह गुलाब सिंह चौहान का नाम सुना। मान्यवर, मुझे ये बतला दें कि ये कौन साहब हैं, इनकी बल्दियत क्या है। क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी पर आक्षेप करना ठीक नहीं, चाहे वह कोई मंत्री हो, उप मंत्री हो या कोई अधिकारी हो। मैं किसी के करेक्टर को यहां नहीं खींचना चाहता।

मेरे प्रश्नों के उत्तर में, मान्यवर, बताया गया कि पुलिस कप्तान की इन्क्वायरी से साबित है कि काले हिरन के परिवार पर गोली चलाई। मान्यवर, जब किसी आदमी पर फायर कर दें और वह बाद में मर जाय, तो उस पर 307 का मुकदमा चलता है और सजा होती है। यदि उस हिरन को मारने का इन्टेंशन था, तो उसमें क्यों कार्यवाही नहीं हुई। उस हिरनी के पेट में बच्चा भी था। मुझसे भूल हुई, अन्यथा उसे मुझको यहां लाना चाहिये था और आपकी आज्ञा से सब को यह बात बतानी थी। मान्यवर, सही काम के लिये मैं अधिकारियों का हर सहयोग करने के लिये तैयार हूं लेकिन जहां नियमों का उल्लंघन होगा, वहां मैं जब तक जिन्दा हूं, उसका विरोध करूंगा।

मान्यवर, फारेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुझाव देना चाहता था लेकिन आप तो समय नहीं देंगे, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से मिल कर बात कर लूंगा। धन्यवाद।

*श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन तथा पर्यटन विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। मेरे बहुत से साथियों ने वन विभाग के बारे में बहुत-सी बातें कहीं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्यटन विभाग की तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह विभाग ऐसा है जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होने के साथ-साथ हमें अपने स्वदेश तथा जो आदि काल से हम एकता को संजोये हैं, उसके बारे में ज्ञात होता है। इसके कारण हमारे देश के रहने वालों को रोजगार ही नहीं मिलता बल्कि कला-कौशल की भी वृद्धि होती है। आंकड़ों से ऐसा मालूम होता है कि 31 लाख पर्यटक विदेशों से भारत आये हैं जिसमें से लगभग 50 हजार हमारे प्रदेश में। इसकी महत्ता को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने जो निदेशालय कायम किया है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

हमारे प्रदेश जो संसार के कई राष्ट्रों के बराबर हैं, उसकी महत्ता को देखते हुए यह आवश्यक है कि निदेशालय के क्रिया-कलापों को बढ़ाया जाय, इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल ने अपने यहां निदेशालय खोला है और डायरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर तथा डिप्टी डाइरेक्टर नियुक्त किये हैं, उसी प्रकार से एक विभाग यहां भी खोला जाय जिसमें प्रकाशन का ही कार्य हो। प्रकाशन का एक विशेष महत्व होता है। इसका एक मुख्य कार्य यह है कि जो हमारी संस्कृति अंधकार में छिपी हुयी है, उनकी कड़ियों को खोज कर सामने लाये जिससे आकर्षित होकर पर्यटक यहां आयें। इसका अपना महत्व है अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें। आज उत्तर प्रदेश की महत्ता संसार के मानचित्र पर उभर कर सामने आई है और अब विश्व के लोग उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने लगे हैं क्योंकि भारत की सांस्कृतिक महत्ता के जो स्थान हैं वह अधिकांश यहीं पर हैं।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग ने अब तक जो काम किये हैं वह इन क्षेत्रों में किये हैं—जैसे आगरा, वाराणसी, हरिद्वार, नैनीताल, लखनऊ और पौड़ी—। इस सम्बन्ध में मैं कुछ टूटे-फूटे शब्दों द्वारा अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमारे पूर्वांचल की आपने उपेक्षा कर रखी है। पूर्वांचल सांस्कृतिक दृष्टि से तमाम वस्तुओं को संजोये हुए है। उसको प्रकाश में लाकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण सुझाव मैं आपके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र]

ध्यान में लाना चाहता हूं। अब यह प्रवृत्ति देखी गई है कि यात्रियों का ध्यान महत्वपूर्ण मानूमेंन्ट्स से हटकर जनजीवन, कलाकौशल तथा उससे सम्बन्धित अनेक समस्याओं की ओर हुआ है। अयोध्या एक स्थान है जो संसार का सबसे प्राचीन नगर है और आदिकाल से हमारे इस प्रदेश के जन-जीवन और संस्कृति को संजोये हुए है। वहां की संस्कृति के दर्शन करने के लिये अगर आप जायें तो हिन्दुस्तान के कोने-कोने के लोग वहां आते हैं। इस समय यहां पर चतुष: सदी मनायी जा रही है जिसमें रामायण और तुलसी पर खोजबीन हो रही है।

अयोध्या नगरी में हमारी संस्कृति की जो छुपी हुयी चीजें हैं उनको प्रकाश में लाया जाय और अयोध्या एवं राम से सम्बन्धित जो साहित्य है उस पर ध्यान दिया जाय। राम और तुलसी का साहित्य किसी समाज या जाति का न होकर सारे विश्व का हो चुका है औरप्राय: विश्वकी सभी भाषाओं में रामायण का अनुवाद हो चुका है। प्रागैतिहासिक काल के बहुत से स्थान जिनका वर्णन रामायण में आया है उनका पुनरुद्धार होना चाहिए। अयोध्या, सूर्यकुंड, मखौड़ा, श्रवणपाकर, स्वामी नारायण छपिया, संगम, पारासराय ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं जो राम से सम्बन्धित हैं। मखौड़ा महाराज दशरथ जी की यज्ञ भूमि है। इसी स्थान पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ किया था। यह स्थान सरजूपार अयोध्या से दस मील उत्तर मनोरमा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। यहां पर प्रत्येक वर्ष चैत शुक्ल पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। श्रवण पाकर दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। श्रवण ने अपने अंधे वृद्ध माता-पिता को लेकर यहीं से तीर्थाटन किया था। यह बहुत धार्मिक स्थान है। यहां प्रति वर्ष मेला लगता है। चवन का आश्रम है।

पारासर का महत्वपूर्ण स्थान है। इन सब स्थानों के लिये ऐसी बेल्ट बनाना चाहिए जिससे कि लोग इन सब स्थानों को देखकर रामायण को समझ सकें। संगम सरजू और गंगा का संगम स्थान है जहां पर महात्मा तुलसीदास ने बैठकर रामायण की अधिकांश रचना की। रामायण के शोध की दृष्टि से यह स्थान महत्वपूर्ण है जो अभी तक उपेक्षित रहा है। इसको तुलसी चतुष: सदी में प्रकाश में लाना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे मंत्री जी वहीं के रहने वाले हैं और अवध की बातों को जानते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक इस ओर ध्यान नहीं गया है। यहां बुद्ध कंपलेक्स की चीजें भी हैं। बुद्ध ने अयोध्या में ज्ञान प्राप्त किया। दुनिया में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। फाह्यान ने जो लिखा है मैं कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि बौद्ध धर्म का आदि जन्म स्थान अयोध्या है। यहीं से यह धर्म बर्मा, स्याम, चीन, जापान, तिब्बत और लंका आदि देशों को गया है। गोंडा में श्रावस्ती एक स्थान है, इलाहाबाद में कौशाम्बी है और देवरिया में कुशीनगर है। इनकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका पर्यटन विभाग इन स्थानों का उद्धार करे जिससे कि यहां यात्री और विदेशी लोग जा सकें और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का आदर्श चरितार्थ हो सके।

आज प्रजातांत्रिक युग में जब हम जन कल्याण की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का जो स्थान है उसके विकास के लिये पर्याप्त व्यवस्था करें। आज की युग की तमाम बुराइयों जसे धर्मवाद और जातिवाद के झगड़े--इन सबका हल बौद्ध धर्म में मिलता है। बौद्ध धम जन समान्य का धर्म है। विश्व की राजनीति में आज भारत के नये-नये मित्र सामने आये हैं। अगर बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों को आगे बढ़ाया गया तो मुझे विश्वास है कि चीन, जापान, स्याम, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वर्मा आदि से हमारे संबंध मधुर होंगे और वे समय पर अच्छे मित्र की तरह सामने आयेंगे।

अन्त में चाहता हूं कि कुछ सुझाव दूं। अवध के क्षेत्र में आवास की व्यवस्था अच्छी कर दी जाय और परिवहन के लिये लोगों को ऋण दिया जाय। जो दर्शनीय स्थान हैं उनको वैज्ञानिक ढंग से सुधारा जाय और सड़कों से जोड़ दिया जाय। मैं मंत्री जी का ध्यान इसलिये

आकर्षित करना चाहता हूं कि वन विभाग का संबंध पर्यटन से बहुत है। विदेशियों का ध्यान वन और वन जन्तुओं की ओर बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने जो बढ़ावा दिया है वह ठीक ही है। अयोध्या सारे देश का आकर्षक केन्द्र है। अगर वहां पर और सुधार हो जाय तो बड़ा अच्छा होगा।

होटल उद्योग का बड़ा महत्व है। हमारे यहां 17 होटल ऐसे हैं जो सरकार से मान्यता प्राप्त किये हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, दो मिनट और चाहता हूं।

हमारे इन होटलों की दशा ऐसी है कि यहां पर जो यात्री आते हैं वे लुटते हैं, उनकी कस कर लुटाई होती है। उनके साथ ऐसा ब्यवहार हो कि वे जो पैसा अपनी जेबों में लाते हैं उससे देश के अनेक स्थानों पर जाएं और छोटे-छोटे लोगों को भी लाभ हो। मैं इस संबंध में सरकार के इस विवरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में बिजली में अनेक ऐसे स्थान हैं और जहां पर छोटे लोगों को लाभ हो सकता है। पिछली संविद सरकार ने होटल उद्योग में एक आश्चर्यजनक काम कर दिया था। होटल उद्योग में एकाधिकार हो गया था। हमारे वाराणसी में एक महत्वपूर्ण होटल क्लार्क होटल है, जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं और ठहरते हैं। सिराज होटल है। लखनऊ में भी एक होटल बनकर तैयार हो रहा है जिसको देखने से मालूम होता है कि इसमें आने वाले यात्री बिल्कुल चुस कर चले जायेंगे। इसके अलावा वे यात्रियों को इधर-उधर ले जाते हैं और सैर कराते हैं। ये छोटी एजेंसियों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। वाराणसी में शिल्प उद्योग है और जरी का उद्योग है। इन लोगों ने उसको अपने हाथ में लेकर छोटे कारीगरों का सामान्य जीवन दुखमय बना दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र नाथ मिश्र—

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था कि हमारे जिले में वन सम्पदा पर आधारित कोई कारखाना लगवा दें ताकि जनता का वहां पर कल्याण हो।

श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा)—

यह वन विभाग का सवाल है। कुमायूं मंडल के लोगों को समय मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

आपको समय मिलेगा।

श्री राम प्यारे—

मेरा ब्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न पर बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। इसलिये आप सबको 5–5 मिनट का समय दे दें और अगर जरूरत हो तो समय 15–20 मिनट और बढ़ा दें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग के अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, शायद आपको विदित होगा कि सारे उत्तर प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

अन्दर पहाड़ी जिलों में 60 प्रतिशत भू-भाग पर जंगल है और टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी में 81 प्रतिशत है। छोटे मोटे जंगल नहीं हैं बल्कि बहुत बेशकीमती जंगल हैं। देवदार, चीड़ के जंगल बड़ी तादाद में हैं और वे इन पहाड़ों पर बिखरे हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती इन पर्वतीय निवासियों की है कि इतनी तमाम दौलत होने के बावजूद इस दौलत का दोहन वहां की गरीब जनता के हित में नहीं किया जाता है बल्कि वहां की जनता का एक्स-प्लाएटेशन किया जाता है। इतनी बड़ी दौलत और टेहरी-गढ़वाल की प्रति व्यक्ति आय और उत्तरकाशी की प्रति व्यक्ति आय केवल 129 रु0 है।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप समाजवाद लाने की बात करते हैं और रीजनल विषमतायें खतम करने की बात करते ह लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि पहाड़ी दौलत की मैदान के लोग खुली लूट कर रहे ह। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि स्टार पेपर मिल जो बेजोरिया साहब का सहारनपुर में लगा हुआ है उसमें टेहरी और उत्तरकाशी से लकड़ी दी जाती है। उनके मिल में एक भी आदमी गढ़वाल का नहीं है। जो लकड़ी उत्तरकाशी की जनता को 8,9 रुपये घनफुट पर भी नहीं दी जाती है वह स्टार पेपर मिल को केवल 40 पैसे प्रति घन फुट पर दी जा रहा है टेढ़े मेढ़े के नाम पर। वह टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के नाम पर विभाग के कर्मचारियों से मिलकर अच्छे रेशे की लकड़ी ले जा रहे हैं। उनके साथ इस बारे में एग्रीमेंट भी एक या दो साल का नहीं है, पूरे 25 साल का है। तो पहाड़ का विकास कैसे होगा। इसी तरह से पूरे तराई क्षेत्र में यूकलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं। यह ऋषिकेश से लेकर टनकपुर तक फैले हुए हैं उसमें जैसे पर्वतीय विकास निगम में सिस्को के नाम पर बिरला को लाया जा रहा है, अल्मोड़ा में मैंगनासाइट के लिये टाटा को लाया गया है और युकलिप्टस के लिये बिरला को लाने जा रहे हैं। यह कारखाने पहाड़ पर नहीं लगेंगे। वह मैदान में होंगे। फिर भी आप कहते ह कि पहाड़ का विकास कर रहे हैं।

लीसा पहाड़ पर निकाला जाता है। और फैक्ट्री लगी है बरेली में। इसी तरह से माचिस और प्लाईवुड के कारखाने सीतापुर में लगे ह। तो इससे पहाड़ का विकास कैसे होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आप सहारनपुर के पेपर मिल को टेढ़ी मेढ़ी के नाम पर अच्छी लकड़ी दे रहे हैं उससे पल्प क्या पहाड़ पर नहीं बनाया जा सकता है? लेकिन आपको तो चुनाव लड़ना है और रुपये के लिये पूंजीपतियो के सामने सर झुकाना है? मान्यवर, इतना ही नहीं मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में इसी सदन में कहा है कि तराई क्षेत्र में 500 हरिजनों की झोपड़ी खतम कर दी गई है क्योंकि उन्होंने अनधिकृत कब्जा कर रक्खा था और दूसरे सवाल के उत्तर में यह भी जवाब दिया कि हजारो हेक्टर जमीन पर सन् 65 से लेकर आज तक नाजायज कब्जे चले आ रहे ह। हाई कोर्ट से बेदखली का हुक्म हो गया है। लेकिन आज आपके वन विभाग में हिम्मत नहीं है कि उस पर कब्जा कर ले। क्यों? इसलिये कि उत्तर प्रदेश के शासन के अन्दर एसे प्रभावशाली व्यक्ति मौजूद हैं जिनका उनके ऊपर वरदहस्त है, जिनका उनको आशीर्वाद प्राप्त है। और हमारे वन मंत्री जी न्याय प्रिय हैं। मैं जानता हूं कि वे इंसाफ करना चाहते ह। लेकिन मुझको लगता है कि उनके हाथ भी कमजोर पड़ जाते हैं जब उन प्रभावशाली व्यक्तियों को देखते हैं जिनका उन पर वरदहस्त है।

टेहरी के विस्थापितों को जंगलात विभाग के पास जमीन नहीं है देने के लिये। वे लोग जो उजड़ रहे हैं टेहरी के अन्दर उनको बसाने के लिये जमीन नहीं है। लेकिन ये जो जमीन-चोर जंगलात की धरती को दबाये बैठे हैं, आज से नहीं 15–20 साल से, बावजूद इसके कि हाई कोर्ट से उनको बेदखलियां हो चुकी हैं, क्यों नहीं आपकी हिम्मत पड़ती कि उनको जमीन से दखल करें। एक दो एकड़ की बात नहीं है, बेचारे मजदूरों, हरिजनों के ऊपर पुलिस भेज ते हैं, हाथी दौड़ाते हैं। टेहरी, उत्तर काशी के अन्दर एक-एक नाली, दो-दो, चार-चार नाली के

ऊपर जिसने कब्जा खोद रखा है उसको कचेहरियों में नपवाते हैं, बेइज्जत करते हैं, लेकिन बड़े-बड़े धरती चोरों को जिन्होंने हजारों एकड़ पर जंगलात विभाग में कब्जा कर रखा है, मैं पूछना चाहता हूं राजा साहब से कि क्या कारण है कि जमीनों से उनको बेदखल नहीं करते। माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वासन दें और आज ही जबकि आप अनुदान की धनराशि की मांग कर रहे हैं, जंगलात के विभाग के अन्दर और इतनी सामर्थ्य नहीं है तो पुलिस को लेकर उन तमाम धरती चोरों को निकालिये। टनकपुर के अन्दर जाइये, बेचारे कुछ बंगाल से आये हुए विस्थापित हैं। पर्वतीय क्षेत्र के कुछ लोग थे जो एक जमाने में वर्मा में जाकर सेटिल हो गये। जब आजादी हुई वहां तो बरमा की सरकार ने उनको हटा दिया। आज वे टनकपुर के अन्दर पड़े हुए हैं। वे लगातार भटक रहे हैं। कभी नारायण दत्त तिवारी जी का दरवाजा खटखटाते हैं, कभी किसी मंत्री का, कभी किसी एम0 एल0 ए0 का दरवाजा खटखटाते हैं। जंगलात विभाग के ऊपर दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन उनके लिये जंगलात विभाग के पास जमीन नहीं है। पर जो जबरदस्ती करना जानते हैं, जिनका लखनऊ के अन्दर अपना दबदबा है। वे लोग हजारो एकड़ जमीन हड़प गये। वे विस्थापित जो आपके देश के नागरिक, पर्वत के बेटे, जिनको वापस भेज दिया गया है, उनके पास कोई जमीन नहीं है। मैं अधिक नहीं कहूंगा।

मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि वन विभाग के मंत्री माननीय राजा साहब को हम अपना समझते हैं और हकीकत में पर्वत-वासियों के लिये किसी के हृदय में दुख है तो उनको है और असली कार्य कोई पर्वतीय मंत्री कर सकता है और वहां के हितों की रक्षा कर सकता है तो वन मंत्री ही कर सकते हैं जिनको वहां के जन-जीवन से कभी हटाया नहीं जा सकता। मैं माननीय राजा साहब से निवेदन करूंगा कि राजा साहब अगर पर्वत के निवासी हैं, हमारे भंडारी जी पर्वत के निवासी हैं और वहां के हालात से वाकिफ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी दौलत की लूट होती है, क्यों नहीं आपके दिलों में आग भड़कती है कि हमारे बाप-दादाओं की दौलत को पूंजीपति लूट करके ले जा रहा है हमारी गरीबी अपनी जगह पर कायम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पहाड़ों का विकास करना चाहते हैं वहां की गरीबी को मिटाना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप वन आधारित उद्योगों को पहाड़ों पर ही लगाइये ताकि पहाड़ की दौलत वहीं इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद।

श्रीमती सरस्वती टम्टा (जिला अल्मोड़ा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग की महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिये समय दिया। वनों का हमारे देश और प्रदेश के लिये बड़ा महत्व है। इससे करोड़ों रुपये सालाना की आय हमें होती है और पर्वतीय जिलों की सभ्यता ही वन है। वन की आय का अधिक पैसा पर्वतीय जिलों में खर्च किया जाना चाहिये। किन्तु इनके विकास तथा पहाड़ों के विकास की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। जितनी वहां से आय होती है उसके हिसाब से वहां के विकास के लिये बहुत कम खर्च किया जाता है जब कि पर्वतीय जिलों से करोड़ों रुपये की लकड़ी व लीसा हमारे पर्वतीय जिलों से पैदा होता है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व इन पर्वतीय वनों से मिलता है।

मान्यवर, कुमायूं और गढ़वाल मंडल के जिलों में करोड़ों रुपयों का लीसा होता है। यह वनों द्वारा ही प्राप्त होता है। वनों का आधा हिस्सा सुरक्षित वन है और आधा पंचायती या सिविल वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यह जो आय की बात मैं कह रही हूं यह सुरक्षित बनों से होने वाली आय की कह रही हूं। जो पंचायती वन व सिविल वन हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब है क्योंकि सुरक्षित बनों की देख-रेख वन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और वनों की देख-भाल रेवेन्यू विभाग के द्वारा की जाती है। मेरा सुझाव है कि इनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय और इसके लिये जो नये वन-वृत्त की स्थापना की जाय। जो जन हित के लिये वनों की आय व उत्पादन बढ़ाये और जनता की सुविधा के लिये अधिक पैसा खर्च करें। हमारे यहां जो छोटी-छोटी नदियां हैं उनके ऊपर पुल बनाये जायं। यातायात के लिये सड़कें बनायी

[श्रीमती सरस्वती टम्टा]

जायं। पंचायती वनों से लीसा के द्वारा जो आय होती है उसी से हमारे यहां लोग स्कूल आदि की स्थापना करते हैं। हमारे यहां लोग लीसा के छोटे-छोटे उद्योग लगाये हुए हैं। उनको लीसा का आवंटन बहुत कम होता है तथा अधिक रेट्स पर होता है। हमारे यहां जो छोटी-छोटी यूनिट्स इसका काम कर रही हैं उनको अधिक मात्रा में लीसा दिया जाय तथा जिस रेट पर बरेली में लीसा दिया जाता है उसी रेट पर हमारे यहां के लोगों को भी देना चाहये।

पर्यटन विभाग के बारे में भी अन्य साथियों ने बहुत कुछ कहा है। हमारे यहां बहुत से रमणीय स्थान हैं। उनको और अधिक सुन्दर बनाकर पर्यटकों के लिये आकर्षक केन्द्र बनाया जा सकता है। पिछले वर्ष हमारे यहां प्रधान मंत्री जी आयीं थीं उन्होंने वहां के विकास के लिये और पर्यटन विभाग के विकास की बात कही थी उन स्थानों को और अधिक रमणीय बनाया जाय। श्रीमन्, वैसे वन विभाग प्रति वर्ष चाहे वनीकरण में हो या उत्पादन में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, जिसके लिये मैं वन विभाग के अधिकारियों और वन मंत्री को धन्यवाद देती हूं। मैं यद्यपि यह नहीं कहती कि स्टार पेपर मिल वालों को लकड़ी देना बन्द कर दिया जाय, लेकिन यह अवश्य निवेदन करूंगी कि हम लोगों को भी इमारती लकड़ी और आवश्यक लकड़ी ईंधन आदि के प्रयोग वाली अवश्य पर्याप्त मात्रा में और सस्ते दर में मिलनी चाहिये। स्टार पेपर मिल को जो सड़ी-गली लकड़ी देने की बात कही गई है, वह भी बर्बादी नहीं होनी चाहिये उनको दी जाये, इसमें खराबी नहीं है। जो फालतू लकड़ी व वक्र, चीड़ है उसको देने में हानि नहीं है, उससे भी सरकार की आय बढ़ती है।

वन विभाग द्वारा पर्वतीय जिलों में क्रैश-प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जहां पर सड़कों की कमी है, वहां पर सड़कें बनवाई जायं, जिनसे वन विभाग का और साथ ही साथ जनता का लाभ हो सके। आपने मुझे 5 मिनट का मौका दिया, इसलिये मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगी। इतना और कहूंगी कि वन विभाग द्वारा विद्यालयों को सहायतार्थ जो रुपया दिया जाता है वह जल्दी मिल जाया करे और वन वृत्त की अवश्य ही स्थापना की जाय।

*श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, दो मिनट का समय है, इस दो मिनट में अधिक क्या कहूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग की जो मौजूदा नीति है, उस नीति से प्रदेश का और पर्वतीय जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है। जंगल पहाड़ों में बड़ी मात्रा में काटे जा रहे हैं। वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इनकी जंगल सुरक्षित रखने की कभी नीति नहीं रही है। हमारे यहां उत्तरकाशी में सन् 63 में राजा के खिलाफ जोरों का गरीबों का आन्दोलन हुआ था विलारी के मैदान में, वह इसलिये हुआ था कि जो फारेस्ट्स हैं, मुंडारें हैं वे गांव से दूर होनी चाहिये। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, सो बाद में भी आन्दोलन हुआ, लेकिन वे नहीं हटे। जनता के लोग गोली से मारे गये, किन्तु आज भी मुंडारें ज्यों की त्यों हैं। हमारे टिहरी रुद्रकाशी के फारेस्ट्स में वहां वैसा होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जो टिहरी-गढ़वाल की रियासत थी, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल में सभी जगह वन पंचायतें हैं, लेकिन टिहरी-गढ़वाल में वहां नहीं हैं। हम एक तरफ का कानून चाहते हैं। जो कानून वन विभाग का पौड़ी-गढ़वाल में है, वही टिहरी-गढ़वाल में लागू होना चाहिये, उसे भी वही सुविधायें मिलनी चाहिये। आज 25 वर्ष हो गये, आपने पौड़ी-गढ़वाल में के सब जंगलों को ले लिया, लेकिन वहां पंचायतें अब भी नहीं बना सके। आपने जो प्रगति विवरण पुस्तिका बांटी है, उसमें जो आपने लिखा है "मई 1972 में नये पंचायती वनों के नियमावली को लागू किया गया। वन पंचायत नैनीताल अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा चमोली जिले में स्थित हैं और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये इनका विशेष महत्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है ।" इससे भी मालूम होता है कि आगे आने वाले समय में भी इनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं है ।

इसके साथ जब से हम लोग आये, हमने हमेशा कहा कि हमारे यहां वन पंचायतें बनायें । जो पिछले मन्त्री थे उन्होंने आश्वासन दिया सदन में कि आपके यहां तुरन्त वन पंचायतें बनायी जायेंगी । लेकिन तुरन्त और जल्द शब्द का हमारे मन्त्री लोग क्या अर्थ समझते हैं यह समझ में नहीं आता । आज तक वन पंचायत हमारे यहां नहीं बन पायी । यदि हम इस प्रान्त को सूखे और बाढ़ से बचाना चाहते हैं तो हम जंगलों की रक्षा करें । जंगलों की रक्षा के लिये यह जरूरी है कि वहां लोगों से मिल कर जंगलों की व्यवस्था की जाय । इसके लिये मेरा एक सुझाव है कि जो आपकी फारेस्ट कमेटी कुमाऊं और गढ़वाल में हैं उनके लिये आप कुछ न कुछ पैसा जरूर रखें । कम से कम 1—1 करोड़ रुपया उनको दें । देखें वह किस तरह से ग्राम-पंचायतें फारेस्ट को बचा सकती हैं वह करें । उसके साथ एक निवेदन और है । अब की साल गढ़वाल सर्किल बनाया है । गढ़वाल के लिये एक कंजरवेटर साहब नियुक्त किये गये । हमने हर्ष किया और मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं । लेकिन उनका मुख्यालय गढ़वाल में न रख कर देहरादून में रखा गया है जहां कंजरवेटर आलरेडी है । गढ़वाल वालों और चमोली वालों को देहरादून ही आना है तो दूसरे कंजरवेटर की आवश्यकता ही क्या थी ? हमने लिख कर दिया है सब विधायकों ने मन्त्री जी को । लेकिन समझ में नहीं आता कि जब गढ़वाल के नाम पर कंजरवेटर मिला तो गढ़वाल के सेन्टर में पौड़ी-गढ़वाल में उसको रहना चाहिये जहां पर गढ़वाल के कमिश्नर रहते हैं ।

इसके अलावा इस किताब में कहा गया है लीसा के लिये अब की साल वन मन्त्री ने बताया है कि हमने ऐसा किया है कि वहां के लोगों को कुछ रोजगार मिले । हम आपके आभारी हैं कि आप इस नीति पर गये । लेकिन एक निवेदन आप से कर दूं । इससे वह लोग आ रहे हैं जिनका जंगल से कोई मतलब नहीं है । वह चाहे देहरादून के हों या पहाड़ वाले लोग ही हों उनका कोई मतलब जंगल से नहीं है उनको लीसा का काम दिया गया है जो जंगलों की प्रापर्टी है । इन चीजों की ओर ध्यान दें ताकि प्रान्त सूखे और बाढ़ से बच सके और जंगलों की व्यवस्था हो सके ।

एक निवेदन और है । एक बलदेव सिंह आर्य कमेटी बनी थी । उस कमेटी की पूरी रिपोर्ट है । लेकिन जो बात उन्होंने स्वयं कही है, पंचायतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं । हमारे बोलने की आवश्यकता नहीं मालूम होती क्यों यह जानते हुए भी किसी चीज को क्यों नहीं कर पाते यह समझ में नहीं आता ।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, समय बहुत कम है । बन की शिकायत बहुत सुझाव कम । तराई में नेपाल के बार्डर पर जो जंगल हैं वहां पर थारू जातियां बसी हुई हैं । उनको शिकार खेलने की ब्रिटिश पीरियड में सुविधा थी । अब उनकी वह सुविधा रोक रखी है । शिकार उनके लिये प्रमुख चीज है । उनको शाम को शिकार जरूर मिलना चाहिये । उनको शिकार की सुविधा मिलनी चाहिये । उनकी जाति सीधी है । हमारे जंगल विभाग के जो छोटे कर्मचारी हैं, उनको बहुत तंग करते हैं । वह अपनी भाषा में कहते हैं, वह यहां नहीं बोली जा सकती, हम भारत को छोड़ कर नेपाल को चले जायेंगे । वहां के अधिकारी जानते हैं लेकिन कान में तेल डाल कर बैठे रहते हैं । और जो उनके साथ आज कटुता है उसके लिये सरकार उनके साथ मृदुल व्यवहार करे जिससे वे भारत के नागरिक रह सकें जब कि केन्द्रीय और प्रदेशीय दोनों सरकारें विशेष प्रयास कर रही हैं और अनुदान देती जाती हैं तो उनके साथ व्यवहार भी मृदुल कर दें जिससे वे भारत के नागरिक बन सकें ।

दूसरे जंगल में कुछ सड़कें ऐसी हैं जो सरविस रोड्स बन गयी हैं उन पर अगर बैल गाड़ियां क्रास करता हैं तो उनके साथ सख्ती का व्यवहार किया जाता है । जंगल के निवासी बिना जंगल

[श्री पारस नाथ सिंह]

में से हुए कहीं आ जा नहीं सकते, इसलिये जब तक उनको आने जाने और वहां से अपनी बैल-गाड़ियों आदि चलाने की सुविधा उनको नहीं मिलेगी तब तक उनका काम कैसे चल सकता है।

हमारे बहराइच जनपद में उत्तर की तरफ नैपाल का बार्डर और दक्षिण की तरफ खीरी की ओर जंगल के बीच सीतापुर से कतरनियाघाट तक ऐसी कोई सड़क नहीं है जिससे पक्की सड़क तक पहुंचा जा सके। आजकल दोनों तरफ छोटे-छोटे नदी नाले हैं जिन पर पुल नहीं हैं। ब्रिटिश काल में जो पुल बने हुए थे वे उजड़ गये हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो सकी है। दूसरा कोई विभाग पुल बनवा नहीं सकते इसलिये जंगल विभाग ऐसे सारे पुलों की मरम्मत करा दें, बनवा दें जिससे मोसीपुर से कतरनियाघाट की पक्की सड़क तक जाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—

रेल और सड़क दोनों से उनको मिलना ही चाहिये।

श्री पारस नाथ सिंह—

वह तो ठीक ही है लेकिन जो खास तौर से बड़ी-बड़ी बाजारें हैं जहां पर जाने के लिये कोई सड़कें नहीं हैं और वह पुल भी छः या सात बनाने पड़ेंगे जो कि हरखापुर, हथियाघाट, सेमरी, गोपिया के पास जरही, पिपरा के पास तथा भादा नाला पर यह सब पुल बनाने पड़ेंगे, अगर इनको बनवा दिया जाय तो वहां के जंगल के नागरिकों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाय।

श्रीमन्, हमारे बहराइच जनपद में रेवेन्यू के कागजात जल गये हैं और इस वजह से वन विभाग को बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जमीन वन विभाग को प्राप्त हुई है उसका रिकर्ड नहीं रह गया है और जो चाहे फर्जी पट्टे बनवाकर अपने नाम जमीन करा लें और न फिर एस० डी० ओ० साहब और न कलेक्टर साहब की कुछ कर पायेंगे लिहाजा वन विभाग को जो जमीन जमींदारी विनाश के बाद प्राप्त हुई है उसके प्रति जंगल को सजग रहना चाहिये।

भरथापुर गांव के लोगों का 14 सौ एकड़ जमीन खाली कराकर उन लोगों को वापस मिलनी चाहिये।

एक बात यह भी है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो वहां के लोग वहां की सड़क तैयार कराते हैं, नाली ठीक कराते हैं आदि आदि लेकिन उसके बाद उनके साथ व्यवहार कठोर होता है। कम से कम जो जंगल के काम आते हैं उनको सुविधायें प्राप्त होनी ही चाहिये। उनके साथ न्याय होना चाहिये और उनकी शिकायतों पर एस० डी० ओ०, कलेक्टर साहब को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

एक प्रमुख बात यह भी कहना चाहता हूं। कुछ गांव ऐसे हैं जंगल में जो असामी कहे जाते हैं जैसे महबूबनगर, गोकुलपुर, टेढ़िया, भवानीपुर बिछिया और बिछिया। इनकी बड़ी मुसीबत है। ये लोग न वोट दे सकते हैं, न ग्राम सभायें बना सकते हैं। उनके साथ इस प्रकार के अन्याय को दूर किया जाना चाहिये।

एक बात हमारे निर्जापुर के भाई राम निहोर जी ने मुझे बताई है और वह यह है कि विकास खंड, मड़िहान में सोनई नाला पर पानी पीने की व्यवस्था जानवरों के लिये नहीं है। वहां के लिये भी पानी पीने की व्यवस्था होनी ही चाहिये। समय कम होने से बहुत सी बहुत सी बातें जो मुझे कहनी थीं मैं फिर किसी समय निवेदन करूंगा।

श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी)—

श्रीमन्, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे थोड़ा-सा समय दे दिया। श्रीमन्, आज वन विभाग जो कार्य कर रहा है वह इस दृष्टिकोण से अवश्य सराहनीय है कि इतना कम स्टाफ होते हुए भी वह इतनी तरक्की कर रहा है और उसकी आमदनी बढ़ रही है।

इसके लिये वह धन्यवाद के पात्र है। वन मन्त्री जी पहाड़ी क्षेत्र की तरक्की के लिये काफी सहयोग प्रदान कर रहे हैं और वहां वह अच्छे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। एक बात और है हिमांचल प्रदेश में 11 हजार स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व फारेस्ट है और हमारे यहां 18 हजार पर्वतीय जिलों में है लेकिन स्टाफ वहां के मुकाबले में आधा है। अगर आप वनों की तरक्की करना चाहते हैं और आर्थिक हालत पहाड़ी जिले की सुधारना चाहते हैं तो वन विभाग का स्टाफ बढ़ना चाहिये और मेरा सुझाव है कि मौजूदा सर्किल के स्थान पर तीन गुना सर्किल वहां स्थापित होने चाहिये। ऐसा करने पर ही बनों का विकास होगा और पहाड़ों में उद्योग धन्धे पनप सकेंगे।

*श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, इधर के बैठने वाले तथा उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। अवैध कटान जंगलों में बहुत हो रहा है और अधिकारियों के पास इतने साधन नहीं हैं कि उसको रोक सकें। इसके लिये मेरा सुझाव है कि जंगल विभाग अपना एक फ्लाइंग स्क्वायड स्थापित करे जो हर वक्त तैयार रहे और अगर अवैध कटानें करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करे और उनको सजा दिलावे। पिछले वर्ष तेंदू पत्ती का राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन उसमें आश्चर्यजनक बात यह हुई—मैं नाम तो नहीं बतलाऊंगा लेकिन एक व्यक्ति को एक हजार रुपया इस शर्त के साथ दिया गया टेंडर काल होने पर कि अगर अमुक टेंडर में दाम कम हो जायेंगे तो 5 हजार और दिये जायेंगे। राष्ट्रीयकरण के बाद भी यह धांधली चल रही है। जिले स्तर से फाइल मंगाई गयी और उसका भाव घटाया गया और इस तरह एक व्यक्ति को फायदा पहुचाया गया। मेसर्स केम्फा एन्ड कम्पनी पर जो चार्जेज हैं उनकी तरफ भी सदन का ध्यान दिलाया गया है और उस सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जायगी। टांगिया फार्मिग के सम्बन्ध में छोटे लोगों को मौका दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रेस करता हूं और आशा करता हूं कि सदन उसका समर्थन करेगा।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग तथा पर्यटन विभाग पर माननीय सदस्यों ने बहुत से अच्छे सुझाव दिये और खास तौर से राम किंकर जी ने जो पहले बन मन्त्री रह चुके हैं और उनको काफी इस विभाग का अनुभव है अपने अनुभव बतलायें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

छोटे-छोटे काश्तकारों को टांगिया फार्मिग के लिये जमीन दी जाय इसके लिये हमने बहुत कोशिश की लेकिन अच्छे लोग आ नहीं पाते हैं जो मेहनत कर सकें और उस जमीन को ऐसा बना दें जिससे वृक्षारोपण हो सके। इसलिये बड़े-बड़े लोगों को जिनके पास ट्रेक्टर होते हैं और काफी साधन हैं उनको यह जमीन देनी होती है जो आक्शन के जरिये दी जाती है, एलाट नहीं की जाती और इस प्रकार लोग ऊंची बोली बोलते हैं उनको टांगिया फार्मिग के लिये जमीन दी जाती है। एक चीज उन्होंने यह बताई कि यहां पर आल इंडिया फारेस्ट्री बोर्ड की मीटिंग में किसी होटल में काकटेल आदि दिया गया। उसके बारे में बताना चाहता हूं कि वह हमारे विभाग की तरफ से नहीं था और किसी अन्य विभाग से वह ताल्लुक रखता था। दुबारा मीटिंग के सम्बन्ध में कहा गया कि वहां पर 3/4 मेम्बर गये थे। तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी की सदस्यता ही कुल 4/5 मेम्बरों की है और वे लोग वहां पर आये थे। उनके ऊपर कोई ज्यादा खर्च नहीं किया गया क्योंकि मैं भी वहां पर मौजूद था। हां, जो कुछ थोड़ा बहुत खर्च हुआ वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत प्रसाद सिंह]

उनके खिलाने-पिलाने में बन्दोबस्त में हुआ होगा। इसके बारे में यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं अब जल्दी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाने के विचार में नहीं हूं क्योंकि उससे बेकार का खर्च होता है.....

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

पिलाने का भी आपने बन्दोबस्त किया था ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह माननीय सुरेन्द्र विक्रम की फरमाइश पर मुनहसिर करता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

इनकी फरमाइश पर तो वहां इन्तजाम किया गया।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह कहा गया कि पहाड़ में जो उद्योग लगे हुए हैं उनको और आई० टी० आर० को दिये जाने वाले लीसे के रेट में फर्क है। तो इसके बारे में बताना चाहता हूं कि दोनों के रेट एट-पार कर दिये गये हैं। माननीय सुरेन्द्र विक्रम ने लालढांग में प्रधानमन्त्री के लड़कों द्वारा शिकार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की। उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री के लड़के अवश्य वहां पर शिकार खेलने के लिये आये थे। लेकिन उनके पास परमिट नहीं था। उन्होंने टेलीफोन किया और उनको परमिट अलग से देना पड़ा जो डी० एफ० ओ० और कन्जर-वेटर के नाम से होता है। लेकिन माननीय सदस्य का यह कहना कि उनके खाने-पीने और रहने में सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ, गलत है। हमारे फारेस्ट रेस्ट हाउस में सभी चीजें मौजूद हैं उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया। इस प्रकार माननीय सदस्य की सूचना निराधार है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उनसे कितनी रायलिटी जमा कराई गई थी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है। एक बात उन्होंने गुलाब सिंह चौहान के बारे में कही कि जो नये एक्सपेरीमेन्ट हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे उप-मन्त्री गुलाब सिंह का नाम भी हो सकता है। मैं माननीय सदस्य को पहले यह बताना चाहता हूं कि हमारे उप-मन्त्री गुलाब सिंह चौहान नहीं लिखते हैं वे खाली गुलाब सिंह लिखते हैं। जिनका कि इन्होंने नाम लिया है वे कालसी में एक ब्लाक प्रमुख हैं। हमारे उप-मन्त्री का उसमें कहीं नाम नहीं है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

लालढोंग के बारे में आपसे बताना चाहता हूं क्योंकि वह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और मुझे इसकी अच्छी तरह से जानकारी है कि 5 हजार रुपये के डनलप पिलो के गद्दे खरीदे गये हैं, और गढ़वाल मंडल की सारी जीपों का उस अवसर पर दुरुपयोग किया गया। क्या आप इसकी जानकारी करायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य को इसकी जानकारी हो सकती है जो मेरी जानकारी थी वह मैंने बता दी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आपके कहने का आधार क्या है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मैंने जांच की है। मान्यवर, काले हिरणों के बारे में कहा गया। इसके सम्बन्ध में अपने अधिकारियों को मैंने आदेश दे दिये हैं कि वे इसकी जांच कर लें और जब तक जांच न हो जाय तब तक कोई कार्यवाही नहीं करें। वाइल्ड लाइफ का जिक्र किया गया। मान्यवर, यह ऐक्ट 1 फरवरी से लागू हुआ है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां कि लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं है। इस हेतु एस0 पी0 और डी0 एम0 को अधिकार दिये गये हैं वे तदनुसार कार्यवाही करें। पर्यटन विभाग की प्रगति के बारे में शुरू में मैंने उल्लेख नहीं किया था। मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग एक ही वर्ष से अलग विभाग बना है। इसके पहले वह टांसपोर्ट विभाग से जुड़ा हुआ था और थोड़े दिनों में जो इसकी प्रगति हुई है वह मैं बतला देना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

पर्यटन विभाग का उद्देश्य केवल फारेन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट करना है या इस देश के टूरिस्टों को भी अट्रैक्ट करने का है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इसका उद्देश्य बाहर के टूरिस्टों के साथ-साथ इस देश के टूरिस्टों को भी अट्रैक्ट करना है। हमारे यहां पहले मसूरी और गोरखपुर में टूरिस्ट आफिसर रहता था, जिसे बन्दकर दिया गया था लेकिन अब फिर उसे रखा जा रहा है। इसी तरह से ढेकाला में टूरिस्ट बंगला बन रहा है और नैनीताल में केन्द्र की सहायता से यूथ होस्टल बनने जा रहा है। पौड़ी, चित्रकूट, महोबा और रुद्र प्रयाग में टूरिस्ट बंगले बन रहे हैं। जहां पहले 600 लोगों के रहने की व्यवस्था थी वहां 100 के लिये और प्रबन्ध किया जा रहा है। इस तरह से जैसे-जैसे टूरिस्ट विभाग को धन का प्रबन्ध होता जायगा वह पर्यटकों के लिये उचित प्रबन्ध करता ही रहेगा। रेजिडेंसी में 2 अक्तूबर से साउन्ड ऐंड लाइट का प्रबन्ध किया जा रहा है। बहुत से जो धार्मिक स्थान हैं जहां यात्री जाते हैं, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, दोनों धर्म के तीर्थ यात्रियों के लिये रहने की व्यवस्था की गयी है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो टूरिस्ट बंगले आप बनवाने जा रहे हैं, वे कितने खर्च से बनेंगे और क्या उनमें गरीब आदमी रह सकेंगे? यदि रह सकेंगे, तो उनको प्रति दिन कितना खर्च देना पड़ेगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वह उन्हीं गरीब और साधारण आमदनी वालों के लिये बन रहा है जिससे वे लोग वहां जा कर रह सकें। अब कितना देना पड़ेगा वहां रहने के लिये यह तो बन जाने पर ही बतला सकूंगा।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि टूरिस्ट विंग साल भर से ही ट्रांसपोर्ट से अलग किया गया है, तो मैं जानकारी चाहता हूं कि जो उसके डाइरेक्टर हैं क्या उनको गाड़ी दे दी गयी है ताकि वे घूम कर पता लगा सकें कि कहां पर क्या-क्या बनाने की जरूरत है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां, अभी ही उनको गाड़ी मिली है। जैसा कि अभी नेगी जी ने कहा कि वन विभाग का कच्चा माल पहाड़ से नीचे को चला जाता है। मैं उनकी जानकारी के लिये बतला दूं कि अब ऐसी योजना बनी है जिसके अनुसार पल्प जो तैयार होगा वह पेपर मिल को दिया जायगा इन चन्द शब्दों के साथ मैं श्री राम किंकर जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

बिजनौर में जंगल के पास रहने वालों को पहले मकान बनाने के लिये बन विभाग की तरफ से लकड़ीं आदि की मदद मिला करती थी जो बन्द कर दी गयी है। क्या माननीय मंत्री जी पुराने रिवाज को जारी कर वहां के रहने वालों को वे सुविधायें देने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है लेकिन हल्द्वानी में भी करीब 30–40 परिवार ऐसे हैं जो जंगल में अपना जानवर वगैरह रखते थे, तो अब तय किया गया है कि यदि वे चाहेंगे तो उनको वहां जमीन दे दी जायेगी ताकि वे वहां आबाद हो सकें ।

श्री लोकपति—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में सफारी प्रोजेक्ट लगाने की कोई योजना है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मिर्जापुर में तो नहीं है लेकिन आगरा और मथुरा के बीच है ।

श्री पारस नाथ सिंह—

हमारे बहराइच जिले में घटहार रेस्ट हाउस के पास 4 मील के अन्दर जंगल है, वहां पर अभी 15 दिन में एक मेला लगने वाला है....

श्री उपाध्यक्ष—

वह जानकारी आप उनसे बाद में कर लें ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42 के अन्तर्गत मांग की धनराशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 42–वन एवं पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले पर परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,76,55,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

रबी की फसल क्षतिग्रस्त होने के विषय में सरकारी देयों की वसूली करने के संबंध में वक्तव्य

श्री जगन्नाथ प्रसाद (राजस्व उपमंत्री)—

माननीय श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री वंशीधर पांडेय ने सूचना दी कि किसानों की फसल विशेषकर गेहूं, जौ, मटर, आलू और अरहर की फसल को भीषण क्षति पहुंची है, परन्तु शासन की उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष रबी की फसल के उत्पादन का अनुमान गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है । इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण खरीफ की फसल को हुई क्षति को पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने एक विशेष रबी अभियान चलाया तथा सभी संभव साधनों का उपयोग करके रबी उत्पादन में वृद्धि का प्रयत्न किया। नवम्बर, 1972 के दूसरे पक्ष में प्रदेश भर में अच्छी वर्षा हुई, इससे रबी की बुवाई से सुविधा हुई और बुवाई अधिक क्षेत्रफल में हो सकी। सौभाग्य

से इस वर्ष जनवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा हुई जो रबी की फसल के लिये विशेषकर लाभकारी सिद्ध हुई। यह बात जरूर है कि प्रदेश के 21 जिलों में उपलवृष्टि थोड़ी बहुत मात्रा में हुई जिससे अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार रबी के क्षेत्रफल का केवल एक प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों में पाइरोला से गेहूं की फसल को कुछ नुकसान हुआ। इन सभी नुकसानों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक रिपोर्ट अभी आना है। नियमों के अनुसार यह रिपोर्ट जिला अधिकारी 15 अप्रैल तक भेजेंगे। किसी क्षेत्र में अधिक नुकसान पाया गया तो नियमानुसार उनको सहायता दी जायगी और नियमों के अनुसार उन्हें मालगुजारी में भी छूट दी जायगी। रबी की पैदावार के आंकड़ें अभी प्रारम्भिक अनुदान पर आधारित हैं। पैदावार का सही अनुमान लगाने के लिये कृषि विभाग क्राप कटिंग कराता है जिसमें रैन्डम आधार पर गांव और खेत चुनकर पैदावार निकाली जाती है। क्राप कटिंग के यह आंकड़ें अभी उपलब्ध नही हैं आशा है कि अप्रैल के अन्त तक उपलब्ध हो जायेंगे। उस समय यह कहा जा सकेगा कि इस वर्ष रबी की पैदावार की वास्तविक स्थिति क्या है? जैसा ऊपर कहा जा चुका है अभी तक उपलब्ध सूचना से यह जाहिर होता है कि पिछले साल से स्थिति काफी अच्छी है।

जहां तक वसूली का प्रश्न है, जुलाई, 1972 में सूखे की आशंका होते ही सभी जिलों में राजस्व विभाग के एकीकृत संग्रह योजना के अन्तर्गत समस्त देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी और वसूली का यह स्थगन 30 सितम्बर तक कायम रहा। नई किस्त की वसूली शुरू होने पर भी विकास कर, भू-राजस्व, तकावी, सिंचाई शुल्क तथा अन्य कृषि देयों की जो धनराशि शेष रह गयी थी उसे रबी 1380 फसली की किस्त की वसूली आरम्भ होने तक स्थगित रखा गया साथ-साथ सवा 6 एकड़ से कम जोत वाले किसानों से विकास कर, तकावी तथा अन्य कृषि देयों की खरीफ 1380 फसली की मांग भी रबी 1380 फ0 की वसूली तक के लिये स्थगित रखी गयी।

उपरोक्त से ज्ञात होता है कि वसूली के मामलें में सभी संभव सुविधायें दी गयीं। 31 मार्च, 1973 से खरीफ किस्त की वसूली समाप्त हो गयी है। नयी किस्त की वसूली जमाबन्दियों के तैयार होने के बाद कुछ जिलों में 15 अप्रैल और कुछ जिलों में एक मई से आरम्भ होगी। उस वक्त तक जिलों से प्रारम्भिक रिपोर्ट भी प्राप्त हो जायेगी और क्राप कटिंग के आंकड़े भी उपलब्ध हो जायेंगे। इन आकड़ों से स्थिति की वास्तविकता का पता लगेगा और तब यह बिचार किया जा सकेगा कि सरकारी देयों की वसूली में किसी रियायत की जरूरत है या नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी ने इस नोटिस पर जिसमें लिखा गया था कि आलू, मटर और अरहर के फसलों का नुकसान हुआ, इसमें कोई क्राप कटिंग नहीं की गयी है और आलू में भयंकर रूप से नुकसान हुआ है पाला पड़ने के कारण जिसे शत प्रतिशत का नुकसान कहा जा सकता है। क्या माननीय मन्त्री जी ने इस बात को जानने का प्रयास किया है कि आलू, मटर की फसल शत प्रतिशत खराब हो चुकी है?

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

माननीय सदस्य ने रबी की फसलों के बारे में अपना प्रश्न किया था और उसकी जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में पता लगाया गया है अगर आप समझते हैं कि आलू के बारे में अलहिदा से जिक्र नहीं किया गया है.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

वक्तव्य के प्रथम पैरा में ही यह लिखा हुआ है कि गेहूं, जौ, मटर, आलू, अरहर की फसलों को भी क्षति पहुंची है। इसमें आलू और मटर का भी जिक्र किया गया है। अब माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि इसमें आलू का जिक्र नहीं किया गया है। तो इससे अधिक आप क्या चाहते हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय सदस्य का जो प्रश्न था उसमें रबी की फसलों में जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में पूछा था कि क्या सहूलियतें लोगों को देंगे, इसके ऊपर जोर दिया था और जो तकावी या ऋण और दूसरे देय हैं उनको किस हद तक वसूल किया जायगा और माफ किया जायगा। इसलिये उसमें वे ही आंकड़े हैं जो रबी की फसल से सम्बन्धित हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके उत्तर में है कि किसानों की फसल विशेषकर गेहूं, जौ, मटर, आलू और अरहर की फसल को भीषण क्षति पहुंची है तो आलू के बारे में सामान्य तौर पर क्या स्थिति है यह बता दें ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि उसके बारे में भी है लेकिन उसको अलहिदा से निकाल कर नहीं लिया गया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

खरीफ की फसल पर रेवेन्यू लास के ऊपर कोई कम्पेन्सेशन दिया ही नहीं जाता है और रबी की फसल में केवल गेहूं पर दिया जाता है। इसके अलावा, जो और कीमती फसलें पैदा करने के लिये आप अभियान चलाते हैं, जैसे मिर्च और आलू वगैरह, उनको रबी की फसलों में मान कर कोई कन्सीडरेशन करके अपने कानून में तरमीम करने पर विचार करेंगे ताकि उनकी क्षति पर कुछ कम्पेन्सेशन दिया जा सके ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस पर जरूर विचार कर लेंगे।

श्री राम बिलास वेदान्ती (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे, जैसा उन्होंने कहा है कि देय धन जो उनके ऊपर लगान के रूप में या तकावी के रूप में है, उनकी वसूली के बारे में जब रिपोर्ट आ जायगी कि कहां पर पाला पड़ा है, कहां पर सूखा पड़ा है, कहां पर अन्य कारणों से जैसे ओले आदि से नुकसान हुआ तब आप विचार करेंगे ? सिद्धांत रूप से क्या आप मानते हैं कि आप छूट देंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ओले से हुई क्षति की ज्यों-ज्यों रिपोर्ट आती जाती है कि वह 75 फीसदी से ज्यादा बर्बाद हुई तो अभी छूट दे रहे हैं। गोरखपुर में तो वसूली के स्थगन के आदेश दिये हैं। अन्य स्थानों से जब रिपोर्ट आ जायेगी, तो विचार करके आदेश प्रसारित कर दिये जायेंगे।

श्री राम वचन (जिला आजमगढ़)—

चूंकि पूर्वी जिलों में मटर और सरसों की फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी है तो क्या माननीय मन्त्री जी किसानों के प्रति सहानुभूति बर्तेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, आज 5 अप्रैल है। 15 अप्रैल और मई 1 के अन्दर ये सब आंकड़े स्वतः आ जायेंगे।

श्री लोकपति (जिला मिर्जापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन क्षेत्रों में नवम्बर से और आज तक वृष्टि नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में क्या वसूली स्थगित की जायेगी और किसानों को छूट दी जायगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, जरूर दी जायेगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, यह सबकी जानकारी की बात है कि अब की रबी की फसल भी अच्छी नहीं हुई और जहां 6 बोरे आलू निकलता था, जिस अराजी में, वहां मुश्किल से 2 बोरे निकला है इसी तरह से जहां 3 बोरे चना निकलना चाहिये था, वहां एक बोरा निकला । यही हाल गेहूं और दूसरी फसलों का रहा । तो इस चीज को देखते हुए क्या आपने कोई खास व्यवस्था गल्ले की किया है, कि जब लोग भूखे मरने लगेंगे, तो करेंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया है कि अभी तक आंकड़े जो हैं, वे नये हैं और 15 अप्रैल और 1 मई के बाद वांछनीय सूचना आ जायेगी और तब जिस तरह की जरूरत होगी, हर संभव उपाय किये जायेंगे ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि देवरिया और गोरखपुर जिले में पाइरिला से फसल को विशेष क्षति हुई है और गत सप्ताह सदन में कृषि मन्त्री जी ने भाषण दिया, उससे अनुमान है कि रबी की फसल में क्षति हुई । तो क्या दिक्कत है इन जिलों में तत्काल माफी देने में ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

जब 1 मई तक आंकड़े आ जायेंगे तो फैसला हो जायगा ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पाइरिला की वजह से देवरिया जिले में सारे गेहूं की फसल नष्ट हो गयी है, तो क्या मन्त्री जी जहां लगान की वसूली हो रही है, उसको तत्काल स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अगर पाइरिला से ज्यादा क्षति हुई है, तो जरूर विचार करेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, इसमें ढाई घण्टे की चर्चा करवा दें । सभी माननीय सदस्य इसमें उत्सुक हैं । सारी फसल मारी गयी है । इनकी रिपोर्ट है कि ज्यादा फसल पैदा हो गयी है लेकिन इस सदन के सभी सदस्यों का ख्याल है कि यह रिपोर्ट गलत है और फसल मारी गयी है । आपकी बड़ी कृपा होगी, यदि इस पर किसी दिन ढाई घण्टे की चर्चा करवा दें, इस रिपोर्ट को आधार बना कर ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो दूसरा प्रश्न हो गया ।

श्री कल्पनाथ सिंह --

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने यह कहा है कि ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं तो किस आधार पर सरकार का ख्याल है कि अच्छी फसल हुई है ? अच्छी होने का दावा कर दिया, जबकि सच्चाई यह है कि प्रत्येक खेत में, चाहे वह गेहूं का हो, चाहे वह जौ का हो, चाहे

[श्री कल्पनाथ सिंह]

वह गोजई का हो, चाहे वह मटर या चाहे चना का हो, सबसे बेहद नुकसान हुआ है। फसल जरूर अच्छी खड़ी हुई, लेकिन दाने उतने नहीं लगे और उतनी उपज हुई कि जिसकी वजह से किसान आज तबाही में पड़ा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसे क्राप कटिंग के आधार न बनायें, जैसा कि यह हर साल हुआ करता है, और जो कि इस सरकार का फैशन हो गया है। मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि उस सरकारी फैशन में न जाकर इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना कर, इस पूरे मामले की जांच करने के लिये क्या मन्त्री जी तैयार हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, जो आधार होता है उसमें रन्डम सेलेक्शन का होता है। पहले किसी क्षेत्र का रैन्डम सेलेक्शन होता है फिर खेत का होता है। उन आंकड़ों को आ जाने दीजिये फिर वास्तव में देखा जाय कि हम कहां तक सफल हुए हैं, उसके बाद विचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि सभी को सवाल करना है, इस पर बाद में अवसर दिया जायगा। यह तो केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, जब कि सचमुच फसल अच्छी नहीं हुई है कुछ वर्षा न होने, कुछ उपलवृष्टि के कारण और कुछ पाइरिल्ला के कारण, तो इन चीजों को देखते हुए किसानों की फसल की जो लागत है वह ज्यादा आयी है और आपके दफ्तर की यह सूचना है कि पिछले साल औसतन कि किसान को 90 रु0 प्रति क्विंटल गेहूं का भाव मिला है, ऐसी स्थिति में क्या आप किसानों को 75-65 के बजाय 95 रु0 बढ़ाकर करेंगे गेहूं का दाम ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

अभी तक इस पर विचार नहीं हुआ है।

श्री जगरनाथ (जिला बलिया)--

मान्यवर, बलिया जिले में काफी ओले पड़े हैं जिसकी वजह से जौ, मटर, आलू की सारी फसल नष्ट हो गई है और गेहूं की 6 आना फसल नष्ट हुई है, तो क्या माननीय मन्त्री जी को इसकी जानकारी है और अगर है तो इस बारे में क्या सोचा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जैसा मैंने निवेदन किया सारे उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वह यह है कि उपल वृष्टि से एक प्रतिशत की हानि हुई है। किसी विशेष स्थान पर कितनी हुई है यह देखा जा रहा है, उसके लिहाज से विशेष सुविधायें दी जायेंगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां अधिक नुकसान हुआ है वहां जो सुविधायें आप विशेष रूप से देंगे उस नुकसान का परसेंटेज कितना है जिस पर आप विशेष सुविधा देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

50 से 75 प्रतिशत तक सहायता देते हैं और जहां 75% से अधिक होता है उसको छूट वगैरह पर विचार करते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि तीसरे साल बाढ़ आ जाने के कारण बलिया में फसल नष्ट हो गई, पिछले साल सूखा के कारण नष्ट हो गई और इस साल पाइरिला के कारण 30% का नुकसान हुआ है, यह सब देखते हुए देवरिया जिले में वहां जो वसूली हो रही है उसको तुरन्त माफ कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

श्रीमन्, मैंने जैसा कहा माफ करने के कुछ नियम हैं और तत्काल माफी नहीं होती। जो जानकारी मंगाई गई है उसको आ जाने दीजिये, उस वक्त माफी के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

वह नियम क्या हैं इसकी हमें जानकारी करा दीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रदेश भर के आंकड़े 15 अप्रैल तक आ जायेंगे.....

श्री उदित नारायण शर्मा--

मान्यवर, एक मई तक।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, 15 अप्रैल से 20 मई तक कोई तिथि निश्चित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप चर्चा के लिये देंगे तो उस पर विचार करेंगे और चर्चा तो तभी होगा जब पूरे आंकड़े आ जायेंगे प्रदेश भर से, और माननीय मन्त्री जी इस स्थिति में हों कि वह जवाब दे सकें।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मेरठ जिले पर भी वह निगाह रखें।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

मान्यवर, यह वसूली को स्थगित करते रहते हैं और मैं देखता आ रहा हूं कि 20 साल के बकाया इन्ट्रेस्ट के बाद वसूल किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

स्थगित ही करने का नियम है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री राम बिलास पांडेय का है कि शाहजहांपुर टाउन एरिया, पुवायां में दिनांक 3-4-73 को श्री श्याम बिहारी लाल शुक्ल, परीक्षा निरीक्षक की गोली से हत्या। दूसरा श्री मोहनलाल कपूर और श्री हिम्मत सिंह का है। यह भी शाहजहांपुर इंटरमीडिएट परीक्षा केन्द्र के एक परीक्षा निरीक्षक श्री श्याम बिहारीलाल शुक्ल की गोली से हत्या के बारे में है। यह दोनों एक से हैं। अध्यक्ष जी ने नियम 56 के अन्दर अस्वीकृत कर दिये हैं और आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

हमने तो नियम 51 में दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने इनको अस्वीकृत कर दिया है।

श्री मोहनलाल कपूर—

बहुत अहम मसला है, एक अध्यापक जान से मार दिया गया। इस पर वक्तव्य ही दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने अस्वीकृत कर दिया है। अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री हरीसिंह विष्ट, श्री इन्द्रमणि बडोनी, श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह और श्री रामबिलास पांडेय का है, आग से अल्मोड़ा नगर पालिका के पुराने रिकार्डों की क्षति। इस पर भी अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

श्री हरीसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

इसके पीछे मान्यवर, षडयंत्र मालूम पड़ता है। दो तारीख को आडिट पार्टी आयी थी। उसने कहा कि तीन तारीख को आडिट करेंगे। वहां आग लग गयी। यह षड़यंत्र मालूम पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिखा है कि इस अग्निकांड के पीछे कोई बहुत बड़ा षड़यंत्र मालूम होता है। आपको भी निश्चित जानकारी नहीं है, यह अनुमान पर अवलंबित है। अल्पसूचित प्रश्न करें।

श्री सूबेदार प्रसाद और श्री रामनिहोर राय का है राबर्ट्सगंज (मिर्जापुर) में भ्रष्टाचार तथा घूंसखोरी के कारण सस्ता गल्ला तथा चीनी जनता को उपलब्ध न होना। यह भी अस्वीकृत है।

पांचवां है श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री बंशीधर पांडेय, श्री राम बिलास पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम और श्री कल्पनाथ सिंह का प्रदेश में पिछले महीने से कोयले का कोटा न आने के कारण कोयले के दामों में वृद्धि। यह वक्तव्य के लिए स्वीकृत है। इसके आगे नम्बर 6 में श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री राम करन सिंह और श्री सच्चिदानन्द गुप्त का साफ्टकोक व हार्ड कोक के अभाव के कारण जनता में असंन्तोष। इसको भी ऊपर वाले से जोड़ दिया है और यह नाम वहां जोड़ दिये जायंगे।

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
5 अप्रैल, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 29 (4) के ता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 616 पर)

मांगों की सूची

1—समस्त मजदूरों को 5 रु0 के स्थान पर 50 रुपये मासिक की वेतन में बढ़ोत्तरी की जाय।

2—सभी सीजनल मजदूरों को वेतन का 50 प्रतिशत मासिक रिटेनिंग भत्ता दिया जाये।

3—सभी कर्मचारियों को अन्तिम वेतन के आधार पर एक मास के वेतन के बराबर प्रत्येक वर्ष के सेवा काल के लिये ग्रेच्युटी दी जाय।

4—खुले बाजार में बिक्री चीनी से हुये लाभ में से अतिरिक्त बोनस दिया जाय तथा सीजनल मजदूरों को भी एक मास के वेतन के बराबर न्यूनतम बोनस दिया जाय।

5—सेवामुक्त कर्मचारियों के वारिसों को नौकरी में प्राथमिकता दी जाय।

6—चीनी उद्योग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय।

7—1960 के भाव पर मजदूरों को उपभोक्ता वस्तुएं दी जायें।

8—पूंजीपतियों व सरकारी हाथों से शुगर मिलों को निकाल कर मजदूरों, किसानों, विशेषज्ञों एवं उपभोक्ता प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित स्वायत्तशासी निगम को सौंपा जाय।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 626 पर)

सूची

पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायों की सूची जिन्हें उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण दिया गया—

1—होटल उद्योग (पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु)।
2—माइनिंग एवं मिनरल आधारित उद्योग।
3—सर्जिकल प्लास्टर आफ पेरिस।
4—मार्बिल चिप्स।
5—स्टोन ड्रेसिंग एवं क्रशिंग।
6—लकड़ी का फर्नीचर।
7—बुड सीजनिंग।
8—लकड़ी का इमारती सामान।
9—खांडसारी उद्योग।
10—फल एवं सब्जी संरक्षण।
11—सिल्क फैब्रिक्स।
12—क्लेदिंग एवं टेलरिंग।
13—यार्न निर्माण।
14—काटन टेक्सटाइल्स।
15—प्रिंटिंग प्रेस तथा बुक बाइंडिंग।
16—कृषि यंत्र।
17—स्टील आलमारी तथा लोहे के सामान।
18—मिनियेचर बल्व, आटो बल्व तथा इलेक्ट्रिक बल्व इत्यादि।
19—सर्जिकल ब्लेड्स।
20—रेडियो।
21—विद्युतीय उपकरण तथा घरेलू सामान।
22—ए0 ए0 सी0 एवं ए0 सी0 एस0 और कन्डक्टर्स।
23—आर0 सी0 सी0 पाइप एवं अन्य सीमेंट का सामान।
24—रेलवे कैरियर्स।
25—नेल्स, स्क्रू।
26—आटो पार्ट्स।
27—अभियंत्रण उद्योग।
28—पेंट्स कलर।
29—बेरियम हाइड्रोक्लोराइड एवं अन्य साल्ट्स।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 627 पर)

संलग्नक

इलाहाबाद जनपद में वर्ष 1972–73 में चालू की गयी केन्द्रीय/राज्य स्तरीय विशेष रोजगार परियोजानायें

क—राज्य स्तरीय—

1—ट्रान्समिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के निर्माणार्थ सर्वे एवं प्रोफाइलिंग कार्यों में तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार देना ;

2—ग्रामीण अभियंत्रण सेवा योजना;

3—सड़कों एवं पुलों के सर्वेक्षण की योजना ;

4—ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजना ;

5—जन साक्षरता योजना ; तथा

6—पशु चिकित्सा स्नातकों को रोजगार दिलाने की योजना।

ख—केन्द्रीय—

7—प्राइमरी शिक्षा में प्रसार एवं सुधार की योजना।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 630 पर)

प्रतिलिपि

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, सरकार, लखनऊ ।

प्रिय महोदय,

कुछ दिन पूर्व डिस्ट्रिक्ट केन आफिसर, पडरौना द्वारा 21 ग्राम सेवकों की नियुक्ति की गई है। इन नियुक्तियों में केवल अवैधानिकता एवं अनियमितता ही नहीं बरती गई बल्कि अत्यन्त भ्रष्टाचार भी हुआ है :

1—इन स्थानों का कोई प्रकाशन नहीं किया गया।

2—इम्प्लायमेंट से कोई नाम नहीं मांगा गया जब कि सरकार का कड़ा नियम है कि जब कोई नई नियुक्ति की जाय तो इम्प्लायमेंट से अवश्य नाम मांगा जाय।

3—इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता भी नहीं निर्धारित की गई।

4—प्रार्थना-पत्र लेने के लिए कोई तिथि नहीं मुकर्रर की गई और न तो प्रार्थना-पत्र ही मांगा गया ।

5—नियुक्ति में योग्यता का भी ध्यान नहीं रखा गया।

6—चुनाव का कोई आधार नहीं रखा गया। केवल चुनाव का आधार राज्य मंत्री, गन्ना विभाग की संस्तुति एवं रिश्वत ही रहा।

इस प्रकार के आचरण से ग्राम लोगों में केवल असन्तोष ही नहीं है बल्कि यह काम निंदा का विषय बना हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस चुनाव को अवैध घोषित कर इस जनप्रिय सरकार को कलंकित होने से बचावें और पुनः नियमानुसार चुनाव करने का आदेश देवें। आशा है आप इस कार्यवाही को शीघ्र करेंगे। आपसे यह भी निवेदन है कि आप संबंधित अधिकारी को दंडित करें ताकि वह भविष्य में इस प्रकार का गलत काम करने का साहस न करे। यदि आपकी तरफ से कोई उचित कार्यवाही पुनः चुनाव कराने की नहीं की गई तो प्रभावित व्यक्ति न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण लेंगे ।

भवदीय,

(ह०) मंगल उपाध्याय,

दिनांक 22 जनवरी, 1973 एम0 एल0 ए0, देवरिया।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1—मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0, लखनऊ।

2—राज्य मंत्री जी, गन्ना विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।

(ह0) मंगल उपाध्याय ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 633 पर)

नत्थी 'क'

सब-इन्सपेक्टर नागरिक पुलिस के पद के लिये अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की जिलेवार तालिका

क्रम-संख्या	जिले का नाम		प्रार्थना-पत्र देने वालों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या	साक्षात्कार के लिये क्वालीफाई करने वालों की संख्या
1	2		3	4	5
1	मेरठ	..	21	18	1
2	बुलन्दशहर	..	17	15	1
3	मुजफ्फरनगर	..	5	4	1
4	सहारनपुर	..	12	11	1
5	देहरादून	..	13	12	2
6	वाराणसी	..	12	10	3
7	मिर्जापुर	..	4	4	..
8	गाजीपुर	..	11	11	3
9	जौनपुर	..	1	1	1
10	बलिया	..	5	5	..
11	लखनऊ	..	6	6	2
12	सीतापुर	..	4	4	1
13	हरदोई	..	17	14	2
14	खीरी	..	2	2	..
15	राय बरेली	..	3	3	1
16	उन्नाव	..	7	7	1
17	कानपुर	..	33	31	3
18	फतेहपुर	..	..	..	..
19	इलाहाबाद	..	33	30	3
20	इटावा	..	19	19	2
21	फतेहगढ़	..	17	16	3
22	बरेली	..	14	13	7
23	बिजनौर	..	9	8	6
24	बदायूं	..	7	7	1
25	मुरादाबाद	..	13	12	1
26	पीलीभीत	..	3	2	..
27	शाहजहांपुर	..	2	2	..
28	रामपुर	..	5	5	5
29	आगरा	..	14	13	4

क्रम संख्या	जिले का नाम		प्रार्थना-पत्र देने वालों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित होन वालों की संख्या	साक्षात्कार के लिये क्वालीफाई करने वालों की संख्या
1	2		3	4	5
30	मथुरा	..	8	7	4
31	एटा	..	8	8	1
32	अलीगढ़	..	22	21	5
33	मैनपुरी	..	6	6	1
34	गोरखपुर	..	5	5	2
35	आजमगढ़	..	8	6	..
36	बस्ती	..	4	3	..
37	देवरिया	..	1	..	..
38	फैजाबाद	..	1	1	..
39	बहराइच	..	..	..	..
40	बाराबंकी	..	2	2	1
41	गोन्डा	..	3	3	..
42	प्रतापगढ़	..	3	3	1
43	सुल्तानपुर	..	5	5	2
44	झांसी	..	14	14	..
45	बांदा	..	5	5	2
46	हमीरपुर	..	11	11	3
47	जालौन	..	7	7	1
48	नैनीताल	..	9	9	3
	योग	..	431	401	81

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

'नत्थी 'ख'

अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से सब-इंसपेक्टर नागरिक पुलिस पद के लिये प्रार्थना-पत्रों का जिलेवार विवरण ।

जिले का नाम		प्रार्थना-पत्र देने वालों की संख्या ।	परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या	साक्षात्कार के लिये क्वालीफाई करने वालों की संख्या
देहरादून	..	9	3	1
बिजनौर	..	1	1	1
नैनीताल	..	10	9	2

इसके अतिरिक्त अन्य किसी जिले से अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी से प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ 636 पर।)

मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज कर्मचारी संघ, गोरखपुर

मांग-पत्र

दिनांक 20-1-73 को संघ की साधारण बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विद्यालय के कर्मचारियों में बहुत सी असुविधाओं के कारण काफी असंतोष है, अतः इससे संबंधित निम्न मांग-पत्र को प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर सदस्य, प्रशासकीय परिषद् एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को उनसे सहानुभूति पूर्वक विचार एवं निर्णय करने हेतु प्रेषित किया जाय।

संघ ने यह भी निर्णय लिया कि दिनांक 1-2-73 से 45 दिन के अन्दर अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो संघ अगली कायवाही करने के लिये बाध्य होगा। जिसका पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य एवं प्रशासकीय परिषद् के सदस्यों पर होगा।

(1) संघ क पंजीकृत संविधान, जिसका पंजीकृत सं0 549 है को अबिलंब मान्यता प्रदान किया जाय।

(2) विद्यालय में स्थायीकरण की असमानता को समाप्त करते हुए उन सभी कर्मचारियों को, जिनका कार्यकाल एक साल से अधिक हो गया है उन्हें तुरन्त स्थायी घोषित किया जाय जैसा कि कुछ लोगों को ठीक एक साल बाद स्थायी घोषित किया गया और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कार्यकाल करीब 8 साल हो गया है परन्तु अभी तक स्थायीकरण नहीं हुआ है।

(3) उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली समस्त सुविधायें इस विद्यालय के कर्मचारियों को तुरन्त दी जायं। जैसे आवास, भत्ता, शहरी भत्ता इत्यादि।

(4) विभागीय पदोन्नति एवं कर्मचारियों के हितार्थ अन्य विषयों को सही रूप देने के लिये कर्मचारियों की एक समिति बनायी जाय जो समान संख्यक हो।

(5) प्रशासकीय परिषद् में कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि रखे जायं एवं प्रशासकीय परिषद् में जो निर्णय लिया जाय उसकी सूचना सभी कर्मचारियों को दी जाय।

(6) क्वार्टर एलाटमेंट वरिष्ठता के आधार पर किया जाय एवं समिति में संघ द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि रखा जाय। जो क्वार्टर जिस वर्ग के कर्मचारियों के लिय हों उन्हीं को दिया जायं

(7) विद्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत रिक्त स्थानों की पूर्ति वरिष्ठ कर्मचारियों के पदोन्नति द्वारा की जाय तथा अनुभव के आधार पर शैक्षिक योग्यता में छूट दी जाय एवं ऐसे किसी भी रिक्त पद पर कोई साकल्पित पद बनाकर नियुक्ति न की जाय।

(8) विद्यालय के वे कर्मचारी, जो अपने वेतन मान के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हों, के लिये उच्च वेतन मान नये पदों के सृजन से किया जाय।

(9) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को, जो तृतीय वर्ग के पद की योग्यता रखते हों मात्र उन्हें ही तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधे नियुक्त किया जाय।

(10) विद्यालय के सभी कर्मचारियों को आतरिक्त शैक्षिक योग्यता बढ़ाने हेतु शर्त रहित अवकाश दिया जाय, एवं आवश्यकतानुसार शैक्षिक अवकाश दिया जाय।

(11) कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य के लिये, उनके सभी आवेदन-पत्रों को अग्रसारित किया जाय, एवं नियुक्ति हो जाने पर 'लियन' आवश्यकतानुसार बनी रहे।

(12) विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने हेतु कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के प्रवेश हेतु स्थान सुरक्षित किये जायं एवं उनको अंकों की प्रतिशत में भी छूट दिया जाय ।

(13) विद्यालय के कर्मचारयों के बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय द्वारा आर्थिक सुविधायें प्रदान की जायें ।

(14) विद्यालय प्रांगण में रहने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चों को हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु स्कूल का अबिलम्ब निर्माण किया जाय ।

(15) शहर से आने वाले समस्त कर्मचारियों को बस सेवा निःशुल्क प्रदान किया जाय ।

(16) सायकिल और स्कूटर को स्टैन्ड पर रखने का जो शुल्क लगाया गया उसे तुरन्त समाप्त किया जाय । सायकिल स्टैन्ड मेन गेट के पास रखा जाय ।

(17) विद्यालय के कर्मचारियों को जिला परिषद् के करों से मुक्त कराने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाय । एवं आवश्यकतानुसार न्यायिक कार्यवाही भी की जाय ।

(18) सी0 पी0 एफ0 के ब्याज की दर तुरन्त घोषित किया जाय एवं इससे संबंधित पूर्ण विवरण हर छठे महीने प्रत्येक कर्मचारियों को दिया जाय ।

(19) विद्यालय के समस्त कर्मचारियों की सेवा पेंशनेबुल घोषित किया जाय ।

(20) इसेन्शियल स्टाफ के सभी कर्मचारियों को इसेन्शियल स्टाफ घोषित करते हुए सरकारी इसेन्शियल स्टाफ के सुविधाओं के अनुरूप उन्हें सुविधायें प्रदान की जायं ।

(21) मुफ्त चिकित्सा प्राप्त करते हुए कर्मचारियों को किसी भी डाक्टर से अच्छी चिकित्सा हेतु परामर्श लेने की छूट दी जाय एवं इस प्रकार से हुए व्यय का भुगतान बिना किया जाय ।

(22) प्रांगण में रहने वाले सभी कर्मचारियों को अकस्मात जरूरत पड़ने पर मिनी बस या स्टाफ कार की सुविधा तुरन्त प्रदान की जाय एवं कार्यकाल में समस्त कर्मचारियों की आकस्मिक दुर्घटना एवं चिकित्सा हेतु उपरोक्त सुविधा निशुल्क प्रदान किया जाय ।

(23) उन सभी कमचारियों को जो एक से अधिक पदों पर कार्य करते हैं उन्हें उसका अलग से पैसा दिया जाय । एवं जो कर्मचारी अपने पद से उच्च पद पर कार्य करते हों उन्हें उस पद का वेतन मान देते हुए कार्य करवाया जाय ।

(24) विद्यालय के सभी कर्मचारियों को अवकाश में कार्य करने पर उन्हें उसके एवज में अवकाश दिया जाय या उस दिन का अलग से पैसा दिया जाय ।

(25) विद्यालय के समस्त कर्मचारियों का कार्य काल समान हो ।

(26) विद्यालय के सनस्त चौकीदारों का कार्यकाल 8 घंटे से अधिक न हो ।

(27) चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को समय से वर्दी दिया जाय एवं उनके धुलाई का पैसा देने में परेशान न किया जाय ।

(28) विद्यालय में जो भी खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें समस्त कर्मचारियों को उचित पद पर एवं असमान किस्तों में दिया जाय ।

(29) नकद-वेतन पाने वाले कर्मचारियों का वेतन भुगतान उनके विभाग द्वारा किया जाय।

(30) संघ के सदस्यों का वार्षिक शुल्क जो 3 रु0 है सदस्यों के वेतन से काटकर संघ को दिया जाय जैसा कि स्टाफ क्लब के सदस्यों का शुल्क उनके वेतन से काटकर क्लब को दिया जाता है ।

(31) विद्यालय के कर्मचारियों पर जो सर्विस रूल लागू होता है उसकी सूचना सभी को दी जाय । एवं उसकी एक प्रतिलिपि संघ को दिया जाय ।

(32) विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति में मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिये बाध्य न किया जाय।

(33) वरिष्ठता की सूची आधार सहित घोषित किया जाय एवं समस्त कर्मचारियों के पदोन्नति के लिये वर्ग सूची घाषित किया जाय।

(34) मिनिस्ट्रियल वर्ग के कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर काउन्टर दिये जायं।

(35) विद्यालय में डिप्युटेशन पर कर्मचारियों को बुलाने की प्रथा समाप्त की जाय एवं डिपूटेशन पर आये हुए कर्मचारियों का उनके मूल विभाग में तुरन्त वापस भेजा जाय।

(36) भंडार अधिकारी एवं प्रधान सहायक के पदों पर की गई अनियमित पदोन्नति को निरस्त करते हुए वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किया जाय।

(37) विद्यालय को सरकारी विद्यालय घोषित किया जाय।

(38) विद्यालय की कालीनी की सफाई हेतु अलग से जमादार रक्खे जायें।

(39) संघ के कार्यालय हेतु भवन दिया जाय।

(40) विद्यालय प्रांगण में रहने वाले कर्मचारियों के सुविधा हेतु सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खुलवाने का प्रबन्ध तुरन्त किया जाय।

(41) फार्मिग में प्रयोग हेतु वस्तुओं का क्रय तथा फार्मिग से उत्पन्न हुये वस्तुओं का विक्रय भंडार-विभाग द्वारा किया जाय। जिससे फार्मिग से उत्पन्न वस्तुओं की सही-मात्रा का पता चल सके एवं वितरण इत्यादि सही ढंग से हो सके।

संसदीय प्रदेश पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 646 पर)

सूची-1

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लिमिटेड के निदेशक-मण्डल की सूची

1—मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश	निदेशक एवं अध्यक्ष
2—मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	निदेशक (पदेन) एवं उपाध्यक्ष
3—आयुक्त, कृषि उत्पादन तथा ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ..	निदेशक (पदेन)
4—विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (श्री राज कुमार भार्गव)	निदेशक (पदेन)
5—सचिव, वन एवं पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ..	निदेशक (पदेन)
6—सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	निदेशक (पदेन)
7—सचिव, , पर्वतीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ..	निदेशक (पदेन)
8—आयुक्त, कुमाऊं मण्डल	निदेशक (पदेन)
9—आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	निदेशक (पदेन)
10—निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश	निदेशक (पदेन)
11—निदेशक कृषि, उत्तर प्रदेश	निदेशक (पदेन)
12—निदेशक फलोपयोग, उत्तर प्रदेश	निदेशक (पदेन)
13—मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश	निदेशक (पदेन)
14—प्रबन्ध निदेशक, राज्य वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश, कानपुर ..	निदेशक (पदेन)
15—प्रबन्ध निदेशक, लघु उद्योग निगम, उ0 प्र0, कानपुर ..	निदेशक (पदेन)
16—प्रबन्ध निदेशक, कृषि उद्योग निगम, उ0 प्र0, लखनऊ ..	निदेशक (पदेन)
17—प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पर्वतीय विकास निगम लि0 ..	निदेशक
18—ठाकुर श्री कृष्ण सिंह, सदस्य, विधान सभा, उत्तरकाशी ..	निदेशक
19—श्री गोपाल दत्त ओझा, सदस्य, विधान सभा, पिथौरागढ़ ..	निदेशक
20—श्री देवकी नन्दन पाण्डे, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा	निदेशक
21—श्री देवकी नन्दन वैष्णव, चमोली	निदेशक

सूची संख्या-2

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लि० के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	पद	संख्या	वेतनमान
			रु०
	निगम का सम्पर्क कार्यालय—		
1	प्रबन्ध निदेशक	1	2,450 प्रतिमाह (निश्चित)
2	वैयक्तिक सहायक	1	200–400
3	सम्पर्क सहायक	1	140–280
4	चपरासी	1	55–75
5	ड्राइवर	1	75–115
	नैनीताल कार्यालय (मुख्य कार्यालय)—		
1	प्रधान प्रबन्धक	1	1,300–1,600
2	मण्डलीय प्रबन्धक (विपणन)	1	600–1250
3	मुख्य सहायक	1	350–450
4	अंकिक	1	350–450
5	आशु लिपिक	1	160–280
6	सहायक लिपिक	1	100–180
7	कैशियर	1	140–280
8	चपरासी	2	55–75
9	विपणन निरीक्षक	4	160–280
	देहरादून कार्यालय—		
1	प्रधान प्रबन्धक	1	600–1250
2	वैयक्तिक सहायक (अध्यक्ष हेतु)	1	200–400
3	सहायक लिपिक (अध्यक्ष हेतु)	1	100–180
4	चपरासी	2	55–75
5	विपणन निरीक्षक	6	160–180
6	अध्यक्ष के सम्पर्क अधिकारी	1	400 प्रतिमास (निश्चित)
	पर्यटन कार्यालय मुनि-की-रेती—		
1	मण्डलीय प्रबन्धक (यात्रा)	1	600–1250
2	आशु लिपिक	1	160–280
3	कैशियर	1	120–220
4	चपरासी	1	55–75

नत्थी 'ज'

(देखिये अ०ता० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 648 पर)

तालिका

सचिवालय में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिये जा रहे विशेष वेतनों का विवरण

पद का नाम	विशेष वेतन की धनराशि
	रु०
सचिव/विशेष सचिव ..	300 प्रतिमाह
संयुक्त सचिव	250 प्रतिमाह
उप सचिव	200 प्रतिमाह
अनु सचिव	150 प्रतिमाह
अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग–1 ..	50 प्रतिमाह
4 प्रवर वर्ग सहायक, गोपन अनुभाग ..	25 प्रतिमाह
1 प्रवर वर्ग सहायक, गृह सचिव शाखा ..	40 प्रतिमाह
12 अवर वर्ग सहायक, पास आफिस ..	10 प्रतिमाह
7 अवर वर्ग सहायक (सहायक अवधाता)	25 प्रतिमाह
1 निर्देश लिपिक, गोपन अनुभाग ..	25 प्रतिमाह
निर्देश लिपिक, इंचाज अभिलेख कक्ष ..	40 प्रतिमाह
5 अनुवादक, भाषा अनुभाग ..	20 प्रतिमाह
कोषाध्यक्ष ..	30 प्रतिमाह प्रतिभू के आधार पर तथा 40 रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त विशेष वेतन
अतिरिक्त ट्रेजरार एवं सहायक ट्रेजरार ..	इन पदों पर कार्यरत पदधारियों को प्रतिभू के रकम पर आधारित अलग-अलग दरों पर विशेष वेतन दिया जाता है।
बजट सहायक, मुख्य सचिव शाखा ..	40 प्रतिमाह
16 ट्रेजरार कम एकाउन्टेन्ट ..	इन पदों पर कार्यरत पदधारियों को प्रतिभू की रकम पर आधारित अलग-अलग दरों से विशेष वेतन दिया जाता है।
हेड विधान भवन रक्षक ..	5 प्रतिमाह
4 चपरासी, मुख्य सचिव शाखा के खजाने से सम्बन्धित	2 प्रतिमाह
1 जूनियर ग्रेड क्लर्क	15 प्रतिमाह
सहायक स्टोर कीपर	पदधारी को प्रतिभूत की रकम पर आधारित विशेष वेतन दिया जाता है।

नोट--(1) उपरोक्त अधिकारियों में से न्याय विभाग के सचिव तथा एक उप सचिव को कनवेंसिंग के कार्य के लिये क्रमशः 200 रु० तथा 100 रु० प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त विशेष वेतन भी दिया जाता है।

(2) उप सचिव तथा अनु सचिव के पदों पर तैनात सचिवालय के अधिकारियों को कोई विशेष वेतन नहीं दिया जाता है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--31 एल० ए०--1974--835।